लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४०, १९६०/१८८१ (शक)

[७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ४० में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला खंड ४०—अंक २१ से ३०—७ से १८ मार्च १९६०/१७ से २८ फाल्गुन १८८१ (शक)

अंक २१—सोमवार, ७ मार्च १९६०/१७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४४ से ६४७, ६४९, ६५०, ६५२ से ६५७ और ६५९ . २१२९—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . . २१५४–५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६४८, ६५१, ६५८ और ६६० से ६८० . . २१५५—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ७६७ से ८१९ . . . . २१६६—८५

स्थगन प्रस्ताव—

स्टेट बैंक के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल . . . . २१८५—८९

तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर की शुद्धि . . . २१८९

कार्य मन्त्रणा समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१८९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरःस्थापित . . . २१९०

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित २१९०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . २१९१—२२२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २२२६—३०

अंक २२—मंगलवार, ८ मार्च, १९६०/१८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ से ६८५, ६८७ से ६९४ और ७०० . . २२३१—५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २२५४—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६, ६९६ से ६९९ और ७०१ से ७०८ . . २२५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८८४ . . . . २२६५—९०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२९१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . . २२९१—९४

कलकत्ता पत्तन में नदी सर्वेयरों और हाइड्रोग्राफरों द्वारा हड़ताल

पृष्ठ

सभा का कार्य—

सामान्य आयव्ययक के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा का क्रम . २२९३

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६०—पारित २२९४

सामान्य आयव्ययकक—सामान्य—चर्चा . . . २२९४—२३३१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३३२—३६

अंक २३—बुधवार ९ मार्च १९६०/१९ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७०९, ७११ से ७१४, ७१७ से ७२१ और ७२३ से ७२७ . . . . . २३३७—५९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . २३५९—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७१६, ७२२ और ७२८ से ७४६ . . २३६१—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९३४ २३६९—९१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) चीनियों द्वारा लद्दाख के चन्थान नमक खान क्षेत्र पर कथित कब्जा . २३९१—९३

(२) ७ मार्च को शाहदरा में बिजली और पानी का बन्द हो जाना . २३९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३९४–९५

विधेयक पर राय २३९५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठावनवां प्रतिवेदन २३९५

लोक लेखा समिति—

बाईसवां प्रतिवेदन

कारखाना अधिनियम १९४८ के बारे में याचिका . . . २३९५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २३९६—२४४१

दैनिक संक्षेपिका २४४२—४७

अंक २४—गुरुवार, १० मार्च १९६०/२० फाल्गुन, १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८, ७४९, ७५१, ७५२, ७५४, ७५५, ७५७, ७६१, ७६३, ७६५, ७६७ से ७७५, ७७८, ७८० और ७८१ . . २४४९—७५

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . २४७५—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४७, ७५०, ७५३, ७५६, ७५८ से ७६०, ७६२, ७६४ ७६६, ७७६, ७७७ और ७७९ . . . . २४७७—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९९ . . . . २४८३—२५१२

स्थगन प्रस्ताव—

मिकिर पहाड़ियों में कुछ विस्थापित व्यक्तियों पर गोली चलाया जाना . २५१२—१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५१५

राज्य सभा से सन्देश २५१६

पशु निर्दयता निवारण विधेयक, १९६०—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . . २५१६

लोक लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन २५१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली प्रशासन द्वारा बस्तियों का अधिग्रहण . . . २५१६—१९

शाहदरा में पानी और बिजली के सम्भरण के बारे में वक्तव्य . . २५१९–२०

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २५२०—५४

लेखानुदान की मांगें . . . . . २५५४—५९

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६०—पुरस्थापित तथा पारित . २५५९–६०

विदेशी पर्यटकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २५६०—६६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २५६७—७२

अंक २५—शुक्रवार, ११ मार्च १९६०/२१ फाल्गुन १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ से ७९३, ७९५ से ७९८, ८०० और ७९४ . २५७३—२६००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ और ८०१ से ८१७ . . . २६००—०८

अतारांकित प्रश्न संख्या १००० से १०५४ . . . २६०८—३२

स्थगन प्रस्ताव—

जोरहाट में विमान दुर्घटना २६३२–३३

	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६३३—३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
रेलवे को कोयले का अपर्याप्त सम्भरण	२६३६—३७
स्टेट बैंक के विवाद के बारे में वक्तव्य	२६३७—३९
सभा का कार्य	२६३९—५८
दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के लिये प्रस्ताव .	२६३९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठावनवां प्रतिवेदन	२६५८
कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम का मल्यांकन करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२६५९—७९
अंदमान और निकोबार द्वीपों के नाम बदलने के बारे में संकल्प .	२६७९—८१
निर्वाचन याचिका के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२६८१—८६
दैनिक संक्षेपिका	२६८७—९३

अंक २६—सोमवार १४ मार्च, १९६०/ २४ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८१८, ८२० से ८२२, ८२५, ८२९, ८३०, ८३४ ८३५, ८३७ से ८३९।	२६९५—२७१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२३, ८२४, ८२६ से ८२८, ८३१ से ८३३, ८३६ और ८४० से ८४४	२७१७—२३
अतारांकित प्रश्न संख्या १०५५ से ११०५ . . .	२७२३—४९
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . .	२७४९—५५
२. अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय	२७५५
१० मार्च, १९६० को प्रतिरक्षा मन्त्री द्वारा कही गई कुछ बातों का वापस लिया जाना	२७५६—५७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२७५७—५८
राज्य सभा से सन्देश	२७५८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	२७५८

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली के एक विद्यार्थी द्वारा कथित आत्म हत्या . . . २७५९

अनुदानों की मांगें--

विधि मन्त्रालय २७६०--९२

दैनिक संक्षेपिका २७९३--९७

अंक २७--मंगलवार १५ मार्च, १९६०/२५ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५, ८४७ से ८५१ और ८५३ से ८६३ . . २७९९--२८२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५२ और ८६४ से ८७४ . . . २८२५--३१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से ११४४ . . . . २८३१--४९

स्थगन प्रस्ताव--

कोचीन में शिपयार्ड २८४९--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २८५२-५३

राज्य सभा से सन्देश २८५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

विश्व बैंक की विज्ञप्ति में सिंधु विकास निधि में भारत के अंशदान का उल्लेख न होना २८५३-५४

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के बारे में वक्तव्य . . २८५४--५८

अनुदानों की मांगें--

शिक्षा मन्त्रालय २८५८--२९२०

दैनिक संक्षेपिका २९२१--२४

अंक २८--बुधवार, १६ मार्च, १९६०/२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ . . . . २९२५--४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२ . . . . २९४७--५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ११४५ से ११८७ . . . . २९५६--७४

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन . . . २९७४–७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६–७७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन २९७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी और हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता . . . . . २९७७—७९

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा मन्त्रालय . . . . . २९७९—९२

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . २९९२—३०२५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३०२६—२९

अंक २९—गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ से ९०७, ९०९ से ९१२, ९१४ से ९१६, ९१८ और ९१९ . . . . . ३०३१—५४

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८, ९१३, ९१७, ९२० से ९२९ और ७१५ . ३०५४—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८८ से १२१५ . . . ३०६०—७३

सभा पटल पर कुछ पत्रों को रखने के बारे में . . . ३०७३

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७३–७४

विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में . . . ३०७४

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०७४

प्राक्कलन समिति—

छियत्तरवां प्रतिवेदन ३०७५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिराडोलोमाइट खानों में विस्फोट . . . ३०७५

अनुदानों की मांगें—

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . . . . ३०७५—३१००

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३१०१—४०

कलकत्ता गोदी के मजदूरों सम्बन्धी योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३१४१—४९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१५०—५३

अंक ३०—शुक्रवार, १८ मार्च, १९६०/२८ फाल्गुन, १८८१ (शक)

•प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३० से ९३२, ९३५, ९३७, ९४०, ९४१, ९४३ से ९४८, ९५०, ९५२, ९५४, ९५७, ९५८ और ९३३ . . ३१५५—८१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . ३१८१—८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ९३४, ९३६, ९३८, ९३९, ९४२, ९४९, ९५१, ९५३ और ९५६ . . . . . ३१८२—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२१६ से १२६० . . . ३१८६—३२०७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ३२०७—०८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

किशनगंज स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर . . . ३२०८—०९

तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर की शुद्धि . . . ३२०९

वायु क्षेत्र के उल्लंघन के बारे में वक्तव्य . . . . ३२०९—१२

कोचीन में जहाज बनाने के कारखाने के बारे में वक्तव्य . . . ३२१२—१३

टेलीफोन की दरों में परिवर्तन के बारे में वक्तव्य . . . ३२१३—१४

सभा का कार्य ३२१४

अनुदानों की मांगें—

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय . . . . ३२१५—३१

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय . . . . . ३२३१—५२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनसठवां प्रतिवेदन . . . . . ३२५२—५३

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) पुस्तक तथा समाचार पत्र प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . ३२५३

(२) नवयुवक (हानिकर प्रकाशन) संशोधन विधेयक (धारा २ का संशोधन)—श्री च० का० भट्टाचार्य . . . ३२५३

(३) प्रादेशिक परिषद् (संशोधन) विधेयक (धारा ३, २२ और ३२) का संशोधन)—श्री लै० अचौ० सिंह का. . . ३२५४

पृष्ठ

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक---श्री पु० र० पटेल का विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२५४-५५

अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह (निरीक्षण तथा नियन्त्रण) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित में विचार करने के लिये प्रस्ताव . ३२५६---७०

खण्ड १ से ३१ . . . . ३२७०

पारित करने के लिये प्रस्ताव . . . ३२७०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--(धारा ७३ का संशोधन)---श्री हेम राज का---

विचार करने के लिये प्रस्ताव . . ३२७१

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२७२---७७

नोट:-मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

बुधवार, १६ मार्च, १९६०

२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नेफा[1] और आसाम में आकाश-सीमा का अतिक्रमण

†*८७५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री हेम बरुआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १० दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेफ़ा और आसाम के ऊपर की आकाश-सीमा के अतिक्रमण के बारे में चीनी दूतावास को दिये गये टिप्पणों का कोई उत्तर प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी, हां।

(ख) चीन सरकार ने कहा है कि उनके विमानों ने कभी भारतीय आकाश-सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। इस संबंध में विरोध प्रकट करने के लिये भारत और चीन की सरकारों के बीच जिन टिप्पणों का आदान-प्रदान हुआ था उन्हें श्वेत-पत्र संख्या ३ (पृष्ठ १०० से १०४) में शामिल कर लिया गया था जिसे १० मार्च, १९६० को सभा-पटल पर रखा गया था।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या चीनी दूतावास को यह टिप्पण दिये जाने के बाद ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति होने की खबर मिली है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]NEFA—North East Frontier Agency.

†**सरदार मजीठिया** : हमें इस के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : १८ और २१ दिसम्बर, १९५९ और २२ फरवरी, १९६० को प्रधान मंत्री के १८ दिसम्बर, १९५९ को प्रतिरक्षा मंत्री के जोर देकर स्पष्ट रूप से कही गयी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी विमानों ने कभी हमारी आकाश-सीमा का अतिक्रमण नहीं किया, सरकार अब इस बात का मेल श्वेत-पत्र संख्या ३ में की गयी इस स्वीकृति से कैसे बैठा सकती है जिसमें यह कहा गया है कि यहां चीनी दूतावास को यह विरोध-पत्र ५ दिसम्बर, १९५९ को दिया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : मुझे यह तो याद नहीं है कि उस अवसर पर प्रधान मंत्री या मैंने जो उत्तर दिये थे उनकी ठीक-ठीक शब्दावली क्या थी। उसके लिये मुझे पूर्व-सूचना दी जानी चाहिये। हमने जो बात कही थी वह यह थी कि हमारे अनेक विमान इस स्थान की देख-भाल कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने इसी तरह की कोई बात कही थी। हमारे पास अतिक्रमण का कोई प्रमाण नहीं था और जो भी इस ढंग का कार्य कर रहा था वह ऐसा ही हो सकता था जो इतनी ऊंचाई तक जा सके या जिसके पास इस प्रकार के कार्य के यंत्र हों। इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान का पता चलाना संभव नहीं है। हमने कहा था कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। जब अतिक्रमण का संदेह होने की खबर आई तो हमने विरोध पत्र भेज दिया।

†**श्री हेम बरुआ** : यह खण्डन १८ और २१ दिसम्बर, १९५९ और २२ फरवरी, १९६० को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के प्रधान मंत्री द्वारा उत्तर में भी किया गया था। लेकिन, ५ दिसम्बर, १९५९ को चीनी दूतावास को यह टिप्पण दिया जा चुका था जिसमें चीनी विमानों द्वारा हमारी आकाश-सीमा के अतिक्रमण का विरोध किया गया था। स्पष्ट है कि प्रमाण उनके पास था और इसी कारण से उन्होंने विरोध पत्र दिया था। मैं कहता हूं कि यह सरकार द्वारा तथ्यों को दबा देने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस संदेह को दूर कैसे कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इतनी भूमिका की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य सीधा प्रश्न पूछ सकते हैं। विरोध-पत्र इस सभा में वक्तव्य देने से पहले ही भेजा जा चुका था। क्या यह सच नहीं कि चीनी सरकार को विरोध पत्र भेजा गया था ; यहां दूसरा ही कथन कैसे किया गया है ? सीधा-सा प्रश्न यह होना चाहिये।

†**श्री कृष्ण मेनन** : सरकार तो एक ही है लेकिन अध्यक्ष महोदय को भली-भांति पता है कि यह विरोध-पत्र और देख-रेख सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा की जाती है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किसी प्रकार का समन्वय नहीं है। यह संभव है कि जब देश के ऊपर बाहरी संकट का खतरा हो तो इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जायें। जहां तक मुझे ज्ञात है, उन अतिक्रमणों का कोई प्रमाण नहीं था। यही बात थी कि जो प्रधान मंत्री ने कही थी।

†**श्री त्यागी** : क्या इस बात का निश्चय किये बिना ही चीन को विरोध-पत्र भेज दिया गया था कि अतिक्रमण हुआ भी था या नहीं ? यदि सरकार ने अतिक्रमणों के बारे में निश्चय नहीं किया था तो चीन को दिये गये विरोध-पत्र में उन्होंने इस का उल्लेख ही क्यों किया था क्योंकि इस खण्डन से तो उनकी स्थिति कमजोर पड़ जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : उस समय मैं यहां नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल था कि यह प्रश्न लद्दाख क्षेत्र के बारे में था और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के बारे में दिये गये थे। यदि इस मसले के बारे में कुछ संदेह हो तो हम उसे किसी भी समय स्पष्ट करने को तैयार हैं। मेरे ख्याल से इन में कुछ भी विरोधाभास नहीं है। जब प्रश्न लद्दाख के बारे में हो और उत्तर नेफ़ा के संबंध में दिया जाय तो मेरे ख्याल से एक नयी ही परिस्थिति पैदा हो जाती है।

†**श्री त्यागी** : यह अतिक्रमण लेह की ओर हुआ था या नेफ़ा की ओर ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह विरोध पत्र लद्दाख क्षेत्र के बारे में भेजा गया था।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने स्पष्ट रूप से श्वेत-पत्र संख्या ३ में उल्लिखित घटनाओं के बारे में ही एक अल्प-सूचना पत्र भेजा था। मैं स्पष्ट रूप से उसी के बारे में जानना चाहता था। लेकिन उस अल्प-सूचना प्रश्न को यों ही रहने देकर मेरा नाम लद्दाख क्षेत्र वाले प्रश्न में जोड़ दिया गया। जब मेरा नाम अन्य लोगों के साथ जोड़ दिया गया और मेरा प्रश्न विशिष्ट रूप से श्वेत-पत्र संख्या ३ में उल्लिखित अतिक्रमणों की घटनाओं के बारे में था, जो नेफ़ा की आकाश-सीमा के अतिक्रमण से संबंधित थीं, तो संभवतः इन अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है। यह कहा गया है कि इसका संबंध लद्दाख से है। क्या यह नहीं दिखाता कि सरकार की जिम्मेदारी टाली जा रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जायें और उन्हें एक साथ मिला दिया जाय तो प्रतिरक्षा मंत्री उत्तरदायी नहीं होते। जब एक ही विषय पर कई प्रश्न पूछे जाते हैं तो कार्यालय का यह सुझाव होता है कि इन सभी प्रश्नों को मिलाकर एक व्यापक प्रश्न का रूप दे दिया जाय। इस से माननीय सदस्य को यह पूछने पर रोक नहीं लगती कि लद्दाख का क्या हुआ ? ऐसी बात नहीं कि प्रतिरक्षा मंत्री कुछ बात दबा रहे हैं। यदि माननीय सदस्य निश्चय करना ही चाहते हैं तो वे यह प्रश्न पूछ सकते थे।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरा कहना दूसरा ही है। प्रतिरक्षा मंत्री यह कहते हैं कि प्रश्न केवल लद्दाख से संबंधित था और अनुपूरक प्रश्न नेफ़ा की आकाश-सीमा के अतिक्रमण के बारे में, पूछे गये थे। मेरा कहना यह है कि मैं ने नेफ़ा की आकाश-सीमा के अतिक्रमण की घटनाओं के बारे में, जिनका श्वेत-पत्र ३ में उल्लेख किया गया था, अल्प-सूचना प्रश्न पूछा था। लेकिन मुझ से कहा गया कि मेरा नाम दूसरों के प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है क्योंकि यह प्रश्न आकाश-सीमा के अतिक्रमण के बारे में था। इसलिये मैं समझता हूं कि मुझे नेफ़ा की आकाश-सीमा के अतिक्रमण के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि उस प्रश्न की शब्दावली सामान्य हो और यदि मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया हो कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, तो संभवतः वह लद्दाख के बारे में भी हो सकता है। यदि केवल लद्दाख के बारे में हो और माननीय सदस्य ने नेफ़ा के विषय में दिया हो और उसे लद्दाख संबंधी प्रश्न में शामिल कर लिया गया हो तो उन्होंने प्रश्न पूछा भी होगा। यह माननीय प्रतिरक्षा मंत्री की गलती नहीं है।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार सभा को यह आश्वासन दे सकने की स्थिति में है कि भविष्य में आकाश-सीमा के अतिक्रमणों को रोकने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : श्रीमन्, यदि आप कहेंगे तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा । आप अवश्य यह समझते होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में मुझे निश्चय ही अपने विमानों के संचालन के विषय में कुछ न कुछ जानकारी देनी ही पड़ेगी । मैं कोई जानकारी रोक नहीं रखना चाहता ।

†**श्री वाजपेयी** : श्रीमन्, मैं यह व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं । प्रश्न काल का उपयोग मंत्री महोदय से आश्वासन पाने के लिये नहीं किया जा सकता ।

†**श्री त्यागी** : देश यह जानना चाहता है कि प्रतिरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था है या नहीं । इस में कुछ भी गोपनीय बात नहीं है । मैं ने प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों को हरदम यह कहते सुना है कि हम ने पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : गोपनीयता के बारे में माननीय सदस्य की राय दूसरी हो सकती है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : चीन से २१ दिसम्बर, १९५९ को जो टिप्पण मिला है उस में उन्होंने कहा है कि भारतीय विमान पंगोंग झील के क्षेत्र में कोंगका दर्रे की पूर्व की ओर और दो या तीन अन्य स्थानों में चीनी आकाश-सीमा के भीतर प्रवेश कर गये थे । अब मैंने नक्शों को देखा तो पाया कि ये स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर हैं । . क्या भारत सरकार ने चीन सरकार से यह स्पष्ट कर दिया है कि ये सब इलाके भारतीय हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी हां । भारतीय राज्य क्षेत्र का प्रश्न राजनीतिक है । हम कह चुके हैं कि इस क्षेत्र में मैकमहोन लाइन हमारी सीमा है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पंगोंग झील और कोंगका दर्रा लद्दाख में हैं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : यही तो विवाद का विषय है । इसी प्रश्न ने यह नयी परिस्थिति उत्पन्न की है । हम ने कहा है कि यह हमारा राज्य क्षेत्र है । हम ने कहा है कि हम इन में से कोई भी राज्य-क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे । हम ने चीन अथवा अन्य किसी से भी अपनी प्रभुसत्ता के संबंध में रियायत नहीं की है ।

†**श्री अ० चं० गुह** : श्रीमन्, क्या मैं श्री त्यागी के प्रश्न के सम्बन्ध में आप का निर्णय जान सकता हूं ? क्या इस सभा को किसी प्रकार का यह आश्वासन पाने का अधिकार है कि अपनी आकाश-सीमा की रक्षा करने और आकाश मार्ग से होने वाले आक्रमणों को रोकने के लिये आवश्यक पूर्वोपाय कर लिये गये हैं ? यह प्रश्न गोपनीयता के विशेषाधिकार के अधीन है या सभा उत्तर पाने की अधिकारी है ?

†**श्री त्यागी** : हम तानाशाही के अधीन रह रहे हैं । यदि यह आश्वासन तक नहीं दिया जा सकता तो इस देश में कोई लोकतन्त्र नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने मेरी राय मांगी है । माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे आश्वासन न मांगे । स्वयं श्री बाजपेयी ने कहा कि प्रश्न काल का उपयोग इस प्रयोजन के लिये नहीं किया जाना चाहिये इस लिये मैं मौन रह गया । अन्यथा मंत्री महोदय यहां दिये गये अपने वक्तव्य से बंध जाते हैं । और हो सकता है कि आगे जाकर वह उन का पालन न कर पायें । तब यह कहने से कोई लाभ नहीं है कि उन्हों ने कहा तो कुछ था लेकिन उस का वह पालन नहीं कर रहे हैं ।

लेकिन बाद में श्री त्यागी ने यह प्रश्न दूसरे ही रूप में पूछा । उन्हों ने पूछा कि क्या इस बात के पर्याप्त पूर्वोपाय कर लिये गये हैं या नहीं कि इस प्रकार के और अतिक्रमण न हो पायें । मैं इस में कोई हर्ज नहीं समझता । एक बार जब आक्रमण हो चुका है तो यह प्रश्न पूछे गये हैं कि हम ने आगे आक्रमण

---

†मूल अंग्रेजी में

न होने देने के लिये कार्यवाही की है या नहीं। प्रधान मंत्री खुद इन प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं। इसलिये, सभा जानना चाहेगी कि पर्याप्त पूर्वोनिधान किया गया है या नहीं। यह गुप्त बातें कोई नहीं जानना चाहता कि यह कार्य किस प्रकार किया गया है।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं सभा में बार-बार कह चुका हूं कि जहां तक हमारे पास साधन हैं हम ने उन से इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पूर्ण संभव व्यवस्था कर ली है कि भूमि के रास्ते अथवा अन्यथा होने वाले अनाहूत प्रवेश का सामना किया जा सके।

†**श्री त्यागी** : यही तो मैं जानना चाहता था।

†**श्री अ० मु० तारिक** : आसाम में नेफा क्षेत्र में कितने अतिक्रमण सरकार की निगाह में आये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्वेत-पत्र में यह नहीं दिया गया ?

†**सरदार मजीठिया** : जी हां।

तीन वर्ष का डिग्री कोर्स

†

†*८७६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री सरजू पांडेय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या शिक्षा मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पूर्व उत्तर प्रदेश के आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री कोर्स आरम्भ करने का जो निश्चय किया गया था उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) यह नया कोर्स आरम्भ करने से कितना अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है ; और

(ग) भारत सरकार ने १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में अब तक उत्तर प्रदेश के इन चार विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को और राज्य सरकार को इस कार्य के लिये कितना-कितना अनुदान दिया है और १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष में कितना अनुदान देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि कालिजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण पहिले जो खर्चे का अनुमान लगाया गया था उस में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, और राज्य के विश्वविद्यालयों में योजना को कार्यान्वित करने के लिये बढ़े हुए अनावर्ती खर्च के लिये ही नहीं बल्कि आवर्ती खर्च के लिये भी राज्य सरकार को शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य सरकार के संशोधित प्रस्तावों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पूर्व अनुमानित २ करोड़ रुपये के बजाय ९ करोड़ रुपये का व्यय वहन करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को विचारार्थ भेजे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५९–६० में कुछ नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के निर्णय के आधार पर १९६०–६१ में केन्द्रीय अनुदान देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमान्, इस प्रश्न पर काफी दिनों से लिखा पढ़ी चल रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जुलाई से जो नया सत्र आरम्भ होने वाला है, तब तक इस बारे में कोई फैसला हो जायेगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : इस में दिक्कत यह है कि पहले जब उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा थाइस मामले में तो उन्होंने कुछ अनुमान लगाया और उनका ख्याल था कि २ करोड़ रुपये इस के लिये आवश्यक होगा यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन ने उस को मंजूर कर दिया, और कहा कि आप विश्वविद्यालयों का पुनः संगठन शुरू कीजिये। लेकिन फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह लिखा कि उन को ९ करोड़ रुपये की जरूरत होगी। तो अब यह विचार करना पड़ेगा यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन को कि इतना रुपया उन के पास है या नहीं। बहुत कुछ रुपये पर निर्भर करेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विधि अपनाई है उस में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को तो वैसे ही रहने दिया गया है, केवल डिग्री कोर्स को तीन वर्ष का करने का विचार है। क्या शिक्षा मंत्रालय उसकी इस योजना से सहमत है ? क्योंकि इसके कारण उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को दिक्कत पड़ सकती है, इसलिये क्या सरकार कोई समानान्तर स्कीम वहां भी चालू करने का विचार रखती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन का सम्बन्ध है, वह उत्तर प्रदेश की जो कठिनाई है उस को महसूस करता है, और जहां तक हो सकता है इस मामले में सहायता करना चाहता है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश की एक विशेष कठिनाई है और जितनी भी मदद हो सके उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरा प्रश्न यह था कि आप ११ वें दरजे तक हायर सैकेंडरी रखना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश वाले हाई स्कूल और इंटरमीजिएट को भी रखना चाहते हैं और तीन साल का डिग्री कोर्स भी जारी करना चाहते हैं। इस से जो विद्यार्थियों को कठिनाई होगी, उस के लिये क्या कोई समानान्तर स्कीम चलाने का विचार है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल के साथ इंटर मीजिएट लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वह ऐसा का ऐसा बना रहे और और अलग से तीन वर्ष का डिग्री कोर्स हो। तो इस तजवीज को सिद्धान्त रूप से तो युनिवरसिटी ग्रांट्स कमीशन ने मंजूर कर लिया है, लेकिन जहां तक खर्च का सवाल है पहले उन्होंने कहा कि दो करोड़ होगा, बाद में कहा कि ९ करोड़ होगा। दो करोड़ की तो मंजरी दी जा चुकी है लेकिन अब ९ करोड़ के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री च० द० पांडे :** खर्च के अलावा प्रश्न यह नहीं है कि २ करोड़ रुपये व्यय होंगे या ९ करोड़––प्रश्न यह है कि मैट्रिक करने के बाद किसी लड़के या लड़की को कालेज अथवा स्कूल में रहना होगा ; कुछ राज्यों में ११ कक्षाओं के बाद शिक्षा समाप्त हो जाती है, उत्तर प्रदेश में १२ कक्षाओं के बाद विद्यार्थी यूनीवर्सिटी की पढ़ाई आरम्भ करने के अधिकारी हैं––मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस का नौकरी पर कोई असर पड़ता है। क्या सरकार यही समझती है कि केवल धन की ही महत्व है, कालेज में पढ़ाई के वर्षों की संख्या का नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मसले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो बात मानी है वह यह है कि विद्यार्थी को १७ वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात् विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिये, लेकिन क्योंकि वे इसे लागू नहीं करा सके हैं, इसलिये अन्तरिम अवधि के लिये उन्होंने सुझाव दिया है कि विद्यार्थियों को १६ वर्ष पूरे कर लेने के पश्चात् विश्वविद्यालय में प्रवेश करना चाहिये। लेकिन सभी विश्वविद्यालयों के लिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि १२ वर्ष का पाठ्य-क्रम पूरा करने के पश्चात् ही विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में प्रवेश करें, और यदि उत्तर प्रदेश सरकार १२ वर्षीय पाठ्यक्रम के पश्चात् तीन वर्ष का डिग्री कोर्स चला सकती है तो यह निश्चय ही अत्यन्त वांछ-नीय बात होगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में कहा गया है कि राज्य सरकार के पुनरीक्षित प्रस्ताव के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के ६ करोड़ रुपये अधिक व्यय होंगे, और मंत्री महोदय ने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस राशि को, अर्थात् २ करोड़ रुपये से बढ़ कर ६ करोड़ रुपये हो गई राशि देने में समर्थ नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह राशि न दे पाया तो उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष के डिग्री कोर्स का क्या हश्र होगा और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या अन्य कार्यवाही की है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने यह नहीं कहा कि यह राशि उपलब्ध नहीं होगी। मैंने यही कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पुनरीक्षित प्राक्कलन भेजे हैं वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये पुनरीक्षित प्राक्कलन पिछले २ करोड़ के स्थान पर ६ करोड़ रुपयों के हैं, क्या सरकार उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को यह अनुदान उपलब्ध करने से पहले विश्वविद्यालयों की अन्दरूनी कार्य विधि की जांच करने वाली है क्योंकि इधर इन की बड़ी अनियमिततायें प्रकाश में आ रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सम्बन्ध स्तर कायम रखने से है और वह इन विश्वविद्यालयों के विषय में चिंतित भी होगा और यह वह बात सुनिश्चित भी कर लेगा कि उचित स्तर कायम रखा जाय ।

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : क्या सरकार ने इस बात की व्यवस्था के लिये कुछ कार्यवाही की है कि विश्वविद्यालय के पूर्व का पाठ्यक्रम सभी कालेजों में कालेज के पाठ्यक्रम में ही शामिल रहे, इस की पढ़ाई अन्य प्रथक संस्थाओं द्वारा न की जाय ? क्या विश्वविद्यालय से पूर्व का पाठ्य-क्रम कालेजों में ही लागू किया जायेगा या अन्य संस्थाओं को प्रत्यायोजित कर दिया जायगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : प्रत्येक राज्य में अलग-अलग स्थिति होगी। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है वह अपनी मौजूदा व्यवस्था——अर्थात् इंटरमीडियेट कोर्स——में उलट फेर नहीं करना चाहती ।

†**श्री थानू पिल्ले** : विवरण से पता चलता है कि २ करोड़ रुपये के मूल प्रस्ताव पर राज्य सरकार का पुनरीक्षित प्रस्ताव ६ करोड़ रुपयों का है। क्या २ करोड़ रुपयों का मूल प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार ने किया था और तब राज्य सरकार ने पुनरीक्षण कर उसे ६ करोड़ रुपये कर दिया ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मूल प्रस्ताव ही उत्तर प्रदेश सरकार का था और उसे अब पुनरीक्षण द्वारा ६ करोड़ रुपये कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री थानू पिल्लै** : इतने अधिक अन्तर का क्या कारण है ? २ करोड़ का पुनरीक्षण कर ९ करोड़ रुपये हो गये हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कारण बताया है कि उन्हें निकट भविष्य में इन नये प्रकार के कालेजों की स्थापना करनी होगी और वह इन का व्यय भी शामिल करना चाहती है ।

श्री रा० स० तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह तीन-साला कोर्स केवल उत्तर प्रदेश में ही लागू किया जा रहा है, या सारे भारतवर्ष में ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सारे भारतवर्ष में हो रहा है । उत्तर प्रदेश और एक दो जगहों के अलावा करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों ने इस को मान लिया है । कुछ विश्वविद्यालयों ने इस के मुताबिक काम करना भी शुरू कर दिया है । कुछ एक दो साल में शुरू कर देंगे । अधिकतर ने सिद्धान्त में इस को मान लिया है ।

रोल्स रायस 'डार्ट' इंजन

†८७७. **श्री प्र० के० देव**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री अय्याकण्णु :
श्री हेम बरूआ :
श्री गोरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एवों ७४८ यातायात विमानों में इस्तैमाल करने के लिये भारत में राल्स-रायस डार्ट इंजनों के निर्माण हेतु क्या भारत सरकार ने राल्स-रायस लिमिटेड, लन्दन से कोई समझौता किया है ;

(ख) यह इंजन कब और कहां बनाये जायेंगे ; और

(ग) इस के लिये राल्स-रायस कम्पनी को कितना अधिकार-शुल्क आदि दिया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) हां, श्रीमान् । भारत में सभी डार्ट इंजनों को बनाने के लिये राल्स-रायस लिमिटेड, इंग्लैण्ड से समझौता हो गया है । समझौते पर ३०-१२-१९५९ को इंग्लैण्ड में हस्ताक्षर किये गये थे ।

(ख) ये इंजन हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर के नये इंजन कारखाने में बनाये जायेंगे ।

अभी यह बताना कठिन है कि इस कारखाने में १०० प्रतिशत इंजन कब बनेगा । इन इंजनों के उत्तरोत्तर निर्माण के लिये सारी तैयारी करा ली गई है । पहला इंजन पूर्णतः बाहर से मंगाये गये पुर्जों को जोड़ कर बनाया जायेगा ।

(ग) राल्स रायस कम्पनी की स्वीकृति के बिना समझौते की शर्तें बताना ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव** : क्या इस राल्स रायस डार्ट इंजन के सारे पुर्जे भारत में ही बनाये जायेंगे अथवा उन्हें केवल जोड़ा जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : ऐसा धीरे-धीरे किया जायेगा, वह भी कुछ ऐसे आधिस्वामिक पुर्जों को छोड़ कर जिन्हें राल्स रायस भी नहीं बनाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या अन्य सार्थों से ऐसे इंजन बनाने के लिये कहा गया है अथवा केवल इसी कम्पनी को यह काम दिया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : राल्स रायस ही केवल राल्स रायस इंजन बनाते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अधिकार शुल्क रुपये के रूप में दिया जायेगा अथवा आंगल मुद्रा में ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : आंगल मुद्रा में ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में कई विदेशी विशेषज्ञ हैं । ऐसे समझौते करते समय क्या किसी अवस्था में उन विशेषज्ञों की राय ली जाती है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : पूरा सहयोग प्राप्त किया जाता है । साथ ही, प्रविधिक सहायता प्राप्त करने के लिये राल्स रायस के साथ भी हमारा समझौता है जो काफी समय तक रहेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस विमान में काम में आने योग्य इंजन बनाने के लिये कितना समय लगेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : प्रथम प्रक्रम में बंगलौर में ३० इंजन जोड़े जायेंगे जिन के लिये हम ने औजार इकट्ठे कर लिये हैं । दूसरे प्रक्रम में यहां पर उन में से कुछ बनाये जायेंगे । तीसरे प्रक्रम में इस देश में आधिस्वामिक चीजों को छोड़ कर, जिन के बनाने की प्रक्रिया प्रायः गुप्त है तथा जो राल्स रायस द्वारा भी नहीं बनाये जाते, काफी पुर्जे बनने लगेंगे ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : भारत में सारे पुर्जे कब तक बनने लगेंगे ? माननीय मंत्री ने अभी बताया कि यह काम धीरे-धीरे बढ़ाया जायेगा ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं कोई समय सीमा तो निश्चित नहीं कर सकता किन्तु मैं आशा करता हूं कि पांच या छः वर्ष में भारत राल्स रायस के नाम से पुर्जे बनाने लगेंगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** । यह काम सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड सरकारी क्षेत्र में है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस योजना में कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह एक प्रकार से शर्तों को खोलना होगा जोकि हम राल्स रायस से बिना पूछे नहीं कर सकते ।

†**श्री प्र० के० देव** : कानपुर में एवों ७४८ नाम का विमान कब तक बनेगा ? मैं यह जानना चाहता हूं कि राल्स रायस के इंजन बंगलौर में क्यों बनाये जा रहे हैं ? सारा काम एक ही स्थान पर क्यों नहीं किया जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : विमान बनाने की यह सामान्य प्रक्रिया है। इंजन इंजन बनाने के स्थानों में बनाये जाते हैं। विमान अन्य स्थानों में बनाये जाते हैं। यह सोचना गलत है कि न जटिल यंत्रों के मामले में सारी चीज एक ही स्थान पर बनाई जाये। तब या तो हम बना ही नहीं पायेंगे अथवा यह व्यवहार्य नहीं है।

†**श्री हेम बरूआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने विदेशी मुद्रा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह बात सभा में नहीं खोली जा सकती। हमको किस मद में कितना व्यय करना है इसके बारे में वक्तव्य देते समय क्या यह जानकारी जो कि विशेषतः सरकारी क्षेत्र के बारे में हैं, सभा को नहीं दी जा सकती ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मेरा उत्तर कुछ भिन्न था। मैंने यह कहा था कि इन विशिष्ट पुर्जों के लिये ठीक-ठीक कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित होगी इस की जानकारी पूरी तरह से नहीं बताई जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुल कितनी धनराशि अपेक्षित होगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यदि वे पृथक सूचना दें तो हम बता सकेंगे कि हम कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय करेंगे। यह सब की जानकारी के लिये है।

†**श्री त्यागी** : इस प्रकार के वित्तीय मामलों में यह गोपनीयता क्यों रखी गई है ? यह किस के बारे में है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। संघटक पुर्जे, इंजन और अन्य पुर्जों के ठीक ठीक मूल्य में क्या अन्तर है, इसे माननीय मंत्री ने बता दिया है। उन्होंने बताया है कि सभी पुर्जों को मंगाने के लिये जितना धन व्यय करना है, उस की जानकारी देने के लिये सूचना की आवश्यकता है। उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अगला प्रश्न।

†**श्री नागी रेड्डी** : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकार-शुल्क आदि भी हैं। इस के बारे में कुछ भी गोपनीयता नहीं है।

†**श्री प्र० चें० गुह** : समझौते में कुछ अधिकार-शुल्क के बारे में होगा। वह समझौता सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा जा सकता ? बहुत से ऐसे समझौते सभा-पटल पर रखे जाते हैं। मैं यही जानना चाहता हूं कि यह समझौता सभा-पटल पर क्यों नहीं रखा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। इस में औचित्य प्रश्न क्या है ?

†**श्री नागी रेड्डी** : औचित्य प्रश्न यह है। हम प्रविधिक बातों के बारे में नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि वह यह निश्चय करना निस्सन्देह सरकार का ही काम है कि उन्हें सभा-पटल पर रखा जाये या नहीं। किन्तु यह मामला कम्पनी को दिये जाने वाले अधिकार-शुल्क आदि का है जो सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में वित्तीय समझौते के अन्तर्गत आता है। यह सरकारी क्षेत्र का उद्योग है और मेरी समझ में इसे सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये। इस के बारे में कोई भी गोपनीयता नहीं रखनी चाहिये। जब कभी सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों अर्थात् किसी विदेशी समवाय के बीच समझौतों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वे गोपनीय ही हो सकते हैं और सरकार उन्हें सभा-पटल पर नहीं रख सकती है। किन्तु जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, ऐसे समझौते अवश्य सभा-पटल पर रखे जाने चाहियें। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे गुप्त क्यों रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० गुह** : यह प्रथा रही है और अध्यक्ष महोदय का भी निदेश है कि ऐसे सभी समझौतों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये । इन समझौतों की प्रतियां सभा-पटल पर क्यों नहीं रखी जा सकीं ? वित्तीय मामलों में कोई भी गोपनीयता नहीं बरती जा सकतीं ?

†**श्री त्यागी** : वित्त सम्बन्धी विशेषत: व्यय सम्बधी मामलों में यह सभा किसी भी मंत्रालय को गोपनीयता बरतने की अनुमति नहीं दे सकती । यह जानकारी देने से कि कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी किसी भी देश को हमारी शक्ति अथवा युद्धशस्त्रों की जानकारी नहीं होगी । अत: वह प्रश्न पैदा ही नहीं होता । वित्त सम्बन्धी मामलों में आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि सरकार गोपनीयता का बहाना न ढुंढ़े ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि आंगल मुद्रा में भुगतान किया जायेगा । अत: हमें जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । यह मामला बार-बार उठा है । प्रथा यह रही है कि जब कभी माननीय मंत्री यह कहते हैं कि यह गुप्त है तो पीठासीन व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं करता । अब वित्त के बारे में प्रश्न पूछा गया है । यह एक बड़ा मामला है और मैं इसकी परीक्षा करूंगा । तब तक यदि कोई मंत्री यह अनुभव करें कि विषय गोपनीय है, तो मैं उन से सारी बातें स्पष्ट करने के लिये कहूंगा । कौन सा मामला कैसा है, यह निश्चय करना मेरा काम है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, मोटे तौर पर, सभा को जानकारी मांगने का अधिकार है । किन्तु जहां तक किसी पुर्जे की कीमत का सम्बन्ध है, उस के बतान में कठिनाई पैदा होती है क्योंकि यदि उन्हें यह मालूम होगा कि यह बात सब को बताई जाने वाली है, तो हम विक्रेता से कम कीमत पर चीज नहीं प्राप्त कर सकते । मैं केवल विशिष्ट पुर्जों की ही बात कर रहा हूं, विदेशी मुद्रा के सामान्य प्रश्न अथवा अन्य वित्तीय मामलों के बारे में नहीं । यही कठिनाई है जो मैं आपके समक्ष रखता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मामला स्पष्ट है । जहां तक वित्तीय मामलों का सम्बन्ध है, केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जिन के खोलने में कुछ जटिलता पैदा हो सकती है, हम समय-समय पर इसका निश्चय करेंगे कि जानकारी सभा के समक्ष खोली जाये अथवा नहीं ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** :इस का तात्पर्य यह हुआ कि प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर सरकार द्वारा बाद में दिया जायेगा ?

†**श्री रघुनाथ सिंह** : अधिकार-शुल्क के बारे में क्या रहा ?

†**श्री प्र० चं० गुह** : क्या कम्पनी को और भी भुगतान किया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: यदि समझौता हो चुका है तो प्रतियोगिता की कोई कठिनाई नहीं रह जाती ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : कुछ मामलों में हमारे साथ जो शर्तें तय हुई हैं वे अन्य देशों के साथ की जाने वाली शर्तों से कहीं अधिक हमारे पक्ष में हैं । यदि सम्बन्धित पक्ष यह जानते हों कि इस पर चर्चा होगी तो उससे उनके व्यापार पर धक्का पहुंचेगा और हमें वे शर्तें नहीं मिलेंगी । यह स्थित है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां

\+

†*८७८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री द० अ० कट्टी :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दलजीत सिंह :
श्री झूलन सिंह :
श्रीमती मिनीमाता :
श्री सिद्धय्या :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री कुन्हन :
श्री साधू राम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिये राज्य सरकारों के जरिये छात्रवृत्तियों का वितरण १९५९-६० में किस प्रकार किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में न तो विद्यार्थियों को कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और न जनवरी, १९६० के प्रथम सप्ताह तक उन्हें यह बताया गया कि उन्हें चुन लिया गया है अथवा नहीं ;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य सरकार ने विनियमों में उल्लिखित दरों से ही छात्रवृत्तियां दी हैं ; और

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में छात्रवृत्तियों के वितरण का विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) देश के अन्दर पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद पढ़ाई के लिये छात्र-वृत्तियां देने की योजना के १९५९-६० से विकेन्द्रीकरण के परिणामस्वरूप, १९५९-६० के लिये इस योजना के हेतु उपलब्ध धन राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इन वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और सम्बन्धित राज्य सरकारें/संघ प्रशासन भारत सरकार द्वारा उपबन्धित सिद्धान्तों के अनुसरण में उन छात्रवृत्तियों का वितरण कर रहे हैं।

(ख) भारत सरकार ने समय-समय पर उपयुक्त किश्तों में धन दिया है ताकि राज्य समय पर छात्रवृत्तियां दे सकें । उन्हों ने राज्य सरकारों को स्पष्ट हिदायतें दी हैं कि छात्रवृत्तियां बिना

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी विलम्ब के दे दी जायें । भारत सरकार को ऊपर बताये गये मामलों की कोई जानकारी नहीं है किन्तु राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में सारी जानकारी देने को कहा गया है जो प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सब राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से भारत सरकार द्वारा बताई गई दरों पर छात्र-वृत्तियां देने को कहा गया है । राज्य सरकारों से यह पता लगाने के लिये कहा गया है कि उन्होंने ऐसा किया है और जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी, उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

(घ) नवीनतम जानकारी केवल राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों के पास ही है और उन से उस जानकारी को भारत सरकार को भेजने के लिये कहा गया है । उस के प्राप्त होते ही, वह सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

इस सम्बन्ध में, मैं सभा को यह और बताना चाहता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा इन छात्र-वृत्तियों के देने में संभवत: कुछ देरी हुई है । जैसाकि सभा को ज्ञात है, योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया था और जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों की इच्छानुसार खर्च करने के लिये धन दे दिया गया था । किन्तु उचित कार्य व्यवस्था बनाने आदि में प्राय: उन को कुछ समय लगा । अत: छात्रवृत्तियां देने में कुछ विलम्ब हुआ । मुझे इस बात का दु:ख है कि काफी विद्यार्थियों को असुविधा हुई है । हम ने राज्य सरकारों को पूरी रिपोर्ट देने के लिये कई बार लिखा है । बाद को मैं सभा को बताऊंगा कि कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिली हैं । राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि यदि उन्हें अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो वे गृह-मंत्रालय को लिखें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वक्तव्य को देखते हुए इस विषय में कुछ और कहना ठीक है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : वक्तव्य के भाग (क) में कहा गया है :

> "इन वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं और संबंधित राज्य सरकारें/संघ प्रशासन भारत सरकार द्वारा उपबन्धित सिद्धान्तों के अनुसरण में उन छात्र-वृत्तियों का वितरण कर रहे हैं ।"

मैंने यह प्रश्न गत जनवरी में भेजा था । आज १६ मार्च है और ३१ मार्च बहुत निकट है । सरकार यह कह सकती है कि छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कठिनाई यह है कि हमें राज्य सरकारों से पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है । हम ने उन के पास कई पत्र व तार भेजे हैं और हम ने उन से यथाशीघ्र रिपोर्ट भेजने के लिये कहा है और यदि सभा चाहे तो मैं राज्य सरकारों से प्राप्त विवरण पढ़ सकता हूं । किन्तु उनसे सभा को संतोष नहीं होगा क्योंकि वास्तविक स्थिति जानने के लिये अब हमें राज्य सरकारों से अन्तिम रिपोर्ट मिलनी चाहिये । सभा पटल पर रखने में मुझे कुछ समय लगेगा । यह मेरे हाथों में नहीं है। राज्य सरकारों के जरिये ही अब छात्रवृत्तियों का वितरण किया जा रहा है और हमें राज्य सरकारों से रिपोट प्राप्त करनी होंगी ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार ने राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे हैं और स्पष्ट हिदायतें दी हैं कि बिना किसी विलम्ब के छात्रवृत्तियां दे दी जायें । किन किन तारीखों को कितने परिपत्र राज्य सरकारों को भेजे गये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं अभी यह जानकारी नहीं दे सकता कि हम ने राज्य सरकारों को कितने पत्र भेजे हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : वे कम से कम यह तो बता सकते हैं कि कितने परिपत्र भेजे गये हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरे पास इस समय उस की जानकारी नहीं है ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : माननीय मंत्री को ठीक-ठीक यह जानकारी नहीं है कि किन-किन तारीखों को कितने परिपत्र भेजे गये । क्या उन को यह मालूम है कि आखिरी परिपत्र किस महीने में भेजा गया था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं सारी जानकारी सभा-पटल पर रखूंगा । जहां तक धन का संबंध है, पहली किस्त अगस्त, १९५९ के प्रारम्भ में दी गई थी। दूसरी किस्त अक्तूबर, १९५९ में दी गई थी । आखिरी किस्त फरवरी, १९६० में दी गई थी । जहां तक भारत सरकार का संबंध है, जितना धन हमारे पास था हमने सब दे दिया है और हम ने राज्य सरकारों को लिखा है कि यदि वे अतिरिक्त धन चाहें, तो वे गृह-मंत्रालय को लिखें । यदि माननीय सदस्य यह जानने के लिये उत्सुक हों कि हम ने कितनी बार राज्य सरकारों को लिखा है, तो मैं सारी जानकारी सभा-पटल पर रखूंगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विद्यार्थियों के चुनाव तथा छात्रवृत्तियों के वितरण संबंधी इन दो गत्यावरोधों को दूर करने के लिये सरकार क्या करने जा रही है ? क्या सरकार इन गत्यावरोधों दूर करमे के लिये कोई समिति नियक्त करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : किसी समिति की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकारें इस का अच्छी तरह प्रबन्ध कर सकती हैं । प्राय: इस वर्ष इस काम को करने के लिये उन के पास कोई व्यवस्था नहीं थी । मुझे आशा है कि अगले वर्ष कोई कठिनाई नहीं होगी ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : एक प्रश्न के उत्तर में कि पिछड़े वर्गों को तय करने के लिये कसौटी निश्चित करने के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है, इस महीने की ३ मार्च को गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री, श्री दातार ने कहा था कि अभी विषय विचाराधीन है । जबकि पिछड़े वर्ग तय करने वाली कसौटी पर विचार किया जा रहा है, तो फिर पिछड़े वर्गों को यह छात्रवृत्तियां किस आधार पर दी जा रही हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : गृह-कार्य मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और सभा को बताया था कि केन्द्रीय सरकार इस के लिये जो कसौटी निश्चित करना चाहती है उस के बारे में क्या स्थिति है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : माननीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों को तीन किस्तों में अनुदान दिया गया है जिस में से अन्तिम किस्त फरवरी १९६० में दी गई है । इस अनुदान को तीन किस्तों में क्यों दिया गया तथा आखिरी किस्त देने में इतनी अधिक देर क्यों कर दी गई जिस से वह फरवरी, १९६० में दी जा सकी, क्योंकि हो सकता है इसी कारण से राज्य सरकारों को छात्र-वृत्तियां देने में कठिनाई हुई हो ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह कारण बिल्कुल भी नहीं था । हम ने राज्य सरकारों को बताया है कि कितना धन उपलब्ध होगा और हम ने नीति निर्धारित कर दी है । उस नीति में एक जगह परिवर्तन किया गया था किन्तु जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उस वजह से विलम्ब नहीं हुआ है । देरी का कारण यह था कि कुछ वित्तीय कठिनाइयों व हेर फेर के कारण राज्य सरकारों को उपयुक्त मशीनरी स्थापित करने में देर लगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री सोनावने : छात्रवृत्तियों के योग्य विद्यार्थियों को क्या उतनी ही छात्रवृत्ति मिल रही हैं जितनी कि केन्द्र द्वारा दी जाती थी अथवा इस में कुछ कमी अथवा वृद्धि की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हम ने राज्य सरकारों को यह निश्चित हिदायतें दी हैं कि एक सी नीति होनी चाहिये । छात्रवृत्तियों की दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा तय की जाती हैं ।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि कुछ राज्य सरकारों ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई हिदायत के अनुसार काम नहीं किया है और इसी कारण से यह कठिनाई व पक्षपात हुआ है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं, श्रीमान् । यह एक निश्चित हिदायत है । हम ने राज्य सरकारों की इच्छा पर धन छोड़ दिया है । यह आशा की जाती है कि राज्य सरकारें तदनुसार काम करेंगी । यदि माननीय सदस्य को इस विषय में कोई निश्चित शिकायत करनी हो, वे मुझे बताने की कृपा करें और मैं उस को देखूंगा ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : सरकार ने इन मामलों में सलाह देने के लिये अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिमजातियों के लिये मंत्रणा बोर्ड नियुक्त किये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में कि क्या इस का विकेन्द्रीकरण किया जाये, इन मंत्रणा बोर्डों से परामर्श किया गया था ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी हां । बोर्ड से परामर्श किया गया था तथा उस ने ऐसी सलाह भी दी थी ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

+

†*८७९. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना के अवायुक्त पदाधिकारियों[1] और अन्य पदों के अफसर जिन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला होता रहता है उन के बच्चों को शिक्षा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उन की पढ़ाई को जारी रखने के लिये कुछ छात्रावास बनने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रतिरक्षा मंत्रालय प्रतिरक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के बारे में किसी भी विशेष योजना पर विचार नहीं कर रही है जिन का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान को होता रहता है । फिर भी शिक्षा मंत्रालय को सारी राज्य सरकारों के पास से यह आश्वासन मिला हुआ है कि भारत सरकार के कर्मचारियों को जिस में सेना कर्मचारी भी शामिल हैं, राज्य के स्कूलों और कालेजों में सभा के मध्य में भी यदि उन के अभिभावकों के तबादले के कारण आवश्यकता हुई तो उन्हें भर्ती करने में पूरी सहायता की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Junior Commissioned Officers.

२. सेना कर्मचारियों के बच्चों को यदि छात्रावासों में रख दिया जाये तो भी उन की शिक्षा में पड़ने वाली बाधा रोकी जा सकती है। सेना कर्मचारियों, जिस में अवायुक्त पदाधिकारी तथा अन्य पद भी शामिल हैं, के बच्चों के लिये आवास संबंधी एवं अन्य रियायतें और स्थानों का संरक्षण, छात्र-वृत्तियां देने एवं फीस जमा करने की सुविधायें निम्न चार किंग जार्ज कालेजों में, जो अजमेर, बंगलौर, बेलगाम और नौगांव में स्थित हैं, दो लारेंस स्कूलों में, जो सनावर और लवडेल में स्थित हैं और राष्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज (जो पहले सैनिक स्कूल कहलाता था) और जो देहरादून में स्थित है, उपलब्ध हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से जान पड़ता है कि शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में राज्य सरकार से चर्चा की है। कुछ स्थान नियत कर दिये हैं कि विवरण के दूसरे पैराग्राफ में यह सुझाव दिया गया है कि अजमेर, बेलगांव, और नौगांव में स्थित किंग जार्ज स्कूलों में छात्रों को भर्ती कराया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को पता है कि इन स्कूलों की फीस आदि इतनी अधिक है कि अन्य पदों के लोग इतना खर्च नहीं बर्दाश्त कर सकते। इन कठिनाइयों को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि छात्रावास बनवाये जायेंग जिस से पिता के तबादले के समय छात्रों की पढ़ाई में बाधा न पड़ने पाये ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : स्थिति जैसी बताई गई है वैसी नहीं है। इस में सन्देह नहीं कि अन्य स्कूलों की तुलना में इन स्कूलों में फीस बहुत अधिक है किन्तु अवायुक्त पदाधिकारी तथा अन्य पदों के लोगों को अपने वेतन का केवल दस प्रतिशत देना पड़ता है। जहां तक छात्रावासों का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इन पब्लिक स्कूलों के अलावा, जिन में छात्रावास हैं, अन्य कहीं छात्रावास नहीं देती। कुछ छात्रावास ऐसे हैं जो रेजिमेण्ट की यूनिटों ने अपनी स्वेच्छा से बनाये हैं जैसे रानीछेत में। किन्तु उस में सरकारी छात्रावास नहीं है और उस के लिये कोई विचार भी नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सशस्त्र सेना के लोगों ने अपने परिश्रम से बहुत से छात्रावास तथा अन्य चीजें बनाई हैं, मैं जानना यह चाहता था कि क्या सेना की सहायता से कुछ और छात्रावास बनाये जाने वाले हैं जिस से कि बच्चे अपने माता-पिता के साथ रह सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, ऐसा कोई विचार हमारे सामने नहीं है।

दिल्ली में शराब का उपभोग

†*८८०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली और नई दिल्ली में शराब का उपभोग बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) कम नशीले पेय जैसे बियर के उपभोग में कुछ वृद्धि हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसके कारण निम्न हैं :—

(१) जनसंख्या में वृद्धि;

(२) विश्व कृषि मेले आदि के सिलसिले में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दिल्ली आना;

(३) अधिक नशीले पेयों की तुलना में कम नशीले पेयों को अधिमान्य देना;

सरकार ने जो आवश्यक समझी कार्रवाई की है वह इस बात की भी निगरानी कर रही है कि जो परिणाम निकला है उसे देखते हुए और आगे भी कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि शराब में एल्कोहल की मात्रा पिछले साल कम कर दी गई थी और इसीलिए इसका अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है ? . . . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि सभी तरह की शराबों की मात्रा को देखा जाय तो उसका उपभोग नहीं बढ़ा है। उस में तो कमी हो गई है। पिछले दस महीनों में, उदाहरणार्थ, शराब की कुल मात्रा एवं अन्य चीज़ों की मात्रा मिलाकर ३,३६,००० गैलन थी। इस वर्ष के दस महीनों में यह मात्रा ३,३९,००० गैलन थी। इस कम उपभोग में भी जो वृद्धि हुई है वह अधिकांश रूप में भारत में तैयार की गई बियर की हुई है जो १,६०,४५१ गैलन से बढ़ कर १,८०,४९८ गैलन हो गई है। अतः यह कुल मात्रा घट गई है। जिस स्प्रिट और शराब में एल्कोहल की मात्रा अधिक थी उसके बजाय बियर मिला दी गई है।

†**श्री सूपकार** : कुछ महीने पहले एक समाचार छपा था कि सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को मद्यनिषेध के मामले में दिल्ली के नमूने का पालन करने की सलाह दी है। क्या यह सच है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : जहां तक मुझे पता है सरकार ने ऐसी कोई राय किसी को नहीं भेजी है।

†**श्री जाधव** : क्या शराब के अवैध रूप से खींचे जाने में कोई वृद्धि हुई है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं ऐसा नहीं समझता किन्तु कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है क्योंकि अवैध रूप से जिन स्थानों में शराब खींची जा रही है, जब तक कि उसका पता न लग जाय तब तक उसको शामिल नहीं किया जा सकता किन्तु जहां तक मुझे पता है इस में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या दिल्ली में पूर्णरूपेण मद्यनिषेध करने का विचार है ? क्या दिल्ली के राजधानी क्षेत्र में पूर्ण मद्यनिषेध करने का विचार है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे इसका पता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारे उन लोगों का क्या होगा जो विदेशी दूतावासों में जाकर मनमानी शराब पीते है ? क्या उपभोग में यह वृद्धि कुछ अंशों में इसी के कारण है ? यदि हां, तो वह कितने प्रतिशत ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : ऐसे व्यक्तियों के लिए दूतावास तीर्थ स्थानों के समान पवित्र स्थल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

छिद्रण कार्य कर्मचारी[1]

+

†*८८१. { श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्बे और ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण संस्थायें खुल गई हैं;

(ख) प्रति वर्ष कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ;

(ग) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन संस्थाओं से छिद्रण कार्य कर्मचारियों की देश की आवश्यकता पूरी हो जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो आवश्यकता पूरी करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा): (क) जी हां। ज्वालामुखी का स्कूल अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था क्योंकि वहां छिद्रण कार्य स्थगित कर दिया गया है।

(ख) लगभग दो सौ।

(ग) जी हां, जहां तक छिद्रण कार्य कर्मचारियों की निम्न श्रेणियों का सम्बन्ध है।

(घ) उच्च श्रेणियों में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अन्य देशों को प्रतिनिधिमण्डल भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा है और विदेशी विशेषज्ञ तथा छिद्रण कार्य कर्मचारी भी ठेके पर प्राप्त किये जा रहे हैं।

†श्री नागी रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में छिद्रण कार्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने गैर सरकारी तेल कम्पनियों से जो कि तेल की खोज कर रही हैं उन के साथ इस बात का प्रबन्ध किया है कि वे ज्यों-ज्यों काम बढ़ता जाये छिद्रण कार्य में हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : गैर-सरकारी तेल कम्पनियों और सरकार के बीच यह समझौता है कि जहां तक उनके लिए संभव होगा वे अपने क्षेत्र में छिद्रण कार्य में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधायें सरकार को देंगी। किन्तु चूंकि उन्हें अपना काम शीघ्र ही समाप्त करना है और सामान्यतः वे ठेके पर काम कराती हैं, इस कारण हमारे लोगों को प्रशिक्षण देना उनके लिए उपयुक्त नहीं होता।

†श्री नागी रेड्डी : छिद्रण के क्षेत्र में गैर-सरकारी कम्पनियों में कितने भारतीय काम कर रहे हैं ?

†श्री के० दे० मालवीय : मेरे पास यहां इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं।

†श्रीमती रेणुका राय : जहां तक स्टानवक जैसी तेल कम्पनियों का सम्बन्ध है क्या सरकार इस उत्तर से सहमत है कि हमारे छिद्रण कार्य करने वालों को प्रशिक्षण देने का अवसर नहीं दे सकना उनके लिए सम्भव नहीं है ? छिद्रण कार्य करने वाले कितने भारतीय उनके पास हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Drilling Personnel

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे करार के अनुसार वे हमारे टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण देने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता दे रहे हैं । किन्तु जहां तक वास्तविक छिद्रण का सम्बन्ध है, उनका प्रथम उद्देश्य एक छिद्र का छिद्रण शीघ्र ही समाप्त करना है । अतः व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए छिद्रण स्थल पर सदैव रखना उनके लिए मौजू नहीं है । फिर भी कुछ प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था उन्होंने की है ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय मंत्री ने अभी जो वक्तव्य दिया है उसे देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह चीज़ उन टेक्निकल व्यक्तियों के साथ लागू होती है जो पहले से ही मोरन और नाहरकटिया में तेल के कुओं के छिद्रण कार्य में सेवा में लगे हुए हैं और क्या कम्पनी भारतीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम अभी अभी प्रशिक्षण के लिए नाहरकटिया और मोरन किसी भी व्यक्ति को नहीं भेज रहे हैं । हम ने प्रशिक्षण के लिए अपना प्रबन्ध कर लिया है ।

†**श्री नागी रेड्डी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि सरकारी क्षेत्र में छिद्रण कार्य हो रहा है इसलिए हम छिद्रण कार्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । इसी प्रकार गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को प्रशिक्षण देने में क्या कठिनाई हो रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अन्तर स्पष्ट है । हम अपने व्यक्तियों को अपना संगठन बनाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहते हैं । विदेशी कम्पनियां जितनी भी जल्दी हो सके तेल निकालना और उससे लाभ कमाना चाहती हैं ।

†**श्री नागी रेड्डी** : क्या इसका मतलब यह है कि हम तेल नहीं निकालना चाहते और हम केवल छिद्रण कार्य में ही चाव रखते हैं ? ऐसी कोई बात नहीं है । मेरा प्रश्न स्पष्ट था । हमें छिद्रण कार्य को जल्दी करने का अनुभव है और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का भी अनुभव प्राप्त है जब कि विदेशी कम्पनियां जो कि यद्यपि काफी समय से बनी हुई हैं, हमारे छिद्रण कार्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण नहीं दे रही हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने विदेशी कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्रवाई की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम अब व्यवस्था कर रहे हैं । हम ने अपने ही तेल क्षेत्रों में अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सन्तोषजनक प्रबन्ध कर लिया है । अतः गैर-सरकारी तेल छिद्रण ठेकेदार और हमारे बीच आज जो अन्तर है वह स्पष्ट है और हम उन से केवल उतनी ही सहायता ले सकते हैं जितनी वे हमें खुशी से देने को तैयार हैं ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या माननीय मंत्री कृपया यदि अभी सम्भव न हो तो बाद में सभा-पटल पर इस सम्बन्ध में जानकारी रखने की कृपा करेंगे कि विदेशी कम्पनियों में छिद्रणकर्ता के रूप में कितने भारतीय नौकर हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । विदेशी तेल कम्पनियों में छिद्रणकर्ता के रूप में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय नौकर हैं और मैं इसकी जानकारी सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : क्या विदेशी कम्पनियों से जो करार हुआ है उस में पारिश्रमिक सम्बन्धी खंड नहीं है कि उन्हें भारतीयों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, उस में इसके बारे में एक खंड भी है और हमें उनसे प्रशिक्षण मिल भी रहा है किन्तु यह प्रश्न विशिष्ट रूप से छिद्रण तकनीक के बारे में था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अरविन्द घोषाल** : इन प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : छिद्रणकर्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक प्रक्रम के लिए भिन्न-भिन्न हुआ करती है । जहां तक निम्न श्रेणी के लोगों का सम्बन्ध है, केवल साधारण मैट्रीकुलेट भी भर्ती कर लिये जाते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मंत्री महोदय के उत्तर से जान पड़ता है कि विदेशी कम्पनियों के साथ जो करार हुए हैं उनमें एक खण्ड यह है कि उन्हें भारतीयों को प्रशिक्षण देना चाहिये । छिद्रण में प्रशिक्षण देने के लिये उन्होंने कितने भारतीय प्रशिक्षणार्थी लिये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : उनकी संख्या मेरे पास अभी यहां पर मौजूद नहीं है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं किन्तु अनेक व्यक्ति प्रशिक्षण लेते गए हुए हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : उनकी संख्या कितनी है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं कह चुका हूं कि मेरे पास यहां उसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं ।

'आनन्द बाजार पत्रिका' को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण

†*८८२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आरोप की कोई जांच की है कि जीवन बीमा निगम द्वारा आनन्द बाज़ार पत्रिका लिमिटेड, कलकत्ता को जो ऋण मंजूर किये गए थे उनका भुगतान नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार का फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई करने का विचार नहीं है । भारत के जीवन बीमा निगम को इस समस्या का पता लग गया है और वह राशि की वसूली के लिये आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : प्रधान मंत्री के इस कथन के बाद कि वह जीवन बीमा निगम का पैसा समाचारपत्रों में नहीं लगाना चाहेंगे क्या जीवन बीमा निगम द्वारा समाचारपत्र में विनियोजन के सारे मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह राशि १९५१ में हिन्दुस्तान कोआपरेटिव इन्श्योरेंस सोसाइटी द्वारा दी गई थी जबकि जीवन बीमा निगम उसके बाद बना है । अब ऋण की वसूली करने का उत्तरदायित्व जीवन बीमा निगम पर है और ऋण की वसूली के लिये प्रत्येक संभव कार्रवाई की जा रही है ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : इस समय कितनी राशि बकाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : ३१ दिसम्बर, १९५९ को बकाया राशि २०,९८,५१४ रुपये थी।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या यदि सम्पत्ति को बन्धक रख दिया जाय तो यह सारा ऋण वसूल हो सकता है और यदि ऐसा है तो क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ सम्पत्ति अपने कब्जे में ली है और वह राशि जीवन बीमा निगम को देने के लिये बंगाल सरकार के पास पड़ी है? यदि हां, तो वह राशि कितनी है?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यह ऋण जितनी राशि वसूल की गई है उससे अधिक है क्योंकि जो सम्पत्ति जमानत के रूप में ली गई थी उसका मूल्य ४७,९९,५८२ रुपया आंका गया था ; उसमें से कुछ सम्पत्ति पहले ही बेची जा चुकी है और जितना ऋण वसूल किया गया है वह राशि ६ लाख, ४० हजार रुपया है।

†**श्री अ० चं० गुह**: मैं यह कहना चाहता था कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने कुछ सम्पत्ति अपने कब्जे में ले ली है और उस सम्पत्ति के मूल्य का भुगतान जीवन बीमा निगम को करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार के पास वह राशि पड़ी हुई है। यदि ऐसा है, तो वह राशि कितनी है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : यह हमें पता नहीं है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या प्रेस आयोग ने यह जो कहा है कि भारत के समाचारपत्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उनके पास पूंजी की कमी है, और इसी कारण उन्हें सदैव कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, सरकार को इसका पता है? क्या सरकार इसके लिये कोई कार्रवाई कर रही है कि यह अखबार बन्द न हो और वह बराबर निकलता रहे क्योंकि वह सुरेश मजूमदार जैसे महान देशभक्त द्वारा निकाला गया था?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनका प्रश्न नहीं समझ सका।

†**श्री जोकीम आल्वा** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी ठोस कार्रवाई करने जा रही है जिससे कि यह अखबार बन्द हो जाय क्योंकि यह अखबार सुरेश मजूमदार नामक एक महान देशभक्त द्वारा निकाला गया था?

†**श्री मोरारजी देसाई** : सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई तो जीवन बीमा निगम द्वारा की जा रही है और यदि वसूली के दौरान में किसी को हानि उठानी पड़ती है तो उसको नहीं रोका जा सकता है।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीया उपमंत्री ने कहा है कि कोई भी जांच नहीं की जा रही है। किन्तु किस्त की भुगतान संबंधी स्थिति क्या है? क्या काफी किस्तें बाकी हैं?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : वह सितम्बर, १९५९ से आगे बराबर २०,००० रुपये प्रतिमास के हिसाब से भुगतान कर रहे हैं किन्तु इसी बीच जीवन बीमा निगम के इंजीनियरिंग विभाग ने कुतुब रोड की एक सम्पत्ति का मूल्यांकन किया है और संभवत: जीवन बीमा निगम उसे खरीदने की सोच रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जबकि जो ऋण उसने लिया है उसका भुगतान नहीं किया तो फिर सरकार कुतुब रोड की सम्पत्ति खरीदने का विचार क्यों कर रही है जबकि स्पष्ट है कि वह भी ऋण के बदले बन्धक रख दी गई होगी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : निस्सन्देह वह सम्पत्ति जीवन बीमा निगम की ज़मानत में थी और अब वह ऋण वसूल करने के लिये ही इस सम्पत्ति को खरीद रहा है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उसे खरीदने की क्या ज़रूरत है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

लद्दाख का पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†*८८३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय पुरातत्व विभाग आगामी ग्रीष्म में लद्दाख क्षेत्र में सर्वेक्षण आरम्भ करेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : जी हां ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या कोई स्थान चुन लिया गया है और वहां लद्दाख की पुरानी हस्तलिपियां रखी गयी हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : सर्वेक्षण की कोई योजना तैयार नहीं की गई है। एक सर्वेक्षण दल पहले जाएगा और इसका भावी कार्यक्रम वहां मिलने वाली हस्तलिपियों आदि संबंधी जानकारी पर निर्भर होगा।

†**श्री अ० मु० तारिक** : जब से भारत सरकार ने जम्मू और काश्मीर के पुरातत्व विभाग प्रभार संभाला है, क्या प्रगति हुई है ?

†**डा० म० मो० दास** : हमारे संविधान की सप्तम अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के पुराने स्मारकों, पुरातत्वीय स्थान और अवशेषों के रक्षण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है। संविधान के सप्तम संशोधन से यह जम्मू और काश्मीर पर लागू हो गया है और तदनुसार संघ के पुरातत्व विभाग ने १ जुलाई, १९५८ को कुछ स्मारकों का प्रभार संभाल लिया था।

जनौरी और बथुला में तेल के लिये छिद्रण

\+

†*८८४. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि होशियारपुर जिले के जनौरी और बथुला स्थानों पर तेल की खोज में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रज़ी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :

जनौरी :

भूकम्पीय उष्मता सर्वेक्षण के परिणामों का हिसाब लगाने के उपरांत एक नया स्थान मालूम किया गया था। इस समय वहां गहरा प्रयोगात्मक कूंआ खोदने के लिए निर्माण कार्य और नीवं भरने का कार्य किया जा रहा है।

बथुला :

प्रयोग करने के पश्चात् कूंआ छोड़ दिया गया था, क्योंकि वहा पर्याप्त मात्रा में हाइड्रो कारबन नहीं था।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या बथुला में तेल की खोज के लिये खुदाई कार्य बिल्कुल छोड़ दिया गया है?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : जी, हां। बथुला में छोड़ दिया गया है। कुछ अग्रेतर प्रारम्भिक कार्य के उपरांत हम दूसरे स्थान पर खुदाई करेंगे।

†श्री दी० चं० शर्मा : बथुला के पास कितने क्षेत्र में खुदाई शुरू होने वाली है?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि जहां कुछ और खुदाई करनी होगी उस क्षेत्र का सीमांकन करने के लिये कुछ और काम करना होगा।

†श्री दलजीत सिंह : क्या जनौरी को मिलाने वाली सड़क पूर्ण हो चुकी है, जिसके बारे में, माननीय मंत्री के पहले दिये गये वक्तव्य के अनुसार, कुछ कठिनाई पेश आई थी?

†श्री के० दे० मालवीय : जनौरी को मिलाने वाली सड़क में कुछ कठिनाइयां आई हैं। हम इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमें भारी सामान ले जाने में भी कुछ कठिनाई हो रही है। जो कुछ संभव है किया जा रहा है।

†श्री हेम राज : जनौरी में खुदाई कार्य कब शुरू किया जाएगा?

†श्री के० दे० मालवीय : अभी तो हम वहां पानी के प्रबन्ध के लिये खुदाई कर रहे हैं। यह खुदाई करनी होगी, और तब सड़कें बनाने, सामान लाने और नींव आदि रखने का काम करने का प्रश्न आयगा। मैं समझता हुं आगामी तीन या चार महीनों म खुदाई का काम आरम्भ हो जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून

†*८८५. **श्री ब० च० मलिक :** क्या प्रातरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सैनिक अकादमी के समीप बम फटने से डून हस्पताल में एक भंगी का लड़का मर गया था;

(ख) क्या यह सच है कि नवम्बर १९५९, के अन्तिम सप्ताह में आग बुझाने और 'आटलरी' अभ्यास के पश्चात् सैनिक अकादमी के जैंटलमैन कैडिटों ने बम छोड़ दिया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी दुर्घटना १९५७ में भी हुई थी ;

(घ) क्या इस मामले की जांच की गई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां । २५ दिसम्बर १९५९ को दुर्घटना हुई थी, जब दो लड़कों ने भारतीय सैनिक अकादमी के समीप गोली चलाने वाले क्षेत्र से एक 'ब्लाइंड' बम उठा लिया और इसे छेड़ने लगे । बम फट गया और दोनों लड़के घायल हो गये, जिनमें से एक अगले दिन मर गया ।

(ख) भारतीय सैनिक अकादमी के कैडिटों के सामने किये गये प्रदर्शन और उन के अभ्यास के पश्चात् शस्त्रास्त्र चलाने के मैदान में एक ३ इंच मोर्टर वाला बिना फटा बम बच गया । १-१२-'५९ को अभ्यास समाप्त होने पर वह क्षेत्र ५ दिन के लिये निषिद्ध घोषित कर दिया गया जिसमें, जितने 'ब्लाईंड' बमों का पता था, उन सब को नष्ट कर दिया गया । जिस बम से उपरोक्त दुर्घटना हुई उसका पता नहीं चला, क्योंकि यह शायद भूमि के नीचे दब गया था ।

(ग) जी, हां । शास्त्रास्त्र चलाने के मैदान में प्रवेश पर पाबन्दी थी, किन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

(घ) तथा (ङ) . जी, हां । जांच न्यायालय नियुक्त किया जा चुका है और उसकी उपपक्षियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

लन्दन जाने वाले यात्री का पुलिस द्वारा रोका जाना

†*८८६. श्री अ० मु० तारिक :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :
श्री प्र० गं० देव :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक यात्री को, जो ३१ जनवरी, १९६० को एयर इंडिया इन्टरनेशनल के जहाज से लन्दन जा रहा था, पूछताछ के लिये पुलिस ने रोक लिया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके कब्जे के काश्मीर षड़यंत्र संबंधी कुछ पत्र बरामद हुए थे ;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) ३० जनवरी को पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का एक व्यक्ति, जिसका नाम अब्दुल रहमान था, और जिसके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट था जिस में यह लिखा था कि वह फैक्टरी कर्मकार है, बम्बई के हवाई अड्डे पर पूछताछ के लिये रोक लिया गया था ।

(ख) से (घ) . जी, हां । यह पता चला कि उसके पास कुछ कागज थे जो काश्मीर षड़यंत्र के मामले में अपराधी व्यक्ति की सफाई संबंधी व्यवस्था के संबंध में न्यायालय से प्राप्त सरकारी अभिलेखों की प्रतियां थीं । तदुपरांत, उसे ३१ जनवरी १९६० को यात्रा पर जाने दिया गया । वह वास्तव में विमान द्वारा ३ फरवरी को गया ।

†मूल अंग्रजी में

इस्पात का मूल्य

†*८८७ { श्री ले० अचौ सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ने इस्पात का विक्रय-मूल्य कम करने की मांग की है ;

(ख) क्या इस समय इस्पात का विक्रय-मूल्य वह है जिस पर निर्माता इस्पात पुर्जे (स्टील पूल) को इस्पात बेचते हैं ; और

(ग) इस्पात का विक्रय-मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस्पात का विक्रय-मूल, उत्पादकों को दिये जाने वाले प्रतिधारण-मूल्य, भाड़ा समानीकरण के तत्व, और समानीकरण निधि पर अधिकार आदि विभिन्न बातों के आधार पर, निर्धारित किया जाता है।

सिक्किम रैफल्स

†*८८८. श्री याज्ञिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों, निर्धनों, अपाहजों, की सहायता के हेतु चलने वाली और एच० आर० दान निधि, गण्णटोक, सिक्किम द्वारा स्वीकृत, सिक्किम रैफल्स को समस्त भारत में चलने का विशेष लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यह कितने वर्षों से चल रही है और पिछले तीन वर्षों में इस ने देश में कितनी राशि एकत्रित की है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) सिक्किम की स्वास्थ्य सहायता दान निधि लाटरी को भारत में अधिकृत लाटरी के रूप में माना जाता है।

(ख) लाटरी को १९५८ में मान्यता दी गई थी। देश में कितनी राशि इसने एकत्र की है, इस की सूचना उपलब्ध नहीं है।

सहकारी संस्थाओं को ऋण

†*८८९. { श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का यह भाषण पढ़ा है कि सहकारी संस्थाओं को दिया गया ६० प्रतिशत ऋण उस उद्देश्य के लिये खर्च नहीं होता जिसके लिये यह दिया जाता है ?

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : सहकारिता संबंधी राज्य मंत्रियों के जयपुर में ३१ जनवरी १९६० को हुए सम्मेलन में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साधारण रूप में इस बात का उल्लेख किया था कि बैंक द्वारा मंजूर किये गये मध्यम-कालीन-ऋण उपपोग पर सक्रिय अधीक्षण करने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रज़ी में

गवर्नर की धारणा प्राइमरी सोसाइटीज़ द्वारा दिये गये कुछ ऋणों की शीघ्रतापूर्वक की गई जांच पर आधारित थी ।

जापान से एक टन के ट्रकों का आयात

*†८९०. { श्री राम गरीब :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ में जापान से एक टन के ट्रकों का आयात किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कितने ट्रकों का; और

(ग) इन ट्रकों की कीमत का कैसे भुगतान किया जाएगा ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) पूरे ट्रकों का आयात नहीं किया जाएगा । उन का धीरे धीरे शस्त्रास्त्र निर्माण फैक्टरियों में निर्माण किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिये पूर्णतया खुली हालत में मोटरों का, जिसमें कुछ पुर्जे जो देश में बनाये जाएंगे सम्मिलित नहीं होंगे, आयात किया जाएगा ।

(ख) ट्रकों की संख्या बताना लोक-हित में नहीं है ।

(ग) लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त, सहयोगी के बैंक द्वारा पाउंड स्टर्लिंग में भुगतान करेंगे ।

खेतरी (राजस्थान) में तांबा गलाने का संयंत्र

†*८९१. श्री मुरारका : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में खेतरी में तांबा गलाने का संयंत्र लगाने का निश्चय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कार्य कब प्रारम्भ होने की संभावना है ; और

(घ) यह कब पूर्ण हो जाएगा ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (घ). सरकार राजस्थान के खेतरी नामक स्थान में तांबा अयस्क निकालने की योजना पर विचार कर रही है । गलाने का संयंत्र (स्मेल्टर) परियोजना का एक अंग होगा और परियोजना संबंधी विस्तृत अध्ययन के पश्चात् ही ब्यौरा मालूम होगा ।

कलकत्ता मैदान

†*८९२. श्री हो० ना० मुकर्जी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैदान में कई ढंग की स्थायी इमारतें आदि बनाकर उसका जो शाश्वत अतिक्रमण किया गया है उस की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उनको विदित है कि सैनिक इमारतें मैदान के बहुत बड़े भाग में बनाई गई हैं;

(ग) क्या उन्होंने हाल में समाचार-पत्रों में प्रकाशित प्रतिकूल टिप्पण देखे हैं जिनमें इस निर्माण कार्य के कारण अच्छे अच्छे वृक्षों के काटे जाने की आलोचना की गई है ; और

(घ) कलकत्ता मैदान के बड़े नगर के 'फेफड़ों' रूपी परम्परागत कार्य की रक्षा और उसकी उन्नति के लिये यदि कोई कार्रवाई की गई है, तो क्या ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) से (ग). जी, हां । भारत सरकार के इस मैदान पर गैर-सरकारी लोगों ने कब्जा कर रखा है । कुल १३३९.०८ एकड़ के मैदान में केवल १२ एकड़ में सेना की अस्थायी इमारतें हैं । इस क्षेत्र का प्रतिरक्षा-कार्य के लिये उपयोग अतिक्रमण नहीं है, यद्यपि यह वांछनीय नहीं है और जब दूसरे मकान उठ जायेंगे तो इनको भी रहने नहीं दिया जाएगा और मैदान नगर की योजना के अनुसार खाली कर दिया जाएगा ।

(घ) भारत सरकार कलकत्ता मैदान को नगर के 'फेफड़ें' के रूप में रखने की आवश्यकता को अनुभव करती है । मैदान पर मकान आदि के निर्माण को रोकने के लिये उपबन्ध विद्यमान हैं । मैदान के उपयोग और रक्षण के बारे में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकारों के बीच बातचीत हो रही है ।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु सीमा

†*८९३. { श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री सं० अ० मेहदी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये निम्नतम आयु सीमा निर्धारित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कारण और ब्योरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये निम्नतम आयु सीमा निर्धारित करने का मुख्य कारण यह है कि हमारे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी काफी कम आयु में चले जाते हैं जब वे अपरिपक्व होते हैं और उच्च शिक्षा का पूर्ण लाभ उठाने के लिये पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते । इस लिये विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय किया है कि १७ वर्ष पूर्ण की आयु विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश के लिये वांछनीय निम्नतम आयु होगी । परन्तु चूंकि इस को तुरन्त लागू करना कठिन होगा, आयोग ने निर्णय किया है कि विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया जाए कि इस समय, पहला कदम यह होना चाहिये कि पहले डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिये १६ वर्ष पूर्ण की निम्नतम आयु निर्धारित कर दी जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों के इर्दगिर्द सहायक उद्योग

†*८६४. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात संयंत्रों के इर्दगिर्द सहायक उद्योगों का विकास करने के लिये कोई कार्रवाई कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो दूसरी पंच वर्षीय योजना में किन किन वस्तुओं का निर्माण किया जाने वाला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) तथा (ख). यह स्वाभाविक है कि बड़े सर्वतोमुखी इस्पात संयंत्रों के समीप सहायक और गौण उद्योग पनपेंगे । इस्पात संयंत्रों के समीप, ऐसे उद्योग स्थापित करने की सरकार की नीति है, जिन को इस स्थापना से कुछ लाभ होगा । उदाहरणार्थ ऐसे उद्योग ये हैं—वे उद्योग जो इस्पात संयंत्रों की आवश्यकता वाले माल पैदा करेंगे और जो अधिकतर या तो इस्पात का प्रयोग करेंगे या इस्पात संयंत्रों द्वारा तैयार किये गये उप-उत्पादों का प्रयोग करेंगे या वे उद्योग जो इस्पात संयंत्रों के समीप-वर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकता की चीज़ें तैयार करेंगे । सभा की जानकारी के लिये, कुछ मध्यम और बड़ी इकाइयों की जिनकी स्थापना लाइसेंस देने वाली समिति द्वारा अनुमोदित हो चुकी है, सूची देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६**] इन क्षेत्रों में स्थापित हुई या स्थापित होने वाली छोटी इकाइयों के बारे में विस्तृत सूचना हमारे पास नहीं है ।

मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

*८६५. { **श्री क० दे० मालवीय :**
श्री खादीवाला :
श्री मानकभाई अग्रवाल :

क्या **इस्पात खान, और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला नीमाड़ के महेश्वर और मंडलेश्वर क्षेत्रों में तेल की खोज की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो खोज के पश्चात् क्या रिपोर्टें मिलीं ;

(ग) क्या यह सच है कि महेश्वर क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में तेल मिलने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो उस क्षेत्र में खोज का काम कब आरम्भ होगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी हां । इन क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्रों में तेल पाए जाने की रिपोर्टों की छान-बीन की गई थी ।

(ख) इन स्थानों पर तेल के कोई दृश्य चिन्ह नहीं पाये गये । इकत्रित नमूनों के प्रयोगशाला में किये गए परीक्षण भी तेल की विद्यमानता को बताने में असफल हुए ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भिलाई में रूसी प्रविधिज्ञों को वेतन का भुगतान

†*९६. **श्री वाजपेयी :**
श्री उ० ल० पाटिल :
श्री आसर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई में काम करने वाले रूसी प्रविधिज्ञों को सीधे वेतन नहीं दिया जाता बल्कि रूसी राजदूतालय द्वारा दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान कैसे होता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) तथा (ख). रूस सरकार के साथ किये गये करार के अनुसार, भिलाई में सेवायुक्त रूसी प्रविधिज्ञों को वेतन और भत्ते भारतीय रुपयों में रूसी संगठनों द्वारा दिये जाते हैं, रूसी राजदूतालय द्वारा नहीं ।

इस सम्बन्ध में रूसी संगठन जो बिल देते हैं वे भुगतान के लिये परियोजना अधिकारियों को दे दिये जाते हैं । जो राशि देय होती है वह रिजर्व बैंक, बम्बई द्वारा रूसी स्टेट बैंक के विशेष लेखा में जमा कर दी जाती है ।

गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन क्रम

†*८९७. **श्री हेम बरूआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतन क्रम संबंधी सिफारिश राज्यों की सरकारों द्वारा क्रियान्वित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी किन राज्यों ने इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया ;

(ग) क्या जिन राज्यों ने क्रियान्वित नहीं किया, उन्हों ने इस के कोई कारण बताये हैं ; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकारों ने जिन संस्थाओं में यह योजना लागू है या लागू होने वाली है, उन में काम करने वाले अध्यापकों पर कोई शर्त लगा दी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) कालेजों के शिक्षकों के वेतनक्रमों में सुधार करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो योजना प्रस्तुत की थी, उसे अभी तक केवल तीन ही राज्य सरकारों, अर्थात् पश्चिमी बंगाल, केरल और मैसूर ने कार्यान्वित किया है । परन्तु उन के अतिरिक्त कुछ एक अन्य राज्यों के भी कुछ कालेजों ने इस योजना में सहयोग देना स्वीकार कर लिया है ।

(ग) श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने यह सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार और कालेजों ने इस खर्च में कुछ भी अंशदान देने में असमर्थता प्रकट कर दी है । उत्कल विश्वविद्यालय तथा उड़ीसा सरकार ने भी सूचित कर दिया है कि वे इस योजना में भाग नहीं ले सकते । अन्य राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अभी तक आयोग को सूचित नहीं किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाव दिया है कि जो कालेज अपने शिक्षकों के वेतनक्रम बढ़ाने की योजना के अधीन सहायता प्राप्त करें, वे अपने शिक्षकों द्वारा किये जाने वाले प्राइवेट ट्यूशन के काम को भी नियमित करने का यत्न करें। इस सिफ़ारिश के अनुसरण में पश्चिमी बंगाल की सरकार ने यह निर्णय किया है कि जिन शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनक्रम में रखा जायेगा, उन्हें एक सप्ताह में चार घंटे से अधिक प्राइवेट ट्यूशन का कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और इस के लिये भी कालेज के प्रिंसिपल तथा शास्त्री निकाय से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १६५७

†*८६८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १८ नवम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १६५७ पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग के लिये संहिता

†*८६६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय झंडे के उपयुक्त प्रयोग के लिये कोई संहिता इस बीच निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस विषय में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (घ). संहिता करीब करीब तैयार कर ली गई है और शीघ्र जारी की जायेगी ; एक प्रति सभा की मेज़ पर भी रख दी जायेगी।

इस्पात के कारखानों में मजूरी तथा कार्य दशा

†*६००. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न इस्पात कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी तथा कार्य सम्बन्धी दशाओं की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में कोई योजना है ; और

(ख) क्या इस समय सभी इस्पात कारखानों में मजूरी की दर बराबर नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) विभिन्न इस्पात कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी तथा कार्य की हालत के सम्बन्ध में जांच करने के लिये समिति नियुक्त करने के सम्बन्ध में फिलहाल तो कोई योजना नहीं है, परन्तु इस्पात कारखानों के प्रबन्धक इस की ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में अधिकतर मजूरी दर एक समान ही है ।

यमुना का बहाव

†*९०१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निगम बोध घाट तथा कुरसिया घाट के निकट यमुना का बहाव पुरानी दिल्ली की तरफ़ वाले किनारे की ओर मोड़ने के कार्य में कुछ प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि कुछ प्रगति हुई है, तो क्या और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना को दिल्ली नगर निगम ने अपेक्षित जानकारी दे दी है । अनुसंधान केन्द्र ने, प्रथम कार्य-वाही के रूप में, प्रयोगों के लिये नदी का कार्य नमूना (वर्किंग मॉडल) बनाने का विचार किया है । इस के लिये अनुसंधान केन्द्र ने १,४०,००० रुपयों का एक प्राक्कलन बना कर हाल ही में निगम के पास भेजा है ।

केरल में कैथोलिक लोगों का जाति से बहिष्कार

†*९०२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** :
श्री त० ब० विट्ठ ल राव :
श्री वें० प०, नायर :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन प्रैस रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है कि त्रिवेन्द्रम के रोमन कैथोलिक बिशप ने यह आदेश दिया है कि जो कैथोलिक व्यक्ति साम्यवादी दल तथा क्रान्तिकारी समाजवादी दल के सदस्य हैं, उन का जाति बहिष्कार कर दिया जाये और जिन्हों ने हाल ही के चुनावों में साम्यवादी दया क्रान्तिकारी समाजवादी दलों के उम्मीदवारों की ओर से प्रत्यक्ष-तया या अप्रत्यक्षतया, काम किया था, उन्हें धार्मिक संस्कारों से वर्जित रखा जाये ;

(ख) क्या नागरिक अधिकारों में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा हस्तक्षेप किये जाने तथा लोगों के स्वतंत्र रूप से मतदान करने के नागरिक अधिकार को दबाने के लिये धार्मिक दण्ड की दुहाई दी जाने के परिणामों की सरकार ने जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) सरकार का ध्यान इस प्रकार के कुछ एक समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). विधि की व्याख्या अथवा निर्वचन करना और किसी विशेष मामले के बारे में उन के लागू होने अथवा न होने के सम्बन्ध में निर्णय करना न्यायालय का काम है।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बेसिक शिक्षा

†११४५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित आदिम जातियों को बेसिक शिक्षा देने के लिये कितने और कहां कहां स्कूल खोले गये हैं और उन संस्थाओं में किस-प्रकार की शिक्षा दी जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २ अनुबन्ध संख्या ७०]।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों को अनुदान

†११४६. **श्री शि० ला० सक्सेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में भारत के कुल ३५ विश्वविद्यालयों के कितने छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अनुदान दिये गये थे ; और

(ख) भारत के इन सभी विश्वविद्यालयों में १९५९-६० के सत्र में कुल कितने शिक्षक थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें

†११४७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में ३१ मार्च, १९६० तक गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†११४८. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९५८-५९ के क्षेत्र मौसम (फील्ड सीज़न) में आन्ध्र प्रदेश में किये गये भूतत्वीय सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). १६५८-५६ में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और शेष रिपोर्टें अभी तैयार की जा रही हैं। १६५८-५६ में आन्ध्र प्रदेश में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किये गये क्षेत्रसर्वेक्षण की समीक्षा 'इंडियन मिनरल्ज़' खण्ड १३ संख्या ४ में प्रकाशित है और उसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

मुरादपुर में पेट्रोलियम के निक्षेप

†११४६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ४ दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर राज्य में मुरादपुर के निकट पेट्रोलियम के निक्षेपों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : इस क्षेत्र के सम्बन्ध में और अधिक सर्वेक्षण तो नहीं किया गया है, परन्तु समीपवर्ती क्षेत्र, अर्थात जम्मू ज़िले (मुरादपुर के दक्षिण पूर्व में ५० मील की दूरी पर) में भूतत्वीय मानचित्रण का काम जारी है।

राष्ट्रीय सेनाछात्र दल

†११५०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सेनाछात्र दल ने समाज सेवा का काम प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या १६५६-६० में पंजाब के राष्ट्रीय सेना दलों ने भी कोई विशेष कार्य किया था ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) कम्बाइन्ड काडर एण्ड सोशल सर्विस कैम्प (संयुक्त पदाली तथा समाज सेवा शिविर) लगाना राष्ट्रीय सेनाछात्र दलों के सीनियर डिवीज़न तथा लड़कियों के डिवीज़न के सीनियर विंग के प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है।

(ख) १६५६ में पंजाब में जगरांव, कुरूक्षेत्र और दुनेहरा में ऐसे तीन कैम्प लगाये गये थे। उन में से पहले दो कैम्प सीनियर डिवीज़न के लड़कों के लिये थे जो कि क्रमशः ६ से १६ मई, १६५६ तक और ६ से २३ मई, १६५६ तक लगे थे। तीसरा कैम्प लड़कियों के डिवीज़न के सीनियर विंग के लिये लगा था और वह ७ से १८ मई, १६५६ तक हुआ था। जगरांव, कुरूक्षेत्र, और दुनेहरा के कैम्पों में क्रमशः २४ पदाधिकारियों और ८५० छात्रों; २३ पदाधिकारियों और ८३२ छात्रों तथा ७ महिला अधिकारियों और १६१ छात्राओं ने भाग लिया था। विभिन्न कैम्पों द्वारा किये गये कार्यों का ब्योरा निम्नलिखित है :—

(१) जगरांव में सेनाछात्रों ने जगरांव-सीमा और जगरांव-डल्ला सड़कों को सुधारने का कार्य किया। कुल २,६१,४६५ घन फुट मिट्टी को हटाने का काम किया गया।

(२) कुरूक्षेत्र में सेनाछात्रों ने सरस्वती नदी पर १,१६५ फुट लम्बा, २० फुट चौड़ा और १० फुट ऊंचा एक बांध बनाया। कुल २,३४,००० घन फुट मिट्टी हटाने का काम किया गया।

(३) दुनेहरा में छात्राओं ने उस गांव में जाकर औरतों को सिलाई, बुनाई और दर्जी का काम सिखाया। उन्होंने सहायता आन्दोलन भी चलाया और 'फ़र्स्ट एड', स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान तथा ग्रामोत्थान के कार्यों के सम्बन्ध में प्रदर्शन भी किये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में अस्थायी पद

†११५१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कुछ अस्थायी पदों को स्थायी बनाने के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : यह मामला अभी विचाराधीन है। विलम्ब का कारण यह है कि इस मामले की अनेक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में कार्यकुशलता के लिये कुछ क्षेत्रों में पुनर्गठन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सहानुभूति तथा ठोस दृष्टि से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन

†११५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन के सिविल सप्लाई और विक्रय कर विभागों को स्थायी बना देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) और (ख). विक्रय कर विभाग को स्थायी विभाग घोषित कर दिया गया है। खाद्य तथा सिविल सप्लाई के निदेशालय को स्थायी विभाग बनने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली के स्कूलों में कला तथा शिल्प की शिक्षा

†११५३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री ६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर तथा ग्राम्य क्षेत्रों के मिशल स्कूलों में आगामी जुलाई से कला तथा शिल्प की शिक्षा को अनिवार्य बनाने की योजना के बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार किये गये प्रारूप पाठ्यक्रम पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है और आशा है कि इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम फैसला कर दिया जायेगा।

दुहरे कराधान से बचने के लिये करार

†११५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुहरे कराधान से बचने के लिए किस किस देश से बातचीत पूरी हो गयी है; और

(ख) राज्यवार किये गये करारों के कोटे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जापान के साथ ५-१-१९६० को करार किया गया था और डेनमार्क के साथ ९-३-१९६० को करार किया गया था । अतारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर में उल्लिखित अन्य देशों से इस सम्बन्ध में हो रही बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है ।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या ५६९ के उत्तर में उल्लिखित देशों में से स्वीडन, स्विट्ज़रलैण्ड (केवल विमान चलाने के उपक्रमों के प्राप्त होने वाले लाभ तक ही सीमित) और डेनमार्क से हुए करार अभी तक लागू हैं । इन करारों की मुख्य मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) स्वीडन तथा डेनमार्क—औद्योगिक तथा वाणिज्यिक लाभ, लाभांश, ब्याज, रायल्टी तथा निवृत्ति वेतन सम्बन्धी राशियों पर लगने वाला कर उस देश में वसूल किया जायेगा जिस देश में वे राशियां प्राप्त हुई हैं । इस प्रकार से कराधान के क्षेत्रों को प्रारम्भ से अलग अलग निर्धारित कर के दुहरे कराधान की रोकथाम कर दी गयी है ।

(२) स्विटजरलैंड—(केवल विमान संचालन सम्बन्धी उपक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ तक सीमित) इस करार का प्रभाव यह हुआ है कि भारत में विमान चलाने वाले स्विट्ज़रलैण्ड के उपक्रमों को भारतीय करों से मुक्त कर दिया गया है और वहां पर विमान चलाने वाले भारतीय उपक्रमों को भी वहां के करों से मुक्त कर दिया गया है । स्विट्ज़रलैण्ड और स्वीडन के साथ हुए करारों की प्रतियां क्रमश: २५-९-५९ और ९-२-५९ को सभा-पटल पर रख दी गयी थीं । डेनमार्क के साथ हुआ करार भारत की असाधारण गजट दिनांक ९-३-१९६० में प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रतियां शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेंगी ।

समाज कल्याण परियोजना दल का प्रतिवेदन

११५५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री तिम्मय्या :

क्या वित्त मंत्री ५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सामूहिक उद्धार के बारे में समाज कल्याण परियोजना दल ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उस पर अन्तिम निर्णय करने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : दल की बड़ी बड़ी सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है, खास कर तीसरी पंचवर्षीय आयोजना बनाने के सिलसिले में । संगठन में हेरफेर करने के बारे में जो सुझाव दिये गये हैं उन्हें उसी हद तक अमल में लाया जायगा जिस हद तक, तीसरी पंच-वर्षीय आयोजना बनाने में किये गये निश्चयों के अनुसार ऐसा करना सम्भव होगा । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिन जिन बातों से उनका सम्बन्ध है उनके बारे में वे अपने विचार लिख भेजें ।

टिंचर का अल्कोहल के रूप में प्रयोग

†११५६. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिंचर तथा स्पिरिट की अन्य वस्तुओं को अल्कोहल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस की रोक थाम के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जिन क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू है, वहां से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वहां के मदिरा पीने के कुछ आदि लोगों ने मदिरा के स्थान पर टिंचर और स्पिरिट की कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल शरू कर दिया है।

(ख) बम्बई सरकार ने बम्बई औषध (नियंत्रण) अधिनियम, १९५२ बनाया है, जो कि मद्य निषेध की रोक थाम के लिये बम्बई मद्य निषेध अधिनियम की सहायता करेगा। उस अधिनियम की मुख्य मुख्य बातें यह हैं :—

(१) किसी भी समय बेचने या रखने के लिये किन्हीं विशेष औषधियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ;

(२) उसके अनुसार डाक्टर और नुस्खे बनाने वाले औषधि विक्रेता केवल उन्हीं लोगों को विशेष औषधियां बेच या संभरित कर सकते हैं जिन्हें केवल चिकित्सा प्रयोजन के लिये उन वस्तुओं की आवश्यकता हो और वे भी केवल डाक्टर के नुस्खे पर दी जा सकती है।

(३) औद्यधियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना तथा विनियमित करना।

(४) इन औषधियों के परिवहन को विनियमित करना।

कुछ एक अन्य राज्यों में भी जहां मद्य निषेध लागू है, अल्कोहल से बनी हुई दवाइयों को जमा करने और उन्हें बेचने के काम को नियमित करने के लिये विधान बना दिये गये हैं। राज्य विधानों के अतिरिक्त औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री अधिनियम, मद्यसारिक औषधीय उत्पाद (अन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण अधिनियम में एसी व्यवस्था है जिस से निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले अल्कोहल की मात्रा पर नियंत्रण रखा जा सकता है और अल्कोहल की बनी हुई वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है।

आंध्र प्रदेश के स्कूलों में उड़ीया

†११५७. **श्री प्र० के० देव** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के कमिश्नर को आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम् जिले के उड़िया लोगों से यह शिकायत प्राप्त हुई है कि उस जिले के स्कूलों में शिक्षा के लिये उड़िया के माध्यम को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईसाई धर्म-प्रचारक

११५८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री आसर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५९ में कितने ईसाई धर्म-प्रचारक विदेशों से भारत आये ;

(ख) भारत में कुल कितने ईसाई धर्म-प्रचारक हैं ; और

(ग) ईसाई धर्म के प्रचार के लिये १९५९ में विदेशों से कुल कितना धन यहां आया ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) १९५९ में २८२ विदेशी धर्म-प्रचारकों को भारत में आने के लिये वीसा मंजूर किये गये। इनमें से कितने लोग वास्तव में भारत में आये, यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पहली जनवरी १९५९ को भारत में ४८०२ विदेशी धर्म-प्रचारक रजिस्टर्ड थे।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार विदेशी धर्म-प्रचारकों के पास पहली जनवरी से जून १९५१ तक ५०६.३ लाख रूपये की राशि आई।

मध्य प्रदेश में पुनर्बेलन मिलें[1]

†११५९. **श्री पांगरकर :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में एक पुनर्बेलन मिल चलाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है।

(ख) यदि हां, तो उस मिल की क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) उस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नागपुर में कोयला क्षेत्र

†११६०. **श्री पांगरकर :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नागपुर के कोयले के क्षेत्रों का गहन सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी किया है ;

(ख) क्या उस क्षत्र में अभी तक कोई खनन कार्य किया गया है ; और

(ग) यदि हों, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क), जी नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Re-Rolling Mills

(ख) और (ग). जी, हां। काम्पती कोयला क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक खान को एक गैर-सरकारी फर्म द्वारा चलाया जा रहा है। गत तीन वर्षों में हुए उत्पातन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	टनों में उत्पादन
१९५६	१९,२८६
१९५७	५१,०७०
१९५८	६३,०२९

इसके अतिरिक्त बम्बई सरकार का भूतत्वीय तथा खनन विभाग टेकड़ी क्षेत्र के पश्चिम-मोत्तर भाग के निकट काम्पती के पास कोयले के लिये भूमि छेदन कार्य कर रहा है।

तेल प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण

†११६१. **श्री पांगरकर :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में तेल के कुएं खोदने तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने व्यक्तियों को रूमानिया और रूस भेजा गया था ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : १९५९ में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पदाधिकारी को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रन के अधीन तेल के कुएं खोदने के कार्य में प्रशिक्षण लेने के लिये रुस भेजा गया था। इस वर्ष तीन और पदाधिकारियों को रूमानिया और १० पदाधिकारियों को रूस भेजने का विचार है।

उड़ीया भाषा का विकास

†११६२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को उड़िया भाषा के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी योजनाओं की कार्यान्विति के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ; और

(ख) अब तक कौन सी योजनायें कार्यान्वित की गयी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) ३६,००० रुपये।

(ख) अब तक कोई भी योजना पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं की गयी है, परन्तु जैसा कि राज्य सरकार ने बताया है, उन सब के बारे में कार्य जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में निवृत्ति वेतन के मामले

†११६३. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय त्रिपुरा में निवृत्ति-वेतन के कितने मामले अन्तिम रूप से निपटारे के लिये लम्बित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में निवृत्ति-वतन के मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिये अनुचित विलम्ब हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया और पद्धति को सरल बनायेगी ताकि त्रिपुरा में निवृत्ति-वेतन के मामले शीघ्र निपटाये जा सकें ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ३१ दिसम्बर, १९५९ को ४७।

(ख) निवृत्ति-वेतन के कुछ पुराने मामलों के निपटारे में एकीकरण से पूर्व की अवधि के रिकार्डों के कारण विलम्ब हुआ है। उदाहरणतः सर्विस बुक (सेवा-पुस्तक), वेतन नामावलि आदि उचित ढंग से नहीं रखी गयीं। इससे निवृत्ति-वेतन के कागजातों को पूरा करने के लिये आवश्यक सेवा-निवृत्ति पदाधिकारियों की सेवा का रिकार्ड तैयार करने में कठिनाई हुई। जहां सेवा का पूरा रिकार्ड उपलब्ध नहीं है, सेवा का इतिहास तैयार करने के लिये विश्वस्त आनुषंगिक साक्ष्य एकत्र करने हैं। इस कार्य में समय लगता है।

(ग) इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। तथापि, निवृत्ति वेतन के मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता को सम्बन्धित अधिकारियों को बता दिया गया है।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक

†११६४. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे मे कोई जनगणना की है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में कितने वैज्ञानिक हैं और वे किन देश में हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) वैज्ञानिक और प्रविधिक व्यक्तियों सम्बन्धी राष्ट्रीय रजिस्टर के एक विशष विभाग में विदेशों में सब भारतीय वैज्ञानिकों के ऐच्छिक पंजीयन की व्यवस्था कर दी गयी है ।

(ख) पिछले दिसम्बर तक पंजीकृत ३५०० व्यक्तियों में से ८८५ मुख्यतः अमरीका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में नौकरी करते है ।

परीक्षा पद्धति

११६५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने परीक्षा में पद्धति में सुधार करने के लिये कोई तरीका निकाला है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने परीक्षा पद्धति को सुधारने के लिये खुद कोई तरीका नहीं निकाला है । माध्यमिक स्तर पर जनवरी, १९५८ में माध्यमिक शिक्षा की अखिल भारतीय परिषद् ने इस काम को प्रारम्भ किया था और ३१-३-१९५९ तक वह इसे चलाती रही । १-४-१९५९ से इसे अब माध्यमिक शिक्षा के लिये विस्तार कार्यक्रम निदेशालय चला रहा है। परिषद् ने इस के कार्यकलापों की ३०-९-१९५८ तक की रिपोर्ट बोर्ड को दे दी थी और बोर्ड ने इस के विषय को नोट कर लिया था । बोर्ड ने फरवरी, १९६० को अपनी बैठक में परीक्षा सुधार को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य मूल्यांकन एकांशों की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे एकांशों की स्थापना के लिये सिफारिश की ।

मादक द्रव्य

११६६. **श्री पद्म देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में कौन-कौन से मादक-द्रव्य दवाइयों में मिलाये जाते हैं अथवा दवाइयों के तौर पर अलग से इस्तेमाल किये जाते हैं ;

(ख) क्या उन के उत्पादन, उन की खरीद और बिक्री पर सरकार का नयंत्रण है ; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मारफीन और उस के नमक, कोडीन और उस के नमक, डायोनीन, थेबाइन, फोलकोडीन, पेथोडीन, मेथाडोन, कोकीन, दवा के काम आने वाली भारतीय अफीम की टिकिया और चूर्ण तथा दवा के काम आने वाली भांग ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सिर्फ लाइसेन्सशुदा व्यक्तियों को ही इन दवाओं के बनाने या स्टाक में रखने की अनुमति है और डाक्टरी नुस्खा दिखाने पर ही ये दवायें मरीजों को दी जाती है ।

विश्वविद्यालयों को फोर्ड फाउन्डेशन का अनुदान

†११६७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़ोर्ड फाउन्डेशन से प्राप्त धनराशि भारत में विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षा मंत्रालय के निदेशों और सुझावों पर वितरित की गयी ; और

(ख) यदि हां तो अब तक कितनी धनराशि वितरित की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) किसी भी फाउन्डेशन से कोई अनुदान स्वीकार करने से पहले विश्वविद्यालयों को सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१)** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्र के जल के खारीपन को दूर करना

†११६८. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रूस में पैदा हुए इज़रायली इंजीनियर एलेक्जेंडर ज़ारकिन द्वारा निकाले गये "समुद्र के जल के खारीपन को दूर करने के ज़ारकिन तरीके" नामक तरीके की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की स्थिति को देखते हुए भारत में जल-सम्भरण और खारीपन की समस्या का समाधान करने के लिये यह तरीका अपनाया जा सकता है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इस समय यह तरीका लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता ।

शाहजहांपुर में अवैध रूप से शस्त्र बनाने का कारखाना

†११६९. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर में दिसम्बर, १९५९ में अवैध रूप से शस्त्र बनाने वाला कोई कारखाना पकड़ा गया ;

(ख) इस के साइज़ और पकड़े गये शस्त्रास्त्रों और इस की क्षमता का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी और क्या यह एक भिन्न मामला था या इस का देश में अन्य ऐसे ही कारखानों से कोई सम्बन्ध था ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दिल्ली के पुलिसमेनों की गिरफ्तारी

†११७०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २७–२८ दसम्बर, १९५९ को एक १८ वर्षीय विवाहित महिला का चाणक्यपुरी में उस के पिता के घर से अपहरण करने के आरोप में दिल्ली के कुछ पुलिसमैन गिरफ्तार किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में दिल्ली प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) और (ग). १७/१८ दिसम्बर, १९५९ की रात्रि को दो पुलिस कर्मचारी चाणक्यपुरी में श्री रघुनाथ की झोपड़ी में गये और उन्हों ने उस से कहा कि उस की लड़की को महिला पुलिस बुला रही है और फिर वे उस लड़की को उस की सहमति के बिना अपने साथ एक टैक्सी में ले गये। बाद में लड़की मिल गई। दोनों पुलिस-कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय प्रक्रिया संहिता की धारा ३६५ के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है। यह मामले शीघ्र ही अदालत में भेजा जायेगा।

भर्ती पर प्रतिबन्ध

†११७१. **श्री राम गरीब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गृह-कार्य मंत्रालय के प्रतिबन्धों के बावजूद भी कुछ कार्यालयों में अभी भी भर्ती की जा रही है और समाचारपत्रों में विज्ञापन निकल रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) माननीय सदस्य संभवतः भर्ती पर प्रतिबन्ध के बारे में हाल ही के निदेशों की ओर निर्देश कर रहे हैं जिस की एक प्रति १९ फरवरी, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या २४२ के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी। इन निदेशों में यह व्यवस्था है कि नये पदों के बनाये जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध होगा, परन्तु जो पद इन निदेशों के जारी किये जाने से पूर्व मंजूर किये जा चुके थे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ भरा जा सकता है। इस के अतिरिक्त, विभिन्न संगठित सेवाओं की पदालियों में कर्मचारियों की संख्या पूरी करने के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सामान्य भर्ती पर ये नियम लागू नहीं होते। सरकार को इन आदेशों के उल्लंघन का कोई पता नहीं लगा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

†११७२. **श्री दशरथ देव** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में त्रिपुरा राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के इतनी जल्दी-जल्दी बदले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इन परिवर्तनों से निर्वाचन विभाग के कार्य में अव्यवस्था होती है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) क्योंकि त्रिपुरा प्रशासन एक-जिला प्रदेश है, वहा पर पूर्ण-कालिक मुख्य निर्वाचन आयुक्त की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः उस प्रशासन के विधि परामर्शी को उस के अन्य काम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। जनवरी, १९५६ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद में चार परिवर्तन हुए हैं। त्रिपुरा प्रशासन के विधि परामर्शी व न्यायिक सचिव को जनवरी, १९५८ में दिल्ली प्रशासन में स्थानान्तरित कर दिया गया था। इस प्रकार उस प्रशासन के अधीन खाली पड़ा विधि परामर्शी का पद जनवरी, १९५९ में भरा गया था। इतने समय में, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद में अन्य व्यवस्था करना आवश्यक था। इस में से एक व्यवस्था केवल ९ दिन के लिये की गई थी और एक अन्तरिम व्यवस्था की गयी थी जोकि जून, १९५९ तक चली। जून, १९५९ में त्रिपुरा प्रशासन में एक विधि परामर्शी

†मूल अंग्रेजी में

नियुक्त किया गया था परन्तु वह पदाधिकारी नवम्बर, १९५९ में उड़ीसा सरकार में अपने पुराने पद पर चला गया । त्रिपुरा में वर्तमान विधि परामर्शी व न्यायिक सचिव की नवम्बर १९५९ में नियुक्ति की गयी थी और वह १८ नवम्बर, १९५९ से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं । ये सब परिवर्तन आवश्यक थे ।

(ख) इन परिवर्तनों के कारण त्रिपुरा प्रशासन ने अपने निर्वाचन विभाग के कार्य में किसी अव्यवस्था को नहीं बताया ।

तम्बाकू

†११७३. **श्री राम गरीब** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९५९ में पंजाब में अवैध रूप से तम्बाकू की खेती करने के कई मामले पकड़े गये ;

(ख) यदि हां, तो जिलेवार उनकी क्या संख्या है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों से दंड के रूप में कितना धन इकट्ठा किया गया था ;

(घ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ङ) कितने मामलों में अपराधियों के उचित अभिज्ञान के अभाव में दंड की राशि वसूल नहीं की जा सकी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) वर्ष १९५९ में पंजाब राज्य में अवैध रूप से तम्बाकू की खेती करने के २३ मामले पकड़े गये ।

(ख)

जिले का नाम	मामलों की संख्या
अमृतसर	३
गुरुदासपुर	४
कांगड़ा	१
होशियारपुर	१०
गुड़गांव	१
लुधियाना	१
फिरोज़पुर	१
जालंधर	२

(ग) ऐसे व्यक्तियों से दंड के रूप में ११२ रुपये वसूल किये गये हैं ।

(घ) २३ अपराधियों में से १२ को विभागीय रूप से दंड दिया गया, १० को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और १ मामले में निर्णय बाकी है ।

(ङ) ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें अपराधी के उचित अभिज्ञान के अभाव में दंड की रकम वसूल नहीं की जा सकी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब की संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान

†११७४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १९५९–६० में कुल कितनी संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का अनुदान मिला ; और

(ख) इसी काल में प्रत्येक संस्था को अलग-अलग कितनी राशि मंजूर की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) चौहत्तर ।

(ख) मांगी गई जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या ७२]**

दिल्ली पुलिस प्रशासन

†११७५. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा इन्सपेक्टर ग्रेड में पदोन्नति करने के लिये जनवरी, १९६० में कोई परीक्षा ली गई थी ;

(ख) क्या पंजाब पुलिस के नियम दिल्ली राज्य के पुलिस प्रशासन के लिये भी लागू होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्स्पेक्टर ग्रेड में पदोन्नति की यह परीक्षा पंजाब पुलिस के नियमानुसार हुई थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जनवरी, १९६० में कार्यपालिका लाइन में इन्स्पेक्टरों के चुनाव के लिये स्थायी सब-इन्स्पेक्टरों की एक विभागीय परीक्षा ली गई थी ।

(ख) जी हां ।

(ग) नियमों में इस बात की व्यवस्था है कि एक पद से दूसरे पद पर उन्नति वरिष्ठता के आधार पर चुनाव के द्वारा की जायेगी और कार्यकुशलता एवं ईमानदारी इस चुनाव की प्रमुख कसौटी होगी । यह परीक्षा उद्देश्यात्मक ढंग से योग्याता का निर्णय करने के लिये ली गई थी ?

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†११७६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा अब तक (३१ जनवरी, १९६० तक बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, उड़ीसा में कुल कितनी राशि का विनियोजन किया गया है ; और

(ख) ३१ जनवरी, १९६० तक गैर-सरकारी भागीदार द्वारा कितनी राशि का विनियोजन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३५,३५,००० रुपये ।

(ख) ३४,६५,००० रुपये ।

दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के शिविर

११७७. { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, १९५९ में दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र सेना दल प्रशिक्षण शिविर लगे थे ;

(ख) यदि हां, तो उन में कितने छात्र सैनिकों ने भाग लिया ;

(ग) प्रशिक्षण का क्या कार्यक्रम रहा ; और

(घ) शिविर कितने दिन चले ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) हां १९५९ में चार शिविर लगाए गए थे, कालकाजी छौला, महरौली और दिल्ली छावनी प्रत्येक स्थान पर एक एक ।

(ख) इन शिविरों में भाग लेने वाले छात्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

शिविर का नाम	स्थान	संख्या-शक्ति
कन्या विभाग का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर (कनिष्ठ श्रेणी)	कालकाजी	२० अधिकारी
वार्षिक प्रशिक्षण, शिविर, कनिष्ठ विभाग,	छौला	४० अधिकारी १,७०० छात्र
वार्षिक प्रशिक्षण शिविर ज्येष्ठ विभाग, (ग्यारहवां) दिल्ली तोपखाना)	महरौली	२ अधिकारी ७० छात्र
कनिष्ठ विभाग, नभसेना खंड, क्षेत्रीय शिविर (दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तथा मध्यप्रदेश)	दिल्ली छावनी	५० अधिकारी १,७७३ छात्र

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यत: यह यह विषय थे :—

छात्र	छात्राएं
१. शारीरिक व्यायाम	१. शारीरिक व्यायाम
२. ड्रिल	२. ड्रिल
३. शस्त्र प्रशिक्षण	३. शस्त्र प्रशिक्षण
४. नक्शा अध्ययन	४. प्राथमिक सहायता और स्वास्थ्य ज्ञान
५. यौद्ध कलाएं	५. नक्शा अध्ययन
६. सन्देश भेजना	६. सिग्नल से सन्देश देना, प्राप्त करना
७. अनुभाग-पलाटून का नेतृत्व	७. २२ राइफल में प्रशिक्षण
८. आर्टिलरी छात्रों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण	

†मूल अंग्रेजी में

(घ) शिविरों का अवधिकाल निम्न प्रकार था :—

१. कालकाजी	२० दिसम्बर १९५९ से २८ दिसम्बर १९५९ तक
२. छौला	१७ दिसम्बर १९५९ से २६ दिसम्बर १९५९ तक
३. महरौली	२४ दिसम्बर १९५९ से ६ जनवरी १९६० तक
४. दिल्ली छावनी	१७ दिसम्बर १९५९ से २६ दिसम्बर १९५९ तक

इन्दौर में घास के फार्म

११७८. **श्री खादीवाला :**
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला इन्दौर (मध्य प्रदेश) की तहसील दीपालपुर में रंगवासा सामुदायिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड ने नवम्बर, १९५८ और २३ जनवरी, १९६० को प्रतिरक्षा विभाग से यह प्रार्थना की थी कि प्रतिरक्षा विभाग अपने तीन घास फार्मों को १९५९–६० १९६०–६१ के मौसम के लिये नीलाम न करे बल्कि औसत मूल्य पर उन्हें दे दे ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार के सहकार मंत्रालय ने जून, १९५९ में यह सिफारिश की थी कि उक्त समिति की मांग पूरी कर दी जाये ; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा विभाग १९५९–६० में घास के ये तीन फार्म अर्थात् चिकलोंदा, तकीपुरा और वरोदिया पंथ को औसत मूल्य पर सामुदायिक सहकारी समिति रंगवासा को देना चाहता है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग) . १९५९–६० वर्ष में तकीपुरा, चिकलोंदा और वरोदिया पंथ, इन्दौर के तीन सैनिक घास के बीड़ों में होने वाले घास को काटने के अधिकारों को नीलाम करने के स्थान, उसे १४४.७५ रुपये पर पट्टे पर काटने को देने के लिए, सामूहिक कृषि सहकारी समिति, रंगवासा से दिनांक २५ नवम्बर, १९५८ की प्रार्थना प्राप्त हुई थी । इस प्रार्थना की मध्य प्रदेश राज्य के सहकारी विभाग ने जून १९५९ में सिफारिश की थी । विचार करने पर सरकार ने फैसला किया कि घास काटने के अधिकारों की उस वर्ष साधारण नियमों के अधीन निलामी की जाय । समिति और मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा सूचित कर दिया गया था ।

ऐसी ही एक प्रार्थना दिनांक २२-१-१९६०, समिति से फरवरी, १९६० में प्राप्त हुई थी । मामले पर दुबारा विचार किया जायेगा ।

सोने का पकड़ा जाना

†११७९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य कलकत्ता में १५ फरवरी, १९६० को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दो नेपालियों के पास लगभग ६१४ तोला सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य लगभग ७८,००० रुपये था ;

(ख) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि नेपाल से भारत को सोने का तस्कर व्यापार वृद्धि पर है ; और

(घ) इसे रोकने के लिये क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). १५ जनवरी, १९६० को कलकत्ता के एक बैंक के मैनेजर के पास से ६१४ तोले के लगभग वजन का सोना और सोने के आभूषण, जिनका मूल्य ७८,६०० रुपये था, पकड़े गये थे। इस संबंध में दो नेपाली गिरफ्तार किये गए हैं जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) और (घ). भारत सरकार के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि नेपाल से भारत को सोने का तस्कर व्यापार वृद्धि पर है।

विद्युदणु उपकरण[1]

†११८०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी जर्मनी के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पूर्वी जर्मनी सरकार के सहयोग से विद्युदणु उपकरण बनाने के लिये एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय को ऐसे किसी भी प्रतिनिधिमंडल, प्रस्ताव अथवा योजना के बारे में जानकारी नहीं है।

यूगोस्लाविया के वित्त मंत्री का भारत का दौरा

†११८१. { **श्री सै० अ० मेहदी** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया के वित्त मंत्री ने हाल में भारत का दौरा किया था; **और**

(ख) यदि हां, तो दौरे का प्रयोजन क्या था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जी हां। यह दौरा सद्भावना मिशन और भारत यूगोस्लाविया के बीच आर्थिक संबंधों पर चर्चा करने के सम्बन्ध में किया गया था।

रत्नागिरी जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†११८२. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रत्नागिरी जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण नहीं किया है जबकि उस के लिय दो वर्ष पहले ही वादा किया जा चुका था;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उस क्षेत्र में बहुत प्रकार के और काफी मात्रा में खनिज निक्षेप हैं; और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब आरम्भ किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electronic Instruments.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी नहीं। भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण रत्नागिरि जिले में जांच कर रहा है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). जी हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप इमारती पत्थर, चूने का पत्थर, बाकसाइट, स्टीटाइट, चीनी मिट्टी, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, इल्मेनाइट, लिग्नाइट, फेल्सपर और अभ्रक पाई जाने का पता लगा है ।

पेट्रोलियम से गैस बनाना

†११८३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बरमिंघम की इनकान्डीसेंट हीट कम्पनी लिमिटेड द्वारा सहायक पदार्थ का इस्तेमाल किये बिना पेट्रोलियम से एक नये सस्ते तरीके का जो विकास किया गया है, उसकी ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां ।

(ख) यह तरीका ऐसा है जिस में भाप के साथ बहुत अधिक तापमान पर तेल को गरम किया जाता है । भट्टी यद्यपि सामान्यतः साधारण होती है फिर भी इस तरह बनी हुई होती है कि उस से तापमान और जो गैस तैयार हुई है उस की गर्मी पर नियंत्रण रखा जा सके । इस तरीके का और आगे ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है ।

विज्ञान मन्दिर

†११८४. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विज्ञान मन्दिरों की स्थापना करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) १६६०-६१ में कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का विचार है;

(ग) अब तक विज्ञान मन्दिरों ने क्या काम किया है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश में अब तक कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित किये गये हैं और आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कितने विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का विचार है और वे कहां पर स्थापित होंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) विज्ञान मन्दिरों का वितरण और उन की स्थापना की तारीखें बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या ७३**]

(ख) यदि राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर दी जाय तो प्रत्येक राज्य में २ और विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विज्ञान मन्दिरों द्वारा किये गये काम का लेखा मंत्रालय के १९५८-५९ के वार्षिक प्रतिवेदन में दिया गया है (प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है) १९५९-६० में पहले की भांति काम जारी है किन्तु अधिकांश विज्ञांन मन्दिरों में काम तेजी से हो रहा है ।

(घ) तीन इसके साथ-साथ अनन्तपुर जिले के पेनुकोंडा नामक स्थान में एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना करने के लिये सहमति दे दी गई है । कुड्डपा जिले के कोडूर नामक स्थान में और वारंगल जिले के जनगांव में दो और विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

केन्द्रीय मंत्रालयों में मोटर गाड़ियां

†*११८५. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे केन्द्रीय मंत्रालयों में कुल कितनी मोटर गाड़ियां हैं; और

(ख) उन में प्रतिवर्ष कितना पेट्रोल आदि खर्च होता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). स्पष्ट है कि प्रश्न भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की स्टाफ कारों के बारे में है । इस संबंध में वित्त मंत्री द्वारा २७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और प्रश्न के सभी अंशों की विस्तृत जानकारी बताने वाला विस्तृत विवरण संसद् कार्य-विभाग को सभा पटल पर रखे जाने के लिये दे दिया गया है ।

२७ अगस्त, १९५९ को कुल मिला कर २२९ स्टाफ कारें तथा अन्य इसी प्रकार की मोटर गाड़ियां थीं । यह संख्या भारत सरकार के दिल्ली और नई दिल्ली स्थित विभिन्न मंत्रालयों और प्रतिरक्षा सेवाओं को मिला कर है । १९५८ में पैट्रोल और मोबिल तेल आदि पर ४,१८,२२८ रुपया खर्च हुआ था ।

तस्कर व्यापार करने वाले पाकिस्तानी

†११८६. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सीमा पर दिसम्बर, १९५९ से ले कर अब तक तस्कर व्यापार करने वाले कितने पाकिस्तानी मारे अथवा गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) कितने मूल्य का माल जब्त किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्रीमोरारजी देसाई)** : (क) छः व्यक्ति मारे गये और तीन गिरफ्तार किये गये ।

(ख) मारे गये अथवा गिरफ्तार किये गये तस्कर व्यापारियों के पास से २,२३७ रुपये के मूल्य का सामान बरामद किया गया था । माल अभी तक जब्त नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप

११८७. { **श्री क० भे० मालवीय :**
श्री मानकभाई अग्रवाल :
श्री खादीवाला :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की तहसील भानपुर के नामली क्षेत्र, तहसील मनसा के पर्दा क्षेत्र और जिला मंदसौर, तहसील जावद के जठ क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े-बड़े निक्षेप उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सब क्षेत्रों का पूरी तरह से सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इन में से प्रत्येक स्थान के निक्षेपों में लौह अयस्क की लगभग मात्रा कितनी है और इसे निकालने के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) तथा (ख). किये गये अन्वेषणों के परिणामों के आधार पर तहसील मनसा के पर्दा क्षेत्र और जिला मंदसौर, तहसील जावद के जाट क्षेत्र में लौह अयस्क के घटिया श्रेणी के निक्षेपों का पाया जाना सूचित हुआ है। तहसील मानपुरा में लौह अयस्क के पाये जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) थोड़ी मात्रा में पाये जाने और घटिया श्रेणी का होने के कारण इन क्षेत्रों में लौह अयस्क के निक्षेपों का अनुमान नहीं लगाया गया है। वर्तमान में इन निक्षेपों का आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। क्योंकि निक्षेपों में लोहे की मात्रा कम है और सिलिका की मिलावट की प्रतिशतता ऊंची है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

कमाण्डर नानावती की सजा का निलम्बन

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे दो स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें मिली हैं। उन में से एक में कहा गया है :—

> "कमाण्डर नानावती की सजा के निलम्बन के सम्बन्ध में बम्बई के राज्यपाल तथा प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये परस्पर-विरोधी वक्तव्य।"

और दूसरे में कहा गया है :—

> "प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये उत्तरों तथा समाचारपत्रों में छपी कुछ खबरों से यह पता लगता है कि कमाण्डर नानावती का बचाव करने के लिए बम्बई व नई दिल्ली में नौ सेना के बड़े-बड़े पदाधिकारियों ने राज्य के साधनों का प्रयोग किया।"

मैंने इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी है और माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया है कि **वे** चर्चा के दौरान इन बातों को उठा सकते हैं। यदि प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें, तो **मैं** उन्हें अनुमति देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में.

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कर्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे बताया गया है कि इस सम्बन्ध में एक मामले पर बम्बई उच्च न्यायालय में विचार होने वाला है, और मैं समझता हूं इस समय, जो कुछ मैं बता चका हूं, उससे कुछ अधिक कहना ठीक नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि जो गलतफहमी पैदा हो गई है, उसे दूर कर दूं।

माननीय सदस्य दो बातों के सम्बन्ध में चिन्तित हैं। एक बात यह है कि यह कहा गया है कि कमाण्डर नानावती के कुछ सम्बन्धी या अन्य लोग मेरे पास आये थे। नानावती का कोई भी सम्बन्धी मेरे पास नहीं आया। बात ऐसे हुई कि कमान्डर नानावती ने इस मामले में बम्बई में फ्लैग आफिसर कमान्डिग के पास एक अभ्यावेदन भेजा। फ्लैग आफिसर कमाण्डिग ने उसे नौसेनाध्यक्ष के पास भेज दिया और नौसेनाध्यक्ष उस अभ्यावेदन को लेकर मेरे पास आये।

दूसरी बात तथाकथित परस्पर-विरोधी वक्तव्य की है। बम्बई सरकार को हम ने जो राय दी थी वह यह थी कि संविधान के सम्बद्ध अनुच्छेद के अधीन वे एक आदेश जारी कर सकते हैं, जो उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगने के आवेदन पत्र पर निर्णय होने के समय तक प्रभावी रहे।

जब मैंने पिछली बार वक्तव्य दिया था, उस समय मुझे पता नहीं था कि उन्होंने क्या आदेश निकाला था, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे कुछ पता नहीं था। बाद में मैंने देखा कि उन्होंने जो आदेश निकाला था, वह उससे कुछ आगे था। उस आदेश में अपील की अवधि भी सम्मिलित थी। यह उन्होंने अपने स्वविवेक से किया। हम ने एक सुझाव दिया था पर उन्होंने समझा कि ऐसा आदेश निकालना ज्यादा अच्छा होगा, अतः उन्होंने ऐसा आदेश निकाला। यही दोनों बातें थीं। मैं समझता हूं कि और कोई बात नहीं रह जाती।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : क्या कोई राज्यपाल, या प्रधान मंत्री या देश का कोई व्यक्ति न्याय प्रशासन के सामान्य परिचालन में हस्तक्षेप कर सकता है ? जब मामला उच्चतम न्यायालय में है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही उस मामले पर अपना निर्णय दे सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला महत्वपूर्ण है। पर हर मामले में स्थगन प्रस्ताव का सहारा लेना ठीक नहीं है। माननीय सदस्य अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं।

मैंने इन स्थगन प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप उसकी सूचना दें। वैसे तो औचित्य प्रश्न कभी भी उठाया जा सकता है लेकिन इसके लिए मुझे भी निर्णय देने में कुछ समय चाहिए। इस में इतनी जल्दी तो कुछ है नहीं।

†**श्री महन्ती** : बहुत अच्छा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

१. तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये लघु उद्योगों के कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

ग्रामोद्योग मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्री मनुभाई शाह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए लघु उद्योगों के कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों का सारांश ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९९५/६०]

(दो) (क) ग्रामोद्योग मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की टिप्पणी ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—१९९६/६०]

विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में १ मार्च, १९६० को उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में वक्तव्य

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेश संख्या १९ के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में श्री ब्रजराज सिंह द्वारा १ मार्च, १९६० को उठाई गयी आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह आधे घण्टे की चर्चा १ मार्च, १९६० के लिए निश्चित थी परन्तु गणपूर्ति न होने के कारण उस दिन चर्चा न हो पाई ।

निदेश संख्या १९ इस प्रकार है :—

"जब नियम ५५ के उपनियम (१) के अधीन गणपूर्ति न होने के कारण आधे घण्टे की चर्चा में व्यवधान पड़ जाये या जब मंत्री द्वारा वाद-विवाद का पूर्ण उत्तर दिये जाने के लिए समय न हो, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से, एक वक्तव्य सभा-पटल पर रख सकेगा ।"

क्या इस निदेश का यह अर्थ भी निकलता है कि माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य सभा-पटल पर १५ दिन बाद रखें । यह चर्चा १ मार्च को हुई थी और आज १६ मार्च है । मैं समझता हूं कि निदेश के अनुसार वक्तव्य उसी दिन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निदेश के अनुसार मंत्री अपना उत्तर अध्यक्ष की अनुमति से सभा-पटल पर रख सकते हैंपरन्तु उस निदेश में यह तो नहीं दिया है कि वह उसीदिन उसको सभा-पटल पर रखने के लिए बाध्य हैं । माननीय सदस्य जानते हैं कि आधे घण्टे की चर्चा होने पर माननीय मंत्री बोलने

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए तैयार हो कर आते हैं, अपना भाषण लिख कर नहीं लाते हैं। परन्तु जब उस को लिख कर सभा-पटल पर रखना होता है तो उस में निश्चित रूप से अधिक समय लगेगा ही। ज़ाहिर है कि १ मार्च से अब तक माननीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के लिए तैयारी कर रहे थे।

जब माननीय सदस्य जल्दी कोई काम कर देते हैं तो माननीय सदस्य यह आपत्ति उठाते हैं कि जल्दबाजी में उन्हें पूरी बातें नहीं बताई गई हैं और जब वह पूरी बातें इकट्ठी करने में कुछ देर कर देते हैं तो कहा जाता है कि बहुत देर हो गयी है। यह बड़ी कठिन स्थिति है। हमें इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही सोचना चाहिए।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनसठवां प्रतिवेदन

†सरदार हुक्म सिंह (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

रूसी विदेशी व्यापार ऐजेंसी तथा हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड के बीच समझौता

†श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"रूस से पेट्रोल की वस्तुओं के आयात के लिए रूसी विदेशी व्यापार एजेन्सी तथा हिन्दुस्तान आर्गेनाइज़र्स (प्राइवेट) लिमिटेड बम्बई द्वारा हस्ताक्षरित कथित समझौता।"

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : समाचारपत्रों में ९ मार्च को प्रकाशित रूस की सरकार के व्यापारिक प्रतिनिधियों और हिन्दुस्तान आर्गेनाइज़र्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक भारतीय फर्म के बीच हुए समझौते से सम्बन्धित स्थिति के स्पष्टीकरण का जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है, उस के लिए मैं आभारी हूं।

मुझे कुछ भारतीय तथा विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित इस संवाद पर दुख है कि मैंने रूस के राजदूत को बुलवाया और उन से इस समझौते के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा। रूस के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मैत्रीपूर्ण हैं, तथा उन के साथ हमारी टेक्नीकल और आर्थिक सहकारिता बढ़ती जा रही है। उक्त देश तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों में सहायता दे रहा है, अतः उस आयोग के साथ मेरे सम्बन्धों के कारण मेरा उन के तथा उनके अधिकारियों के साथ काफी सम्पर्क रहता है तथा इस विषय के अलावा हमारे पास कई अन्य विषय भी चर्चा के लिये हैं। मार्च १० को उनके साथ ऐसी ही एक सामयिक चर्चा हुई। १४ मार्च को हम लोग फिर मिले क्योंकि इसी बीच इस समझौते की चर्चा समाचारपत्रों में हो चुकी थी, मैं ने उस बातचीत में सही स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने पुनः इसकी पुष्टि की।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

इन मामलों में, जिन में रूस से तेल के आयात का प्रश्न भी शामिल है, दोनों देशों की सरकारें पूर्णतः सहमत हैं। भारत रूसी व्यापार समझौते के अधीन, १६६० की व्यापार योजना को अभी हाल में अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इस बार इसकी एक मद के रूप में पैट्रोलियम उत्पाद को भी रखा गया है। इस प्रथम वर्ष में, टन भार की जो संभावी मात्रा रखी गई है, वह हमारे कुल आयात से बहुत कम है। इस के विपरीत रूसी आयात संगठन तथा भारतीय फर्म के बीच कथित समझौते में उल्लिखित टन भार से यह मात्रा कहीं अधिक है।

इस सम्बन्ध में दोनों सरकारें सहमत हैं कि रूस से पैट्रोलियम उत्पादों का आयात सरकारी स्तर पर किया जाना चाहिए। अब यह बात हमारे ऊपर निर्भर करती है कि आयात किये गये तेल का किस प्रकार उपयोग किया जाय। सरकारी वितरण कम्पनी मौजूद है। सरकारी विभाग तथा उपक्रम तेल के बड़े उपभोक्ता हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई कम्पनियां तेल उत्पादों का वितरण करती हैं। उन में यह भारतीय कम्पनी भी है जिसका इस समझौते में उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त इसकी कई अन्य सहयोगी कम्पनियां भी हैं, जो सरकारी तत्वाधान के अधीन रूस से प्राप्त उत्पादों के सम्बन्ध में दिलचस्पी रख सकते हैं।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि रूसी निर्यात प्रतिनिधियों और एक भारतीय फर्म के बीच यह सीधा समझौता क्रांति होने के कारण ही हो सका है। मैं यह भी कह सकता हूं कि यदि रूस के उस विशेष तेल संगठन को भ्रांति न हुई होती तो यह विशेष समझौता संभव नहीं होता।

बजट चर्चा पर अपने भाषण के दौरान मैं इस विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालूंगा कि हम देश में पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिये क्या व्यवस्था करना चाहते हैं विशेषतः सरकारी वितरण कम्पनी जिनकी हमने स्थापना की है चर्चा करूंगा। हमारी यह इच्छा है कि देश में पैट्रोलियम उत्पादों का सारा आयात सरकारी या सार्वजनिक एजेन्सियों के द्वारा या उनकी ओर से हो तथापि इस संबंध में भविष्य में विचार किया जायेगा।

मैं आशा करता हूं कि इससे माननीय सदस्यों तथा जनता के उन संदेहों का निराकरण हो जायेगा जो पूर्वसूचना में उल्लिखित इस विशेष समझौते के संबंध में भारत तथा विदेशों में प्रकाशित अतिरंजित समाचारों के कारण उत्पन्न हो गये थे।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : क्या यह सच है कि रूसियों और भारतीय कम्पनी के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के समय मंत्रालय के तेल और खान शाखा के संयुक्त सचिव, श्री साहनी उपस्थित थे।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं, यह बात सही नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : माननीय मंत्री ने यह नहीं बताया है कि किस भ्रांति के कारण यह समझौता किया गया था और वह भ्रांति किस प्रकार उत्पन्न हुई ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह स्पष्ट है कि भ्रांति यह थी कि दोनों सरकारों के बीच चलने वाली बातचीत के संदर्भ में उन्हें ने शायद यह सोचा कि वे पैट्रोलियम उत्पादों के

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात के संबंध में समझौता कर सकते हैं। इस बात पर कोई प्रतिबन्ध भी नहीं था। यदि इस समझौते विशेष के संबंध में अधिक विस्तृत बातचीत हुई होती तो कदाचित ऐसा नहीं हुआ होता।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस ऐग्रीमेंट के होने के पहले सरकार से इस बारे में कोई सलाह ली गयी थी या नहीं।

श्री के० दे० मालवीय : सरकार तो यू०एस०एस०आर० गवर्नमेंट से पैट्रोलियम प्राडक्टस खरीदने की बातचीत कर ही रही थी, और सरकार को यह भी मालूम था कि जब यह एग्रीमेंट हो जाएगा तो पहले सरकार और यू०एस०एस०आर० सरकार के बीच में, तब प्राइवेट कम्पनियां भी इस तरह का एग्रीमेंट हमारे जरिए कर सकती हैं या करें। यह पालिसी की बात है। लेकिन इत्तिफाक से यह हो गया, और इसकी ओर गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया गया और यू०एस०एस०आर० सरकार का भी ध्यान दिलाया गया और सब मामला साफ हो गया।

अनुदानों की मांगें

शिक्षा मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगी। श्री सूपकार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं कल सभा को यह बता रहा था कि केन्द्र द्वारा राज्यों को जो सहायता अनुदान दिया जाता है, उसमें रखी शर्तों में राज्यों को सहायता मिलने के स्थान पर कठिनाई पैदा होती है। उदाहरणार्थ निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा संबंधी प्रतिवेदन के पृष्ठ १० में कहा गया है कि अध्यापकों को बुनियादी रूपरेखा के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाये तथा उसके लिये मैट्रिक या हायर सेकिन्डरी शिक्षा प्राप्त युवकों को लिया जाये। केवल लड़कियां तथा पिछड़े इलाकों के संबंध में कुछ छूट दी जाय। इन अध्यापकों को यथासंभव दो वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाय।

यदि हम उक्त शर्तों का कठोरता से पालन करेंगे तो फल यह होगा कि हमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये उचित संख्या में अध्यापक उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि हायर सेकेंडरी शिक्षा प्राप्त अध्यापकों को ऊंची श्रणियों में नियुक्त किया जायगा, उन्हें अधिक वेतन देना पड़ेगा फल यह होगा कि प्राथमिक पाठशालाओं के लिये अध्यापक नहीं मिलेंगे।

जहां तक बुनियादी तथा अबुनियादी स्कूलों का संबंध है, यद्यपि दोनों के लिये होने वाले व्यय का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है तथापि इस तथ्य को सभी जानते हैं कि बुनियादी शिक्षा में अधिक व्यय होता है। अतः राज्यों के पास उच्च-माध्यमिक परीक्षा पास युवकों को दो वर्ष तक बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण दे सकने योग्य धन राशि नहीं रहेगी अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि विशेषतः पिछड़े राज्यों को कम से कम समय में उन्नतिशील राज्यों के समकक्ष आने के लिये विशेष सहायता दी जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सूपकार]

संस्कृत के लिये जो रकम रखी गई है वह अपर्याप्त है। इस वर्ष इस कार्य के लिये २ लाख रुपये रखे गये हैं। इसमें से १,५०,००० रुपये संस्कृत शब्दकोष के निर्माण के लिये और ५०,००० रुपये राज्यों को अनुदान के रूप में दिये जायेंगे। संस्कृत आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये भी सरकार ने संस्कृत बोर्ड की स्थापना के अलावा अभी कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार को इस दिशा में सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिये। क्योंकि पिछले १५० वर्षों से संस्कृत को मृत भाषा माना जाता रहा है जबकि संस्कृत ही हिन्दी तथा अन्य १४ प्रादेशिक भाषाओं की जननी है।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया है और सुझाव दिए हैं। यह स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्य को देश की शिक्षा की आज की दशा से चिन्ता हो। शिक्षा सामाजिक पुनर्गठन का एक शक्तिशाली साधन है। सभा तथा सदस्यों की यह इच्छा होनी आवश्यक ही है कि हमारी शिक्षा पद्धति को राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाये।

सबसे पहले मैं माननीय आचार्य कृपालानी की, जिनके लिये मेरे हृदय में बहुत सम्मान है, आलोचनाओं का उत्तर दूंगा। उनकी आलोचनाओं पर टीका टिप्पणी करने में मुझे खुशी नहीं होती उनकी भ्रांति को दूर करना मेरा कर्त्तव्य है।

उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति में अब तक कोई उचित परिवर्तन नहीं किया गया है और अंग्रेजों के जमाने में जो अराष्ट्रीय प्रकार की शिक्षा पद्धति देश में लागू थी वही अभी भी लागू है। उनका आरोप था कि शिक्षा मंत्रालय समाज के नये उद्देश्यों और आदर्शों तथा शिक्षा में कोई समन्वय नहीं कर पाया है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में देश में बड़ी अव्यवस्था है। मेरा नम्र निवेदन है कि आचार्य कृपालानी की इन बातों से अव्यवस्था और बढ़ी ही है, समस्या हल नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ऊपर से काम शुरू करके नीचे की ओर आती है। यह बात एकदम गलत है। वह जानते हैं कि सरकार ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के ढांचे के बारे में निश्चय किया था। प्राथमिक शिक्षा की रूपरेखा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित की गई थी। उन्होंने हमारे सामने जो कार्यक्रम और सिद्धान्त रखे थे उन्हें हम क्रियान्वित नहीं कर सके हैं लेकिन सरकार ने बुनियादी शिक्षा को स्वीकार कर लिया है।

इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक हमारा संबंध है हम बुनियादी शिक्षा को एक स्थिर प्रकार की शिक्षा नहीं समझते। हम एक गतिशील समाज में रह रहे हैं; हम धीरे धीरे एक औद्योगिक, प्रविधिक तथा वैज्ञानिक समाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इस कारण हमारी अर्थव्यवस्था तथा हस्तशिल्प में बहुत कुछ परिवर्तन होते जायेंगे। इस कारण यदि इस परिवर्तनशील समाज की आवश्यकताओं को कोई शिक्षा पद्धति पूरा करना चाहती है तो यह आवश्यक है कि वह पद्धति इन परिवर्तनों के अनुसार अपने को ढालती रहे। बुनियादि शिक्षा को भी नये समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह कहना गलत है कि हमने शिक्षा का कोई ढांचा नहीं बनाया है। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, हमारे सम्मेलनों, समितियों, तथा बैठकों में बार बार बताया जा चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा का ढांचा बुनियादी शिक्षा है। बुनियादी शिक्षा से मेरा मतलब शिक्षा को समाज की बढ़ती हुई और बदलती हुई आवश्यकताओं से संबद्ध करना है। आशा है आचार्य कृपालानी भी इससे सहमत हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी शिक्षा को बढ़ती हूई आवश्यकताओं के अनुसार बदलत रहने होगा।

हमने शिक्षा पद्धति को बुनियादि ढांचे पर ढ़ालने का कुछ प्रयत्न किया है। बहुत से स्कूलों को बुनियादि स्कूल बना दिया गया है। इन स्कूलों में अच्छे, बुरे सभी प्रकार के स्कूल हैं परन्तु हम प्रयत्न कर रहे हैं कि सभी स्कूल बुनियादि ढंग के स्कूल हो जायें।

†आचार्य कृपालानी (सीतामढ़ी) : मैंने यह कहा था कि बड़े बड़े सरकारी अधिकारी या अमीर लोग अपने बच्चों को बुनियादि स्कूलों में नहीं भेजते हैं। मैंने यह नहीं कहा था कि आपने सिद्धान्ततः उसको स्वीकार नहीं किया है।

†डा० राम सुभग सिंह (सहसराम) : सरकार पब्लिक स्कूलों को ४,९०,००० रुपये की छात्रवृत्तियां दे रही है परन्तु अन्य सामान्य स्कूलों को, बुनियादि स्कूलों समेत, ९,४०,००० रुपये की छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं, जबकि उनकी संख्या पब्लिक स्कूलों की संख्या से बहुत अधिक है। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि बुदियादि शिक्षा को स्वीकार करके पब्लिक स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता है।

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं। आचार्य कृपालानी जानते हैं कि हमने दो महत्वपूर्ण आयोग स्थापित किए थे। एक के सभापति डा० राधाकृष्णन थे और हम सभी जानते हैं कि वह महान दार्शनिक तथा शिक्षाविद् हैं। हम उस आयोग की सिफारिशों को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी एक सिफारिश यह थी कि हमें एक स्वतंत्र स्वायतशासी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाना चाहिए जो विश्वविद्यालयों के कार्यों पर ध्यान रखें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जा चुका है और वह विश्वविद्यालयों की शिक्षा में सुधार करने का प्रयत्न कर रहा है। यह सच है कि विश्वविद्यालयों की हमारी बड़ी समस्यायें हैं और मुझे इसका बड़ा खेद है कि उत्तर-प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में सशस्त्र पुलिस को बुलाना पड़ा। परन्तु साथ ही साथ हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी शिक्षा पद्धति में कुछ अच्छे परिवर्तन और सुधार भी लागू किये गये हैं।

भारतीय शिक्षा की समस्या एक बहुत बड़ी और जटिल समस्या है और हमारे संसाधन बहुत सीमित हैं। इसलिए जब भी हम शिक्षा सम्बन्धी अपने कार्यकलाप की जांच करें तब हमें इन दोनों तथ्यों का ध्यान रखना चाहिये।

मैं बता रहा था कि हम एक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से शिक्षा पद्धति को उसी ढंग का बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों तथा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों को मैं बताता हूं। हमने प्राथमिक स्कूलों के लिए एक सलाहकार सेवा बनाई है। यह सलाहकार हमारी शिक्षा संस्थाओं को प्राथमिक स्तर पर सलाह देंगे जिससे हमारे सीमित संसाधनों के अन्दर वैज्ञानिक शिक्षा का विकास हो सके। हमने सेकेन्डरी स्कूलों में विज्ञान क्लब बनाये

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्री माली]

हैं जिससे विद्यार्थि विज्ञान में दिलचस्पी लें । इसके अतिरिक्त सरकार का विचार एक उच्चाधिकारयुक्त विज्ञान आयोग बनाने का है जो स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक विज्ञान अध्यापन में सुधार करने के तरीकों का सुझाव देगा। मैं आशा करता हूं कि इस आयोग में ऐसे देशों के एक दो वैज्ञानिक भी होंगे जिन्होंने विज्ञान में पर्याप्त प्रगति की हो।

हमने वैज्ञानिक तथा प्रविधिक पुस्तकों के प्रकाशन की योजना भी बनाई है जिसके द्वारा विदेशी प्रकाशकों तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरणों के सहयोग से कम मूल्य पर इन पुस्तकों को प्रकाशित करना संभव हो सकेगा। इस प्रकार देश में सस्ती पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी।

आचार्य कृपालानी ने यह भी कहा कि हमें पब्लिक स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए और जब तक हम इन्हें बन्द नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्रीय समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो पायेगी। आचार्य कृपालानी ने मुझे बताया कि संविधान के किस उपबन्ध के अन्तर्गत हम स्कूल बन्द करने के आदेश दे सकते हैं। जब तक हम संविधान के उपबन्धों में परिवर्तन नहीं करें तब तक किसी भी शिक्षा संस्था को बन्द नहीं किया जा सकता है। मैं, पब्लिक स्कूलों का कोई बड़ा प्रशंसक नहीं हूं...

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार उनकी मान्यता नहीं रोक सकती ? सरकार ऐसे स्कूलों को, जहां राष्ट्रविरोधी शिक्षा दी जाती हो, अनुदान देना बन्द कर सकती है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लेकिन कृपालानी जी ने यह नहीं कहा कि ये राष्ट्रविरोधी स्कूल हैं। उन का कहना था कि ये बड़े महंगे स्कूल हैं। हम उन्हें अनुदान नहीं दे रहे हैं। हम ने अनुदान देना बन्द कर दिया है। सच तो यह है कि मैं ने स्वयं इन पब्लिक स्कूलों की कड़ी आलोचना की है।

पब्लिक स्कूलों के गत सम्मेलन में मेरी इस बात से इन स्कूलों के हैडमास्टर कुछ नाराज़ भी हो गये थे कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को अधिकांशतः धन-दौलत के आधार पर, न कि योग्यता के आधार पर, प्रवेश मिलता है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की किसी संस्था में आर्थिक कारणों के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश मिले। यदि निर्धन विद्यार्थी बुद्धिमान है तो उसे हमारे सर्वोत्तम स्कूल में प्रवेश मिलना चाहिये। परन्तु यह सभी स्कल स्वतंत्र स्कूल हैं। पहले भारत सरकार इन को अनुदान देती थी जिस को अब बन्द कर दिया गया है। परन्तु इस के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन स्कूलों में नेतृत्व के गुणों के विकास की बड़ी सुन्दर शिक्षा दी जाती है . . .

†**आचार्य कृपालानी** : क्या धनी ही नेता बन सकते हैं ? क्या अब समाजवादी समाज में धनी लोग ही नेता होंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नेतृत्व करना किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है ; लेकिन हम इन स्कूलों को इस आधार पर बन्द नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ़ पैसे वाले लोगों के लिये हैं। मैं इस का प्रयत्न करूंगा कि इन स्कूलों में निर्धन विद्यार्थियों का योग्यता के आधार पर प्रवेश हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम ने निर्धन विद्यार्थियों को देने के लिये इन स्कूलों को कुछ छात्र-वृत्तियां दी हैं जिस से निर्धन विद्यार्थी इन स्कूलों में प्रवेश पा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आज हमें सेना, प्रशासन आदि के लिये योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है । हमें सचाई देखनी चाहिये ; यह सही बात है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन स्कूलों के विद्यार्थी सर्वप्रथम आते हैं और इस प्रकार इन स्कूलों का राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योग है । जैसा मैं कह चुका हूं मैं इन स्कूलों का प्रशंसक नहीं हूं लेकिन इन स्कूलों को बन्द नहीं किया जा सकता ; संविधान के अधीन ऐसी कोई शक्ति नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि हम इन स्वतंत्र स्कूलों को बन्द नहीं कर सकते हैं अपितु इन से लाभ उठा सकते हैं । मैं मानता हूं कि उन्हें भी भारतीय संस्कृति और भारतीय परम्पराओं का अनुसरण करना चाहिये ।

कल आचार्य कृपालानी ने कहा था कि इन स्कूलों में जाने वाले अधिकांश विद्यार्थी समाप्त हो रहे वर्ग के व्यक्तियों के बच्चे हैं और सहजात मूर्ख होते हैं । मैं समझता हूं कि आचार्य कृपालानी को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये था । यह बड़ी ही कठोर भाषा है । मैं बताना चाहता हूं कि इन में से कुछ विद्यार्थी बड़े योग्य होते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नम्बर प्राप्त करते हैं । समाज निर्माण में यह लोग अधिकतम योग देंगे । नेता बनना किसी विशेष वर्ग की बपौती नहीं है । समाज के निर्धन तथा धनी सभी वर्गों के लोग नेता होने की योग्यता रख सकते हैं ।

आचार्य कृपालानी के इस कथन पर मुझे आश्चर्य है कि इन स्कूलों को फ़ौरन बन्द कर दिया जाये । लोकतंत्रीय समाज में इस प्रकार शिक्षा फलती फूलती नहीं है । माता पिताओं को इस की छूट होनी चाहिये कि वह जिस प्रकार की चाहें वैसी शिक्षा अपने बच्चों को दिलायें ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं ने यह कहा कथा कि जो स्कूल समाजवादी समाज की स्थापना में बाधा हैं तथा उस के विरोधी हैं उन को बन्द कर देना चाहिये ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मेरी सूचनानुसार इन स्कूलों में मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के विद्यार्थी होते हैं । मैं समझता हूं कि सभा के किसी भी सदस्य का यह विचार नहीं है कि इन स्कूलों में जाने वाले बच्चे सहजात मूर्ख होते हैं । मेरा यही मत है कि कुछ माता पिता बहुत कुछ त्याग करते हैं जिस से उन के बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा मिले ।

†**आचार्य कृपालानी** : बड़ी कठिनाई है । मेरे यह कहने पर भी कि इन स्कूलों में जाने वाले सभी बच्चे मूर्ख नहीं होते हैं आप कहे जा रहे हैं कि 'सभी होते हैं' ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बार बार कहूंगा । श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार मेरे भाषण में बाधा न डाली जाये ।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं क्या कर सकता हूं । यदि मैं ठीक करने का प्रयत्न करता हूं तो आप मेरी बात मानते नहीं हैं ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : लोकतंत्रात्मक शिक्षा का उल्लेख किया गया । अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों, तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को दी जा रही छात्रवृत्तियों की राशि सरकार लगातार बढ़ा रही है । अब यह धनराशि दो करोड़ रुपये कर दी गई है । हम धीरे धीरे इस को बढ़ा रहे हैं और हमें इस का गर्व है कि हम समाज के इस गिरे हुए अंग को यह सुविधायें दे रहे हैं । इस प्रकार हम लोकतंत्रीय शिक्षा की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं । हमें अपनी शिक्षा पद्धति को इस प्रकार नहीं गिराना चाहिये जैसे उस में कोई अच्छाई ही नहीं है । यदि रूस में कोई काम किया जाता है तो वह बहुत अच्छा माना जाता है, यदि इंग्लैण्ड में कोई काम किया जाता है तो वह लोकतंत्र की सफलता समझी जाती

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्री माली]

है। परन्तु यदि उसी प्रकार का कोई काम हम करते हैं तो हमारी आलोचना की जाती है। मेरा यह मतलब नहीं है कि हम ने ग़लतिया नहीं की हैं या हम में कोई कमी नहीं है। हम अपनी गलतियां जानते हैं और यह जानते हैं कि हम में बहुत कमियां हैं। परन्तु यह तो ठीक नहीं है कि हम अपनी शिक्षा की सर्वथा भर्त्सना करते रहें।

सेठ गोविन्द दास ने हिन्दी भाषा के विकास और प्रचार के सम्बन्ध में हमारी जो सराहना की है, उस के लिये मैं उन का आभारी हूं। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हिन्दी के विकास और प्रचार कार्य में अधिक व्यापकता लाने के लिये जो प्रयत्न किये जा रहे हैं उन्हें और अधिक बढ़ाने के लिये हम ने १ मार्च १९६० को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना कर ली है, यह निदेशालय शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत काम करेगा। मैं श्री सेठ गोविन्द दास को आश्वासन देता हूं कि किसी योग्य व्यक्ति को ही निदेशक के पद पर नियुक्त किया जायेगा। इस निदेशालय का कार्य सरकार की हिन्दी सम्बन्धी नीति को क्रियान्वित करना होगा; उस का प्रमुख कार्य हिन्दी पारिभाषिक शब्दावलि का विकास, आदर्श शब्दकोष का निर्माण, तथा असंविहित प्रकार के सरकारी तथा प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य का अनुवाद करना तथा हिन्दी के विकास एवं संवर्द्धन से सम्बन्धित अन्य कार्यों को करना होगा।

हम वैज्ञानिक तथा टेक्नीकल पारिभाषिक शब्दों के विकास के लिये एक स्थायी आयोग की स्थापना करना चाहते हैं। मेरे विचार से इस आयोग की शीघ्र ही स्थापना की जायेगी।

†**सेठ गोविन्द दास** (जबलपुर) : मैं इस मामले में यह जानना चाहता था कि आप जो सायंटिफिक टरमीनालाजी बनाने वाले हैं—जैसाकि मैं ने पहले भी कई बार कहा है—यह जो अंग्रेज़ी टरमीनालाजी अन्तर्राष्ट्रीय मानी जाती है, और जो नहीं है, उस को आप लेने वाले हैं, या आप वह ऐसी बनाने वाले हैं कि जो पूर्णतया हमारी संस्कृत से आये और जो १४ हों भाषाओं में प्रयुक्त हो सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है अतः यह मामला विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिये जो इस मामले में सलाह देने में समर्थ हैं। इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य, विशेषज्ञों की एक ऐसी संस्था की स्थापना करना है, जो हमें हिन्दी तथा अन्य सभी प्रादेशिक भाषाओं में स्वीकार किये जाने योग्य वैज्ञानिक—पारिभाषिक—शब्दावलि के सम्बन्ध में उचित सलाह दे सके। मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हम विज्ञान, टेक्नोलौजी तथा इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिस से कि अच्छे स्तर की पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों को उचित संख्या में उपलब्ध हो सकें। इन विषयों का अध्यापन तब तक संभव नहीं है जब तक कि इन विषयों में ऊंचे स्तर की पुस्तकें उपलब्ध न हो सकें। मंत्रालय ने कुछ चुनी हुई वैज्ञानिक और टेक्नीकल पुस्तकों का, जिन का व्यवहार विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर मूल पुस्तकों, पाठ्य पुस्तकों या निर्देश पुस्तकों के रूप में होता है, अनुवाद करने की एक विस्तृत योजना तैयार की है। यह कार्य राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के निकट सहयोग से सम्पन्न होगा। इस विषय में हम राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से वार्ता कर रहे हैं।

हम कुछ लोकप्रिय पुस्तकों के सस्ते संस्करणों भी निकाल रहे हैं। इन पुस्तकों में विश्व की कुछ याति प्राप्त पुस्तकों का अनुवाद तथा सुप्रसिद्ध हिन्दी की पुस्तकों का सुसम्पादित प्रकाशन भी शामिल होगा। इस योजना का उद्देश्य बड़ी मात्रा में सस्ते और लोकप्रिय साहित्य का प्रकाशन करना है, जिस से सामान्य पाठकों तथा स्कूल पढ़ने वाले बालकों को साहित्य के प्रति रुचि पैदा हो।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

हिन्दी टाइपरायटर के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय का प्रश्न उठाया गया था । सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया है । अब यह मामला हिन्दी टाइपरायटर समिति के विचाराधीन है । उन से यथाशीघ्र प्रतिवेदन भेजने को कहा गया है । हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हम यथाशीघ्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा हिन्दी टाइपरायटर का निर्माण करवा सकें ।

सेठ गोबिन्द दास : एक सवाल मैं और पूछना चाहता था । मैं ने अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के लिए कुछ सुझाव दिये थे जोकि बहुत जरूरी हैं । उन के बारे में आप क्या करने वाले हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो आप ने सुझाव दिये हैं उन पर पूर्ण रूप से विचार किया जायगा और उन को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जायगा ।

श्री मु० हि० रहमान ने उर्दू की पाठ्य पुस्तकों का प्रश्न उठाया था । दिल्ली में उर्दू की पाठ्य-पुस्तकों के उपलब्ध न होने के प्रश्न पर हमारा ध्यान आकर्शित किया गया था । शिक्षा निदेशालय ने इस स्थिति की जांच की है । निस्सन्देह प्राथमिक तथा मिडिल की कक्षायें के लिये पाठ्य पुस्तकें कम थीं । क्योंकि कोई भी गैर सरकारी प्रकाशक उर्दू की पाठ्य पुस्तकें छापने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन की बिक्री निश्चित नहीं थी । इस स्थिति का सामना करने के हेतु शिक्षा निदेशालय ने, उर्दू एकाडेमी को यह आश्वासन दिया कि वह प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की १००० प्रतियां प्राथमिक कक्षाओं में और ५०० प्रतियां मिडिल कक्षाओं में विकवायेगी । तदन्तर उन्होंने कुछ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जो बाजार में बिक रही हैं । तत्पश्चात् उर्दू पाठ्य पुस्तकों के सम्बन्ध में दिल्ली में कोई शिकायत नहीं हुई ।

अंजुमन-तरक्की-ए-उर्दू के लेखकों को उर्दू में अच्छी पाठ्य पुस्तकें लिखवाने के लिये विशेष अनुदान दिया गया जिस से उन पुस्तकों का पुस्तकालयों में उपयोग किया जा सके ।

कुछ समय पूर्व श्री हिफजुर रहमान ने मेरा ध्यान एक पुस्तक की ओर आकर्षित किया था जिसमें इस्लामी धर्म व संस्कृति के विरुद्ध कुछ आरोप किये गये थे । मैं वह मामला राज्य सरकार को भेज रहा हूं । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकारों के परामर्श से भविष्य में हम ऐसी नीति अपनायेंगे कि जिससे हमारी शिक्षा संस्थाओं में कोई ऐसी पुस्तक शामिल न की जाय । बालकों में सभी धर्मों के प्रति आदर और सहिष्णुता बनाये रखना हमारा कर्तव्य है ।

श्री हिफजुर रहमान द्वारा उठाये गये एक प्रश्न के उत्तर में जलाई १९५८ को मैं ने सभी राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि देश के विभिन्न भागों से उर्दू भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों ने यह अभ्यावेदन भेजे हैं कि कुछ राज्यों में उर्दू के साथ न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है । राज्यों ने इस मामले पर विचार किया । हम ने राज्य सरकारों को लिखा था कि प्रत्येक बालक के लिए, जिसकी मातृ भाषा उर्दू हो, उर्दू की शिक्षा व परीक्षाओं की व्यवस्था की जाय । माध्यमिक स्तर में भी न केवल उर्दू के अध्ययन की अपितु उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय । राज्य सरकारें उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था करें । उर्दू में पाठ्य पुस्तकें लिखवाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय । राज्य सरकारों को सामान्यतः इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि उर्दू के विरुद्ध किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाय ।

हमें इस सम्बन्ध में आसाम को छोड़ कर सभी राज्य सरकारों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं । उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया है कि उन के यहां उर्दू के विरुद्ध कोई पक्षपात नहीं हैं, तथा उर्दू भाषा-भाषी बालकों को उर्दू के माध्यम से शिक्षा देने के लिए यथासम्भव सुविधायें दी जा रही हैं ।

[डा० का० ला० श्रीमाली]

उर्दू के विकास के लिये अन्य कार्य भी किये जा रहे हैं । यदि माननीय सदस्य कुछ अन्य बातों की ओर मेरा ध्यान दिलायेंगे तो मैं राज्य सरकारों से उनका उल्लेख करूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने प्राथमिक शिक्षा का प्रश्न उठाया था । उन्होंने कहा कि हम ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उतनी तेजी से प्रगति नहीं की है जितनी कि हम ने संविधान में विहित की है । मुख्य कठिनाई यह है कि संसाधनों का अभाव है । हम तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू कर रहे हैं । राज्य सभा में मैं दिल्ली के केन्द्र प्रशासित राज्य के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करने सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित कर चुका हूं । मुझे विश्वास है कि अन्य दो तीन वर्षों में अन्य राज्य सरकारें भी इसी प्रकार का विधान लागू करेंगी । भले ही प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी प्रगति धीमी रही है तथापि पिछले दस वर्षों में हम ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है । १९५०-५१ में कक्षा १ से ५ तक बालकों की संख्या १.८७ करोड़ थी । ६ से ११ वर्ष के बच्चों की कुल संख्या का प्रतिशत ४२.१ था । १९५५-५६ में बच्चों की कुल संख्या २.४५ करोड़ और प्रतिशत ५३.१ था । योजना आयोग ने यह अनुमान लगाया था कि १९६०-६१ में हमारी पाठशालाओं में ३.४७ करोड़ बालक होंगे और प्रतिशत ६१ होगा ।

प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में दुहरी समस्यायें हैं । पहिली यह कि कुछ राज्य प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत पिछड़े हुए हैं । ६५ से ७० प्रतिशत तक स्कूल न जाने वाले बालक इन पिछड़े राज्यों में हैं । इस समस्या का सामना किये बिना हम तीसरी पंच वर्षीय योजना में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं । ये पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर और उड़ीसा हैं । अतः हम ने राज्य सरकारों तथा शिक्षा मंत्रियों के परामर्श से यह निश्चय किया है कि पिछड़े राज्यों को अन्य राज्यों के स्तर तक आने के लिये विशेष सहायता देंगे । इन पिछड़े राज्यों की समस्या का हम ने विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा हमारे सलाहकारों ने इस समस्या की बारीकी से जांच की है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने नारी-शिक्षा के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति न होने पर भी ध्यान आकर्षित किया हैं । हम लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि लड़कियां तथा लड़कों की शिक्षा के बीच जो असंतुलन है वह दूर हो जाय ।

जहां तक नारी शिक्षा परिषदों का सम्बन्ध है, बंगाल के सम्बन्ध में माननीय सदस्या जानती होंगी । अन्य राज्य सरकारों के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि हम राज्यों को इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने को लिखेंगे ।

अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दे रहे हैं, जिससे वे प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रसार कार्य को आगे बढ़ा सकें । आवश्यक होने पर हम नई प्रशिक्षण संस्थायें खोलेंगे जिससे कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यापक योजना के लिए तैयारी की जा सके ।

बेकारी दूर करने की योजना के अधीन, हम ने अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में शत प्रतिशत सहायता दी है । विज्ञान की शिक्षा के प्रसार के लिए भी शत प्रतिशत सहायता दी जा रही है । स्त्री-शिक्षा तथा स्त्री अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिये हम ने सुझाव दिया था कि हम ७५ प्रतिशत सहायता देंगे । तथापि राज्य सरकारों को समान राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । इसलिए हम ने उन्हें बताया कि वे कम से कम हमारी सहायता का उपयोग करें ।

अतः यह कहना गलत है कि केन्द्र प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य सरकारों को उचित सहायता नहीं दे रही है।

वस्तुतः राज्य सरकारें इस समस्या पर उचित ध्यान नहीं दे रही हैं। राज्य सरकारों को अपने राजस्व का १० प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करना चाहिए, जब कि कुछ पिछड़े राज्य इस दिशा में केवल ६ प्रतिशत व्यय कर रहे हैं।

निस्संदेह हम संविधान में उल्लिखित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सके हैं। तथापि १९४८ से १९५८ के दौरान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की संख्या दुगनी हो गई है। हम ने पिछले १० वर्षों में इतना कार्य किया है जितना पिछले १५० वर्ष में भी नहीं हुआ था तथापि फिर भी हम इस प्रगति से संतुष्ट नहीं हैं।

हम विज्ञान तथा टेक्नालाजी में सस्ती पाठ्य पुस्तकों एवं निर्देश पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में एक अन्तर्मन्त्रालय समिति नियुक्त की है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी विदेशी पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन की एक योजना बनाने का निश्चय किया है। विभिन्न क्षेत्रों, यथा इंजीनियरिंग, टेक्नोलोजी, कृषि, विज्ञान और औषधि में शास्त्र की पुस्तकों की सूची बनाने में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। आगामी वर्ष कुछ चुनी हुई पुस्तकों का संग्रह प्रकाशित किया जायेगा।

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या से भी कई सदस्य चिन्तित हैं। समस्या गम्भीर और कठिन है तथा हमें उसे सही दृष्टिकोण से देखना है। वैसे देश के समस्त भागों में यदा कदा घटनायें होती रहती हैं तथापि मुख्य रूप से यह समस्या उत्तर प्रदेश में सीमित है। वहां हर वर्ष यह समस्या उठ खड़ी होती है। इस समस्या से सभी विद्यार्थी भी संबंधित नहीं हैं। सामान्यतः विज्ञान और टेक्नालाजी के विद्यार्थी इन उपद्रवों में हिस्सा नहीं लेते हैं। केवल कला और वकालत के विद्यार्थी जो यह समझते हैं कि वे दो तीन महीनों में रट रटा कर उत्तीर्ण हो जायेंगे ऐसे उपद्रवों में भाग लेते हैं। जहां उत्तम और सहृदय अध्यापक होते हैं, जो विद्यार्थियों से अच्छा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं वहां भी यह समस्या उत्पन्न नहीं होती है। हम अकसर विद्यार्थियों को दोषी ठहराते हैं तथापि कहीं कहीं विद्यार्थियों को सच्ची कठिनाई भी होती है जब कभी उनको सहानभूतिपूर्वक दूर किया गया, यह संकट पुनः पैदा नहीं हुआ। मैं इस प्रश्न पर विस्तार से नहीं जाना चाहता तथापि संकट पैदा करने में राजनैतिक दलों का भी पर्याप्त हाथ रहता है। इस सम्बन्ध में हमें एक रूप-नीति अपनानी चाहिए। देश में सब को विधि और व्यवस्था का पालन करना है। साथ साथ हमें दीर्घकालीन नीति के रूप में अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए और सभी शिक्षा सुविधायें यथा हास्टल, खेल के मैदान, खेलों इत्यादि की सुविधा देनी चाहिए जिससे कि युवकों की सृजनात्मक शक्तियों को उपयोग का मार्ग मिल सके निस्संदेह इस से यह समस्या एक या दो वर्ष में हल नहीं हो सकती है। हमें पारस्परिक सहयोग से ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जिस में प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि उस ने विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग देना है।

विद्यार्थियों को न केवल विद्यालयों में शिक्षा मिलती है अपितु उन्हें घरों में भी शिक्षा प्राप्त होती है। उन्हें समाज से भी शिक्षा प्राप्त होती है। अतः लोगों को उत्तरदायिता से कार्य करना चाहिए। हमेशा कदाचार की बातें करने से विद्यार्थी का नैतिक स्तर गिरता है। अतः हमें अल्प-कालीन तथा दीर्घकालीन दोनों दिशाओं से इस समस्या का सामना करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनदान आयोग इस समस्या पर विस्तार से ध्यान दे रहा है। उन्होंने एक समिति नियुक्त की है जो इस समस्या का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रही है। वे सभी विश्वविद्यालयों

[डा० का० ला० श्रीमाली]

का दौरा कर रहे हैं जहां उपद्रव हुए हैं या नहीं हुए हैं, जहां नहीं हुए हैं वहां इस बात का पता लगा रहे हैं कि किन कारणों से वहां अनुशासन और अच्छी परम्परा कायम है। इस प्रतिवेदन से हमें बहुमूल्य सहायता मिलेगी, इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात मैं उपकुलपतियों और शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन करना चाहता हूं।

श्री जमाल ख्वाजा ने यह कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को विश्वविद्यालय तथा कालेजों में अनिवार्य विषय बनाया जाय। मेरा विचार है कि यदि हम वातावरण को अधिक स्वस्थ बना सके तो इस से हमारे बालकों और युवकों पर उत्तम प्रभाव पड़ेगा। यदि अध्यापक और विद्यार्थियों में अच्छा सम्पर्क हो और उनकी रचनात्मक शक्तियों के उचित विकास की व्यवस्था हो सके तो ऐसा कोई मानसिक संकट उपस्थित नहीं होगा जिसके लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता हो।

†**आचार्य कृपलानी** : मैं आप को नई दिल्ली में हुई संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन की शिक्षा सुधार गोष्ठी के कुछ अंश सुनाना चाहता हूं। उस का सारांश इस प्रकार है कि हमारी शिक्षा पद्धति जीवन की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। इस से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का केवल एकांगी विकास होता है। अंग्रेज़ी के शिक्षा का माध्यम होने के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। अध्यापन की प्रणाली ऐसी है कि उस से विद्यार्थियों में स्वतंत्रता की भावना का विकास नहीं होता हैं तथा परीक्षा की त्रुटिपूर्ण पद्धति के कारण अध्यापक पढ़ाने के यांत्रिक और शुष्क तरीके अपनाते हैं तथा महत्वहीन विषयों पर अधिक ध्यान देते है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने यह कभी नहीं कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति पूर्ण है। यह कहना भी गलत है कि हमारी शिक्षा पद्धति राष्ट्रविरोधी और अनुपयोगी है। मैं अपनी शिक्षा पद्धति को इस प्रकार दोषी नहीं ठहरा सकता जिस प्रकार आचार्य कृपालानी ने कहा है।

अनुशासनहीनता का सामना करने के लिये हम दो प्रकार की कार्यवाहियां कर रहे है। हम दंडात्मक तरीके अपनाने के स्थान में सकारात्मक तरीके अपना रहे है। हम ने नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा के प्रश्न पर श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। इस का प्रतिवेदन स्वीकार किया जा चुका है। केन्द्रीय परामर्श बोर्ड भी इसे स्वीकार कर चुका है। अब हम इस बात की जांच कर रहे है कि इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाय। इस वर्ष के अन्त तक मैं माननीय सदस्यों को इस संबंध में कुछ जानकारी देने में समर्थ होऊंगा।

मंत्रालय अनिवार्य राष्ट्र सेवा की एक योजना पर विचार कर रहा है। केन्द्रीय परामर्श-दातृ बोर्ड की पिछली बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई थी बोर्ड ने इस का पूर्ण समर्थन किया है। हम ने एक कार्यकारी दल को इस योजना की क्रियान्विति के तरीकों पर विचार करने के लिये नियुक्त किया है। सिद्धान्त सामान्य रूप से स्वीकार किये जा चुके है ,तथापि हमें यह देखना है कि क्या इस योजना की क्रियान्विति के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह और शि० ला० सक्सेना ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रश्न उठाया है। पिछले वर्ष अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय, मैं ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि मैं जमींदारी उन्मूलन बन्ध-पत्रों की खरीद के सम्बन्ध में जांच का प्रतिवेदन सभा के सम्मुख

रखूंगा। प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है। मैंने सभा को यह आवश्वासन दिया था कि जो भी इस भ्रष्टाचरण का दोषी ठहरेगा उसे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। सरकार प्रत्यक्षतः इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले की अग्रेतर जांच होनी चाहिये। अतः आगे और जांच करने का विचार किया जा रहा है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : क्या विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोकने के लिये सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि उच्च-माध्यमिक-स्तर के पश्चात्, केवल उचित संख्या में विद्यार्थियों को चुनने की व्यवस्था की जाय तथा उन के प्रशिक्षण और उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाय।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समस्या पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे है। वास्तविक समस्या यह है कि हाई स्कूल तथा उच्च माध्यमिक परीक्षा उतीर्ण बालकों को उचित रोजगार प्राप्त हो सके तथा विश्वविद्यालयों में केवल वे ही विद्यार्थी जायें जो ऊंची शिक्षा से लाभ उठा सकें। इन के लिये हमें उचित संख्या में व्यवसायिक तथा उद्योग धंधा सिखाने वाले स्कूल चाहियें इन के लिये हमारे विकास कार्यक्रम में व्यवस्था की जानी चाहिय।

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह प्रसन्नता की बात है कि जमींदारी उन्मूलन बन्ध-पत्रों की खरीद के मामले की जांच की जा रही है। यह काम उपकुलपति और कार्यपालिका समिति की असावधानी के कारण हुआ। कोषाध्यक्ष उपयुक्त दोनों अधिकारियों की सहमति के बिना इन में रुपया नहीं लग सकता था। उन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसाकि मैं पहिले कह चुका हूं जमींदारी उन्मूलन बन्ध-पत्रों के मामले के सम्बन्ध में अग्रेतर जांच की जा रही है। मैं पहिले ही यह आश्वासन दे चुका हूं। जो कार्यपालिका समिति इस कार्य के लिये उत्तरदायी थी वह अब नहीं रही है।

†**श्री खुशवक्त राय** (खेरी) : क्या जांच के समाप्त होने तक उपकुलपति और कोषाध्यक्ष को मुअत्तिल किया जा सकता है ?

†**श्री का० ला० श्रीमाली** : इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिये। मैं इस का उत्तर दे सकता हूं तथापि यह उत्तर उन सदस्यों के लिये जो राजनैतिक हितों की प्राप्ति के लिये हमारी शिक्षा प्रणाली को दूषित करना चाहते हैं, अच्छा नहीं लगेगा।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : अपने उत्तर के दौरान माननीय मंत्री ने राजनैतिक दलों पर यह आरोप तीन बार लगाया है। उन्हें इस प्रकार का आक्षेप नहीं करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को प्रशासन की त्रुटियों की ओर संकेत करने का अधिकार है तथापि वे माननीय मंत्री पर अपना मत थोपने के अधिकारी नहीं। इस से माननीय मंत्री पर उल्टा प्रभाव पड़ सकता है अतः वे इस समय चुप रहें और माननीय मंत्री को अपनी बात कह लेने दें। माननीय सदस्य मंत्री महोदय से यह नहीं पूछ सकते कि क्या वे अमुक कदम उठायेंगे ? वे केवल तत्सम्बन्धी तथ्यों को मंत्री महोदय के समक्ष रख सकते हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित विश्वविद्यालय के संविधान के अनुसार मंत्री उपकुलपति को अपने पद से नहीं हटा सकता। अब मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेता हूं। विश्वविद्यालय दुर्भाग्य से चर्चा का विषय बन गया है और बड़ी नाजुक स्थिति पैदा हो गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत की महान् राष्ट्रीय संस्थाओं में से

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

एक है। उस ने भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आशा करता हूं आगे भी हमारे समाज के पुनर्निर्माण में यह संस्था महत्वपूर्ण योग देगी। हम इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करना चाहते हैं। कुछ मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी लेकिन कुछ बुनियादी मतभेदों के कारण समिति को पहिली ही बैठक में, जोकि प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों का निपटारा करने के लिये सम्मिलित हुई थी, इस्तीफा देना पड़ा। उस बैठक में या उस के पश्चात् उपकुलपति ने यह सुझाव दिया था कि समिति के सदस्य, सचिव या अध्यक्ष उपकुलपति की अनुमति के पश्चात् ही सदस्यों से भेंट कर सकते है। प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां भी उठाई गईं। वे एक ज्ञापन प्रस्तुत करना चाहते थे जबकि उपकुलपति का यह मत था कि इस से विश्वविद्यालय के अनुशासन को आघात होगा। इन बातों पर चर्चा हो रही थी जबकि इसी बीच उपकुलपति ने एक वक्तव्य जारी किया। इस से समिति ने यह अनुभव किया कि उन के लिये इन परिस्थितियों में काम करना संभव नहीं होगा। मैं ने इस्तीफे के बाद समिति के सदस्यों से इस विषय में चर्चा की। मैं ने उपकुलपति से भी इस बारे में चर्चा की। मुझे आशा है कि समिति इस्तीफे को वापस ले लेगी और उपकुलपति अपने व्यवहार के लिये क्षमा मांग लेंगे और इस प्रकार यह विवाद समाप्त हो जायेगा। हमारी इच्छा है कि विश्वविद्यालयों का वातावरण और प्रशासन स्वच्छ और निर्दोष होना चाहिये। हमारी संस्थाओं में उच्च मर्यादा और चरित्र के व्यक्ति रहने चाहियें। हमारे करदाताओं के धन की एक एक पाई का सदुपयोग होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि यह विवाद समाप्त हो जायेगा अब हमें समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (गुड़गांव) : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिछली बार जब आधे घंटे की चर्चा चली थी, उस समय उन्हों ने सदन को यह आश्वासन दिया था कि जो जांच समिति इस समय नियुक्त हुई है, यदि किन्हीं कारणों से वह कार्य न कर सकी, तो ऐसी भी स्थिति आ सकेगी कि विज़िटर्ज़ कमेटी एपायंट की जाये। उस समिति ने उपकुलपति के वक्तव्य से असंतुष्ट हो कर त्याग-पत्र दे दिया है। कल उन्हों ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया था और उस के बाद शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा चली, जिस में उन्हों ने विशेष रूप से और दूसरे लोगों ने एक ही विषय पर ध्यान दिया कि वहां फ़ाइनेंसिज़ का मिसयूज़ हुआ है—वित्तीय अनियमिततायें हुई हैं और उसी के सम्बन्ध में चर्चा की। लेकिन मैं ने सदन का ध्यान केवल धन सम्बन्धी मामलों की ओर ही आकर्षित नहीं किया था कि वहां पर लोग लाखों रुपये ले कर पाकिस्तान चले गये और उन को बटटे-खाते डाल दिया गया। बल्कि मैं ने साथ ही साथ इस बात की तरफ़ भी ध्यान आकर्षित किया था कि वहां पर प्रबन्ध सम्बन्धी अनियमिततायें चल रही है, प्रोफ़ेसरों की नियुक्तियों में अनियमिततायें चल रही है और छात्रों की एडमिशन्ज़ और एग्ज़ामिनेशन्ज़ के सम्बन्ध में अनियमिततायें चल रही हैं। वहां जो लाखों रुपयों की बिल्डिंग्ज़ बन रही है, उन में गोल-माल चल रहे है। माननीय मंत्री के वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अधिकारियों को तो यह बचाना चाहते है, लेकिन विश्वविद्यालय को बचाने की उन को चिन्ता नहीं है। मेरा निवेदन है कि वह इस सम्बन्ध में इस प्रकार का कदम उठायें, जिस से इस समस्या का उचित समाधान हो। अब पानी मुंह तक आ चुका है और विज़िटर्ज़ कमेटी सरकार को एपायंट करनी ही करनी होगी।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं ने कल आप को बताया था कि किस संदर्भ में यह समिति नियुक्त की गई थी। मैं ने लगभग विजिटर समिति नियुक्त करने का निर्णय कर लिया था। ऐसे

†मूल अंग्रेजी में

समय उपकुलपति ने मुझे लिखा कि विश्वविद्यालय के लिये एक समिति नियुक्त करना उचित होगा। मैं इस बात पर सहमत हो गया कि वे सभी सदस्य जिन्हें मैं विजिटर समिति में नियुक्त करना चाहता हूं वे विश्वविद्यालय समिति में रहेंगे। मैं ने माननीय सदस्यों को लिखा कि वे इस समिति में शामिल हो जायें। उन्हों ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। वस्तुतः विश्वविद्यालय समिति में शामिल हो कर उन्हों ने उदारता का परिचय दिया है। मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि इसे ही विजिटर समिति समझा जाय। इस समिति में ऊंची योग्यता और चरित्र वाले व्यक्ति है।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मेरे विचार से इन सब बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे समझ में नहीं आता कि माननीय सदस्य इस प्रकार बार बार बाधा क्यों उपस्थित कर रहे हैं। कुछ लोग सभा में अपनी बातें मनवाना चाहते हैं यह ठीक नहीं है। माननीय मंत्री बहु संख्यक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन पर अपनी बातें थोपने का तात्पर्य यह है सभा में विरोधी दल का आधिपत्य है। सभा में लोक तन्त्र प्रणाली के विरुद्ध ऐसा रवैया अख्तयार करना ठीक नहीं है। माननीय मंत्री सभा तथा देश को केवल यह बताना चाहते हैं कि समिति केवल दिखावे के लिये नियुक्त नहीं की गई है। बल्कि योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो इन मामलों की बिना भय और पक्षपात के जांच करने में समर्थ हैं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं बता रहा था कि उस समिति के अध्यक्ष अद्वितीय अयोग्यना और चरित्र के व्यक्ति हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम पद पर आसीन हैं। वे पुरानी अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के व्यक्ति हैं। वे शिक्षा निदेशक तथा एक कालेज के प्रिन्सिपल थे। तत्पश्चात् वे उपकुलपति बने। वे लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। उन्हें समाज के सभी वर्गों का विश्वास प्राप्त है। जब वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय गये तो सभी व्यक्तियों ने उन पर विश्वास किया। जब उन्हें अपना कार्य करने में कुछ कठिनाइयां अनुभव हुई तो उन्हों ने पद त्याग करने में भी हिचक नहीं हुई। इसी से उनका चरित्र, ईमानदारी और सच्चाई प्रगट हो जाती है। यदि विजिटर समिति नियुक्त होती तो भी मैं उस में इन्हीं लोगों को शामिल करता। केवल इस कारण कि विश्वविद्यालय के लिये खराब स्थिति न पैदा हो, मैं शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव के साथ इन लोगों को उस समिति में नियुक्त करने में सहमत हो गया।

मैंने आज प्रातःकाल प्रिन्सपल चटर्जी और उपकुल से फोन में बातचीत की थी। उन्हों ने कहा कि वे इस्तीफा वापिस लेने को तैयार हैं उपकुलपति ने आश्वासन दिया कि वे क्षमा मांग लेंगे। उन्हों ने यह भी कहा कि वे उन के कार्य में कठिनाई नहीं पैदा करना चाहते हैं। और वे शीघ्र ही उन को लिखेंगे। मैं आशा करता हूं कि समिति दो तीन दिन के भीतर कार्य करना शुरू कर देगी। समिति के दूसरे सदस्य प्रो० वाडिया, संसद् सदस्य और शिक्षाविद् हैं। इस समिति के तीसरे सदस्य कई वर्षों से लेखा परीक्षा विभाग में काम कर रहे हैं तथा उन्हें वित्तीय मामलों का अच्छा अनुभव है। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव इस समिति के सचिव हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि समिति को स्वतन्त्र और निष्पक्ष माना जायेगा यह इस मामले की पूरी पूरी जांच करेगी। और सभी प्रयोजनों के लिये इसे विजिटर समिति का ही दर्जा प्राप्त होगा।

दूसरा प्रश्न गुरुकुल के सम्बन्ध में उठाया गया था। निसंदेह संस्कृत के विकास के लिये केवल दो लाख रुपये की ही राशि रखी गई है। हम सब की अभिलाषा है कि संस्कृत का विकास हो क्योंकि यह एक महान राष्ट्रीय भाषा है और हमारे समक्ष सांस्कृतिक जीवन से संबंध रखती है, हमें इसे प्रोत्साहित

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० का० ला० श्रीमाली]

करने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये। यद्यपि इस समय पर्याप्त राशि नहीं रखी गई है। तथापि वित्त मंत्रालय आवश्यकता होने पर इस मद के लिये अतिरिक्त राशि दे सकता है। जब धन-राशि उपलब्ध होगी तो मैं सभा को यह जानकारी दूंगा। निसंदेह मैं संस्कृत के विकास के लिये अधिक व्यय करना चाहूंगा।

जहां तक गुरुकुल का संबंध है हम ने एक संस्कृत बोर्ड की स्थापना की है। उस की उप समिति इन गुरुकुलों को बनाये रखने और उन का विकास कर उन्हें आधुनिकतम रूप देने का प्रयत्न कर रही है।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को उनके सुझावों के लिये धन्यवाद देता हूं मंत्रालय उन सभी सुझावों पर ध्यान देगा। मंत्रालय शिक्षा मंत्री पद्धति को बनाये रखनके लिय सभा के सभी सदस्यों तथा समाज के सभी वर्गों से सहयोग की उपेक्षा करता है क्योंकि सरकार अकेली यह काम नहीं कर सकती है। हमें, जनता के तथा उन अभिभावकों के जो कि शिक्षा तथा समाज के पुनर्निर्माण में दिल-चस्पी रखते हैं सहयोग की आवश्यकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा शिक्षा मंत्रालयों की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१३	शिक्षा मंत्रालय	३८,८३,०००
१४	शिक्षा	३२,६७,८६,०००
१५	शिक्षा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग और अन्य व्यय	३,५०,४८,०००
१०९	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय	२०,९१,०००

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांग संख्या १६ से २० और ११० पर चर्चा और मतदान करेगी। जिन माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव दिये हैं और जो उन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या १५ मिनट के अन्दर सभा पटल पर रख दें।

क्या प्रधान मंत्री कुछ कहना चाहते हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिम जाति क्षेत्र	९,४२,०९,०००
१७	नागा पहाड़ियां––त्वेनसांग क्षेत्र	२,९८,९२,०००
१८	वैदेशिक कार्य . .	१०,८६,७९,०००
१९	पांडिचेरी राज्य . .	३,१४,४५,०००
२०	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय .	४,५०,०००
११०	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	७८,५७,०००

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए सर्व प्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग इच्छुक हैं कि हमारे प्रधान मंत्री व चीन के प्रधान मंत्री की भेंट शीघ्र ही होने वाली है और यह एक अच्छी बात है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे प्रधान मंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि हम इन कठिनाइयों को हल करने के लिये बातचीत करन को तैयार हैं । मुझे आशा है कि अब कठिनाइयों के बादल हट जायेंगे और दोनों देशों में प्रसन्नता की वृद्धि होगी ।

यद्यपि हमारे देश व चीन के बीच तनाव कम हो रहा है फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो इस मार्ग में बाधक हैं । प्रधान मंत्री ने कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में भी कहा है कि उन्हें दुख है कि लोगों ने ऐसी बात की या ऐसा काम किया ।

दलाई लामा देश के सम्मानित अतिथि हैं । मैं उन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । पर उनकी भी गतिविधियां कुछ ऐसी रही हैं कि हमारी सरकार को चाहिये था कि वह उन्हें रोके या उन पर प्रतिबन्ध लगाये ।

अभी उस दिन दलाई लामा का एक वक्तव्य पत्रों में छपा था । वह है तिब्बती क्रान्ति की वर्ष-गांठ का संदेश जिस में उन्हों ने कहा है कि तिब्बत के युद्ध को मत भूलो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री इस बात को पसन्द नहीं करते । उस के बाद यह भी खबर आई कि दलाई लामा का खजाना भारत लाया गया है जिसे भारत सरकार की मदद से लाया गया है । अनुमान लगाया गया है कि यह खजाना ५० लाख से १३ करोड़ रु० के बीच कहीं है । इस संबंध में प्रधान मंत्री ने सभा में जो उत्तर दिया था वह बहुत ही अस्पष्ट था । यह तरीका चोर बाजारी का सा है । प्रधान मंत्री को शायद आशा रही हो यह धन तिब्बती शरणार्थियों पर व्यय होगा पर अखबारों की खबरों से पता लगता है कि उस का एक भाग बेच कर रुपया विदेशों को चला गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

यदि दलाई लामा भारत में रहते हैं, तो ठीक है। यह कुछ बुरी बात नहीं है। पर इन खजाने से वह जो व्यक्तिगत व राजनीतिक गतिविधियां—जो भारत के हित में नहीं है—कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह उन्हें बना कर दें कि वह ऐसी गतिविधियां न करें जो भारत के हित के लिये हानिकारक हों।

नागाओं के सम्बन्ध में हमारी सरकार की क्या नीति है, इस संबंध में, हम जानना चाहते हैं नागा राज्य की मांग के लिये अभी हाल में मोक चंग में एक सम्मेलन हुआ था। हमारे प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी इच्छानुसार रहें–जैसे चाहे वैसे रहें। पर लोगों का रहना देश की सम्पूर्ण समृद्धि के अनुसार होना चाहिये। इस संबंध में नागाओं के कुछ प्रतिनिधि आसाम के राज्य पाल से भी मिल चुके हैं। आशा है कि हमारे प्रधान मंत्री संसद् को विश्वास में ले कर बतायेंगे कि इस समस्या के हल के लिये सरकार क्या कर रही है।

नगर हवेली के लिए रास्ते की मांग का पुर्तगाल वाला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। इस संबंध में कई बार प्रश्न पूछे गये हैं, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। उस दिन श्री आचार ने कहा था कि जिस वकील को हमने अपनी ओर से भेजा था, वह इस संबंध में पहले एक लेख ईयरबुक आफइन्टरनेशनल ला लिख चुका था जिसमें पुर्तगाल की मांग का समर्थन किया गया था। उस दिन हमें बताया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय शीघ्र ही आने वाला है। पर मुझे कुछ अच्छे निर्णय की आशा नहीं है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पुर्तगाल को नगर हवेली के लिए मार्ग देने का निर्णय दिया, तो यह हमारे मुंह पर एक तमाचा होगा।

जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के साथ हमारे बड़े अच्छे व मित्रतापूर्व संबंध हैं। पर हम उसके साथ क्यों पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं करते। हम यह नहीं कहते कि आप बोन से संबंध न रखे। पर मेरा कहना है कि बोन की कुछ बातें मुझे अप्रिय हैं। हमें जर्मन गणराज्य से पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए।

लंदन स्थित उच्चायोग की स्थिति के संबंध में भी मुझे दो शब्द कहने है। वे लंदन स्थित भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं करते। जिन विद्यार्थियों ने उन्हें वहां के विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने को लिखा उन्हें उच्चायोग ने जवाब दे दिया कि प्रवेश मिलना कठिन है। पर सीधे विश्व-विद्यालय को लिखने पर प्रवेश मिल गया। इसी तरह दूसरा प्रश्न यह है कि लंदन स्थित उच्चायोग तथा वाशिगटंन स्थित दूतावास विदेशी बैंक के माध्यम से क्यों भुगतान करते हैं? हमें बताया गया कि उन क्षेत्रों में भारतीय बैंक व्यवस्था नहीं है। पर मैं यह नहीं मान सकता। आज भारतीय बैंक व्यवस्था पहले से अधिक अच्छी हो गयी है। यदि हम प्रयत्न करें तो हम भुगतान भारतीय बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं।

पासपोर्ट संबंधी गड़बड़ी के संबंध में मेरा कहना है कि इस संबंध में कदाचार करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जो लोग दूसरों को नाजायज फायदा उठाते हैं, उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये और जो लोग उन बदमाशों के शिकार बन जाते हैं उनको मानवीय दण्ड दिया जाना चाहिए।

अखबारों में एक खबर यह भी आई है कि इटली में जो भूले भटके भारतीय थे, उनके प्रति हमारे वहां के भारतीय पदाधिकारियों का रवैया बिना किसी सहानुभूति के था जब कि वहां के पदाधिकारी सहानुभूति दिखाते थे। बड़े खेद की बात है। भारतीय नागरिक के प्रति भारतीय

यदाधिकारी उदासीनता दिखायें व मदद करें, यह गलत बात है। इस संबंध में ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत की फ्रांसीसी बस्तियों पर विधि सम्मत भारतीय अधिकार की बात फ्रांस पूरा कर नहीं रहा है। इसमें फ्रांस के सामने कुछ वैधानिक कठिनाइयां है। पर हम कब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। अभी हाल में पाण्डेचरी में भारतीय उत्पादन शुल्क विभाग ने कुछ माल किसी अपराध में जब्त कर लिया था। जिस व्यक्ति का वह माल था उसने पाण्डेचेरी के न्यायालय में अपील कर दी। उस मामले में भारतीय उत्पादन शुल्क विभाग की हार हो गयी। फिर पाण्डेचेरी स्थिति न्यायाधिकरण ने भी न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। अब मामला फ्रांस में पड़ा है। यदि वहां हमारी हार हो गयी, तो यह एक विचित्र बात होगी व हमारे सम्मान को धक्का पहुंचेगा।

यह सब इसी कारण हुआ है कि अभी इन फ्रांसीसी बस्तियों का विधि सम्मत हस्तान्तरण हमें नहीं किया गया है। हमने संविधान, उच्चतम न्यायालय तथा अन्य संवैधानिक उपबन्धों को भी उन बस्तियों पर लागू नहीं किया है। मेरा निवेदन है कि हमें इस मामले में कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

एक और बात है। इन बस्तियों में लोगों पर आरोप लगाने व उन्हें सजा देने का काम वहां का सरकारी प्रासीक्युटर ही करता है। लोगों को कैद की सजायें दी जा रही है। सजा होने पर उन्हें फ्रांस के सिक्कों में जुर्माना देना पड़ता है। अत : अत्यावश्यक है कि हम उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार वहां लागू करें। हम इस मामले में अनिश्चित समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते।

एक बात और है, जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत से देश हमारी मदद कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। पर हमारे विदेश स्थित राजदूत कई बार कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जो उपयुक्त नहीं होती। उदाहरण के लिए हमारे अमेरिका स्थिति राजदूत ने अभी विजिल पत्र में जो कुछ कहा है उससे पता लगता है कि भारत में लोक तंत्र नष्ट हो रहा है और अमरीका ही उसे बचा रहा है। उन्हें ऐसी कोई बात नहीं कहनी है। अमरीका की मदद हमें मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। पर यह कहना कि भारत सरकार की कुछ नवीन नीतियों के कारण भारत व अमरीका का व्यापार बढ़ रहा है और अमरीका धन भारत में आ रहा है। ये बातें ठीक नहीं है। हमें किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं होने देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सिंधु पानी विवाद के संबंध में न्यू यार्क टाइम्स में एक खबर है कि इसके लिए जो मदद दी जा रही है, उससे भारत व पाकिस्तान दोनों को लाभ होगा। पर हमारे मंत्री महोदय ने उस दिन बताया था कि यह धन केवल पाकिस्तान के लाभ के लिए है।

हमें किसी से भी मदद लेने का कोई एतराज नहीं है पर उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। यह कहना कि भारत को साम्यवादी प्रभाव से बचाने के लिए दी जा रही है, गलत बात है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री भी किसी फंदे में नहीं आने वाले है पर जाल बिछाये जा रहे है। यह सब इसलिए है कि अभी हाल में हमारी नीति कुछ ऐसी रही है। हमें सभी देशों से मदद लेनी है, सब से मित्रता रखनी है। हमें किसी शक्तिशाली राष्ट्र के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यदि हम किसी के प्रभाव में आयेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता हमारी गुटबन्दी न करने की नीति को धक्का लगेगा। अमरीका का संकेत यही है कि वह साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए भारत व पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मदद दे। ये सब बातें हमें पसन्द नहीं हैं।

आज संसार में हमारा मस्तक ऊंचा है। हमारी नीति स्वतंत्र है। हम किसी भी गुट में नहीं है पर बहुत से देशों को यह बात पसंद नहीं है वे चाहते है कि हम किसी गुट में शामिल हो जायें।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

वे हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। आज जब विश्व में शिखर वार्ता की चर्चा है, तो हमारी बात को भी सुना जा रहा है। क्योंकि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। हमारे पास सैनिक शक्ति भले न हो, पर हमारे पास नैतिक बल है कि हम किसी भी गुटबन्दी में नहीं हैं। विश्व शान्ति स्थापना तथा तनाव को कम करने में भारत का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। फिर भी हम देखते हैं कि हमें अपनी नीति से हटाने के लिए तरह-तरह के जाल बिछाये जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे प्रधान मंत्री कहें कि यह कोई खतरा नहीं है। यह तो मन का काल्पनिक भय है। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये तथ्य हैं। अत: बहुत जरूरी है कि हम अपनी विदेशी नीति की ओर अच्छी तरह ध्यान दें।

मैं कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख करना चाहता था। पर मैंने जिन महत्व पूर्ण बातों का जिक्र किया है उन की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आशा है कि प्रधान मंत्री जब उत्तर देंगे, तो वह हमें बतायेंगे कि हमारी नीति क्या होने जा रही है, जिससे भारत की विदेशी नीति हमारी आशाओं को फलीभूत करेगी।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन की तुलना गत वर्ष के प्रतिवेदन के साथ करने से पता लगता है कि हमारी मुख्य-मुख्य समस्यायें, जैसे काश्मीर, गोवा व पाण्डेचेरी की समस्यायें, वैसी ही है। उनमें कोई सुधार नहीं हुआ है। चीन के संबंध में कई पैरों में लिखा गया है कि चीन से हमारे संबंध खराब हो गये हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए था कि चीन के संबंध में हमारी जो आशायें व धारणायें थीं, वे गलत थीं वह सफल नहीं हो सकीं।

चीन हमारी गुटबन्दी में शामिल न होने की नीति को हमारी कमजोरी समझता है। अत: चीन से व्यवहार करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

हमारे देश में इन दिनों अनेक विदेशी महापुरुष आये हैं। उसके आधार पर यह कहा गया जा रहा है कि हमारी विदेशी नीति की सफलता का यह फल है। पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें विदेशी सहायता--चाहे वह अमरीका की हो या रूस--लेते समय सावधानी से काम लेना चाहिए। आज स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बड़ी सजगता की आवश्यकता है। हमारे १२,००० वर्ग मील क्षेत्र पर अनाधिकार कब्जा कर लिया गया है। हमारी शक्ति उसी में उलझी हुई है।

सरकार हमारी भूमि को आक्रमणकारियों से मुक्त कराने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और अब प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर चीनी प्रधान मंत्री भारत आ रहे हैं। जब तक बात चीत का कोई आधार ही नहीं है बातचीत क्या होगी। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री सभा को विश्वास में लेकर बताये कि चाऊ-एन-लाई से उनकी बातचीत की व्याप्ति क्या होगी। प्रधान मंत्री सभा को आश्वासन दें कि हम तनिक भी भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगे। यह भी ध्यान रहे कि किसी बातचीत की स्थिति तभी पैदा होगी, जब चीन हमारे क्षेत्र से पीछे हट जाये। यदि चीन चाहता है कि अशान्ति कम हो, तो उसे हमारे क्षेत्र से कब्जा उठा लेना चाहिए।

चीन के प्रधान मंत्री भारत सरकार के अतिथि भले हों पर भारत की जनता के अतिथि नहीं होंगे। हम चाहे उनके विरुद्ध कोई प्रदर्शन न करें पर हम उनका स्वागत भी नहीं करेंगे। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वे आक्रमणकारी देश के प्रधान हैं अत: भारत की जनता उनसे नफरत करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन के साथ हमारे जो सम्बन्ध पैदा हो गये हैं उन के फलस्वरूप अब नेपाल, भूटान व सिक्किम का महत्व बहुत बढ़ गया है। हम नेपाल के प्रधान का स्वागत करते हैं। हमें उनकी अधिकाधिक सहायता करनी चाहिए। भूटान की प्रतिरक्षा समस्या भारत के साथ बहुत निकट रूप से सम्बद्ध है। सिक्किम का भी ऐसा ही हाल है। अतः हमारी नीति वहां के सम्बन्ध में बड़ी सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में बड़ा अजीब प्रचार होता है। अतः वहां हमारी ओर से ठीक खबरें पहुंचाई जायें, ऐसा प्रबन्ध किया जाना चाहिए। अतः कालिम्पांग से भूटान तक सड़क मार्ग बनाया जाये।

सिक्किम की भारत ने बड़ी मदद की है और सिक्किम इसके लिए आभारी भी है। वहां की जनता उत्तरदायी सरकार चाहती है। अतः मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार अपना प्रभाव डाले ताकि वहां उत्तरदायी सरकार बन जाये और वहां की जनता अपने को सन्तुष्ट पाये।

मेरा निवेदन है कि तिब्बती शरणार्थियों को पंजाब या नेफा के किसी क्षेत्र में बसाया जाये। अब उन के वापस जाने का प्रश्न नहीं है।

तिब्बती राष्ट्रजनों का भी प्रश्न है। उन को भारत में तिब्बती राष्ट्रजन माना जायेगा या चीनी राष्ट्रजन। मुझे एक शिकायत मिली है कि कालिम्पांग से तिब्बतियों को, जो पहले से ही रजिस्टर्ड हैं और भारत के चुनाव में भाग ले चुके हैं, फिर से रजिस्टर्ड कराने के लिए कहा जा रहा है और कालिम्पांग छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में छानबीन करे। तिब्बतियों पर अब इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है।

श्री मुकर्जी ने दलाई लामा द्वारा निकाले गये वक्तव्य की बात का जिक्र किया। दलाई लामा के सामने हमारी सरकार ने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें उन्होंने स्वीकार कर लिया है—कि वे भारत में तिब्बत की सरकार के रूप में काम नहीं कर सकते आदि। अतः अब उन पर अधिक प्रतिबन्ध लगाना ठीक नहीं है। उन्हें अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए ताकि वह दुनिया को बता सकें कि चीन ने तिब्बत पर क्या ज्यादती की है।

अलजीरिया के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार इस ओर भी ध्यान दे। इस देश को बांटने का प्रयत्न किया जा रहा है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार अपना प्रभाव डाले और अलजीरिया की अस्थायी सरकार वर्तमान फ्रांसीसी सत्ता के साथ संघर्ष करके अलजीरिया की जनता के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करे।

अफ्रीका की समस्या के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वहां कुछ भारतीय अफ्रीका की जनता के शत्रुओं का साथ दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि जो लोग अफ्रीका की जनता के शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, उनका भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे पता लगा है कि प्रधान मंत्री रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि वे रूस जाने से पहले घना हो आयें, क्योंकि घना का निमंत्रण उनको काफी पहले मिला था।

राजनयिक सम्बन्धों के बारे में मेरा निवेदन है कि स्पेन के साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध हैं। हंगरी के साथ भी हम ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। इन तानाशाह देशों के साथ हम ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये हैं, पर इजराइल के साथ हम क्यों ऐसे सम्बन्ध स्थापित नहीं करते। हमें इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।

मेरा विचार है कि इस मंत्रालय में उच्च पदाधिकारियों की संख्या जरूरत से अधिक है। उन में काम का समान वितरण नहीं है। महासचिव तथा विदेश सचिव का काम अलग-अलग

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

नहीं है। इस मंत्रालय में प्रशासकीय कर्मचारियों की संख्या भी आवश्यकता से अधिक है। विदेश सेवा के पदाधिकारियों को उचित निदेश आदि भी नहीं दिया जाता। इस मंत्रालय का आर्थिक खण्ड भी संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है। अनेक देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है। क्या मंत्रालय के विदेश मंत्री वाणिज्य मंत्रालय को बताते हैं कि वे जो व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, उनका राजनैतिक पहलू क्या है? मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में ध्यान देने की आवश्यकता है।

सूचना व्यवस्था के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारे राजनयिक व्यक्तियों को हमारे देश की सूचनायें समय पर नहीं मिलतीं। रूस से आये एक व्यक्ति ने बताया कि वहां के हमारे दूतावास के पास केरल संकट कालीन समाचार पहुंचने का कोई प्रबन्ध नहीं था। ब्रिटेन के पत्रों से ही एक-दो दिन बाद उन्हें समाचार मिल पाता था। भारत-चीन विवाद के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। अतः मेरा निवेदन है कि हम अपने मिशनों को जो पत्रिकायें भेजते हैं, उनका खर्च कम करके सूचना व्यवस्था को और अधिक सुचारू तथा अच्छी बनायें।

पासपोर्ट के सम्बन्ध में श्री मुकर्जी ने जो कुछ कहा मैं उसका समर्थन करता हूं। अजीब बात है कि सामान्य रूप से जरूरी कामों के लिए पासपोर्ट लेने में महीनों लग जाते हैं और पासपोर्ट नहीं मिलता, पर यदि आप को अनुचित साधन उपलब्ध हैं, तो व्यर्थ घूमने के लिए भी पासपोर्ट मिल जाता है। मेरा कहना है कि सरकार कुछ व्यवस्था करे कि जिन भारतीयों को आवश्यकता हो, उन्हें तीन सप्ताह के पासपोर्ट मिल जाया करें। इस सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा की समस्या भी आयेगी। पर सरकार को चाहिए कि एक निर्धारित राशि ही विदेश जाने वालों को दी जाये, अधिक नहीं, तो इससे विदेशी मुद्रा का संकट भी कम हो जायेगा।

गोवा और पाण्डेचेरी के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि एक साल का समय बीत गया है, हम कब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह विलम्ब क्यों हो रहा है? प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में कुछ अधिक रूचि लेनी चाहिए। गोवा के सम्बन्ध में जो वर्तमान स्थिति है, उसके लिए हमारी सरकार ही उत्तरदायी है। उसी ने वहां की जनता को कोई कदम उठाने से रोका है। मैं नहीं जानता कि गोवा की जनता कब स्वतंत्र हो जायेगी और कब वह भारत के प्रशासन के अधीन आ पायेगी।

†**श्री कासलीवाल** (कोटा) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। सब से पहले मैं भारत द्वारा निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में किये गये कार्यों का उल्लेख करूंगा। राष्ट्रसंघ की महासभा के १२वें अधिवेशन में रूस ने निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा था पर वह नामंजूर हो गया था। बाद में १३वें अधिवेशन में भारत तथा यूगोस्लाविया ने एक प्रस्ताव रखा और वह स्वीकृत हो गया और ८२ सदस्यों का एक निशस्त्रीकरण आयोग बना दिया गया। उसके बाद १४वें अधिवेशन में भारत व यूगोस्लाविया के प्रस्ताव पर एक निशस्त्रीकरण समिति बनाई गई ताकि वह इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार करे। कल इस समिति की बैठक हुई है। मैं इस समिति की प्रगति की कामना करता हूं।

अणुबमों के परीक्षण के सम्बन्ध में भी भारत हमेशा राष्ट्रसंघ में यही कहता रहा कि ये परीक्षण बन्द किये जायें। मुझे खेद है कि फ्रांस ने अभी हाल में एक परीक्षण किया है, जब

†मूल अंग्रेजी में

कि वह इस प्रस्ताव से सहमत था कि अणुबम के परीक्षण न किये जायें। मैं फ्रांस के इस कृत्य के सम्बन्ध में अपना जोरदार विरोध प्रकट करता हूं।

अन्तरिक्ष यात्रा के सम्बन्ध में भारत का प्रयास सदा उचित ढंग पर रहा है। इस वर्ष जो अन्तरिक्ष यात्रा समिति बनी है, भारत उसका सदस्य है और मुझे आशा है कि भारत इस समिति के काम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए प्रयत्न करेगा।

संयुक्त राष्ट्र संघ के १४वें अधिवेशन में अन्टारकटिका के सम्बन्ध में एक चर्चा उठाई गयी और एक समिति बनाई गई। भारत इस समिति का सदस्य नहीं है। इस मामले में भारत हमेशा दिलचस्पी लेता रहा है पर अजीब बात है कि भारत को इस समिति में नहीं लिया गया। आशा है प्रधान मंत्री उत्तर देते समय इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे।

श्री मुकर्जी ने हेग के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में गये हमारे वकीलों के सम्बन्ध में बात उठाई। मैं जानता हूं कि हम ने बहुत ही अच्छे वकील वहां भेजे हैं। बाद में कुछ कारणों से कुछ वकील बदल दिये गये। पर हम ने अपने मामलों का समर्थन बहुत अच्छी तरह किया है। वैसे तो निर्णय न्यायालय पर निर्भर है, पर हमारे वकीलों ने हमारे पक्ष का समर्थन बहुत अच्छी तरह किया है।

सभा को पता है कि चीन के प्रधान मंत्री हमारे देश में आ रहे हैं--हमारे प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिए। मैं कामना करता हूं कि दोनों प्रधान मंत्रियों की भेंट सफल हो। श्री द्विवेदी ने कहा कि यह बातचीत व्यर्थ है। पर मेरा कहना है कि दो ही रास्ते हैं--या तो बातचीत की जाये या फिर युद्ध। हमें चाहिए कि अपने देश में आने वाले सभी अतिथियों का हम उचित सम्मान करें।

अलजीरिया के मामले का प्रश्न भी श्री द्विवेदी ने उठाया। मेरा निवेदन है कि अलजीरिया की जनता के साथ भारत की सर्वाधिक सहानुभूति है। हमारी सभा में इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है, हम संकल्प भी पारित कर चुके हैं और हमारी सरकार ने अलजीरिया के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट की है।

हमारी गुटबन्दी से अलग रहने की नीति समग्रतः सफल रही है। हमारे देश में अभी हाल में संसार के दो महानतम महानुभाव पधारे थे। यह हमारे इतिहास की नवीन बात है और हमारी विदेशी नीति की असाधारण सफलता है।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। हाल ही में चीन व भारत के प्रधान मंत्रियों की भेंट होने वाली है। मुझे विश्वास है कि दोनों की बातचीत से कुछ न कुछ हल अवश्य निकलेगा। हमारा देश चीन के प्रधान मंत्री का स्वागत करेगा। सारा देश प्रधान मंत्री के साथ है। इस समय चीन के आक्रमण के सम्बन्ध में चर्चा उठाने या उस सम्बन्ध में कोई बात कहने से कोई लाभ नहीं है। हमें दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत की सफलता की कामना करनी चाहिए।

मेरे माननीय मित्र ने गोवा, काश्मीर तथा पाण्डेचेरी का प्रश्न उठाया और उन्होंने कहा कि ये समस्यायें वहीं की वहीं हैं और इन में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं पूछता हूं कि क्या माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कोई अच्छा सुझाव दे सकते हैं? यदि नहीं, तो बार-बार इस सवाल को उठाना व्यर्थ है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जगन्नाथ राव]

अभी जनवरी, १९६० में हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार था जिस को पढ़ने से पता लगता है कि डा० सालाजार तथा फ्रांस की सरकार के रवैये में कुछ परिवर्तन आया है। जिस तरह ब्रिटेन व फ्रांस ने भारत पर से अपना अधिकार उठा लिया है, उसी तरह पुर्तगाल भी अपना अधिकार उठा लेगा। पुर्तगाल भी हमारी ही तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है आशा है कि शीघ्र ही शान्तिपूर्ण ढंग से इस का कुछ हल निकल आयेगा।

काश्मीर का मामला सुरक्षा परिषद के सामने है इस से अधिक इस मामले में और कुछ भी क्या किया जा सकता है ?

श्री मुकर्जी ने हमारे वाशिंगटन स्थित राजदूत द्वारा कही गयी एक बात का उल्लेख करते हुए कहा कि हम दूसरे देशों से अधिक सहायता मांगते हैं। हमारे सामने एक जाल बिछाया गया है और हम उस में फंसने जा रहे हैं। उन का यह कहना गलत है। हम किसी से मदद नहीं मांगते पर आज दुनिया के लोग जानते हैं कि उन की समद्धि की रक्षा तभी होगी जब सारा संसार समृद्ध होगा। अतः वे अन्य कम समृद्ध देशों की मदद स्वयं करते हैं। रही बात हमारी अर्थ व्यवस्था की, तो हम किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था के साथ सम्बद्ध नहीं हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था न अमरीकी नकल करती है और न रूसी। हमारी अर्थ व्यवस्था अपने नये ढांचे पर है। इस के अतिरिक्त संसार के सभी देशों ने दूसरे देशों की मदद से ही उन्नति की है। अतः यह कहना गलत है कि हम किसी जाल में फंस रहे है।

श्री मुकर्जी ने हेग को भेजे गये हमारे वकील की बात कही और यह बताया कि उस वकील का दृष्टिकोण पहले क्या था। मेरा निवेदन है कि वकील अपनी राय बदल भी सकता है। हो सकता है कि पहले वकील को सम्पूर्ण सामग्री न मिल सकी हो, अतः उस के वैसे विचार थे और अब सारी सामग्री मिलने पर उस के विचार बदल गये हों। अतः यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम ने वहां पर अच्छे-अच्छे वकील भेजे हैं और हमें यह डरने की आवश्यकता नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारा पक्ष विजयी नहीं होगा।

हमारे तटस्थता तथा गुटबन्दी से दूर रहने की नीति की प्रशंसा सदैव व हर देश ने की है। इसी कारण आज हमारी बात सुनी जाती है और हमारा सम्मान किया जाता है। आज अमरीका व रूस जैसे देश भी अपनी नीति निर्धारित करने से पूर्व हमारा दृष्टिकोण जान लेते हैं।

अणु परीक्षणों को रोकने, तथा अमरीका व रूस को निकट लाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने के सम्बन्ध में हम सदैव प्रयत्नशील रहे है और हम ने अनेक उपनिवेशों को स्वतंत्र भी कराया है। फ्रेंच कैमरून स्वतंत्र हो गया है। फ्रेंच टोगोलैंड २७ अप्रैल को स्वतंत्र होने जा रहा है। नाइजीरिया १ अक्टूबर को स्वतंत्र होने जा रहा है। इटैलियन सुमालीलैंड भी स्वतंत्र होने जा रहा है : उस के बाद ब्रिटिश कैमरून व टांगानिका भी स्वतंत्र होने वाले हैं। इस प्रकार हमारी विदेशी नीति ने उपनिवेशों का बड़ा हित कराया है और संसार में हमारी नीति के कारण हमें बड़ा सम्मान मिला है।

इस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका सरकार ने भी राष्ट्र संघ को सहयोग देना स्वीकार कर लिया है। अब वह भी वहां हुई शिक्षा सम्बन्धी, आर्थिक तथा राजनैतिक प्रगति का ब्योरा राष्ट्र संघ को भेजा करेगी।

अन्त में मैं कहूंगा कि हमारी विदेशी नीति बड़ी सफल रही है और उस ने दुनिया में बड़ा नाम व सम्मान कमाया है । मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : सब से पहले मैं कहना चाहता हूं कि पख्तूनिस्तान के मामले में पाकिस्तान को पूरी राजनयिक सहायता दी जानी चाहिये । यदि पख्तूनिस्तान को समय से दबाया न गया, तो सारी अफ्रीकी-एशियाई भूमि पर तानाशाही फैल जायेगी । पाकिस्तान व अफगानिस्तान के झगड़े का हल पख्तूनिस्तान नहीं है । सारी समस्या का हल यही है कि अफ्रीकी-एशियाई भूमि पर रूसी संगठन को शामिल किया जाये ।

पख्तूनिस्तान की मांग का मैं विरोध करता हूं । आत्म निर्णय की बात का यह मतलब तो नहीं होता जो पख्तूनिस्तान कहता है । मैं नहीं चाहता कि पख्तूनिस्तान, काश्मीर, नागा क्षेत्र, हंगरी तथा तिब्बत को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाये । यदि आज पाकिस्तान सीटो तथा सेन्टो से अलग हो जायें, तो अफगानिस्तान व रूस से उस की अच्छी मित्रता हो सकती है । साथ ही काश्मीर की समस्या भी हल हो जायेगी । रूस व अमरीका के बीच भी समझौता तभी हो सकता है, जब सेन्टो व सीटो को नष्ट कर दिया जायेगा ।

आज संसार की राजनीति का एक ही हल है और वह है रूस-चीन तथा एशिया के छोटे-छोटे देशों का एक संघ बनाया जाये । यदि चीन व रूस इस बात को मानने को तैयार न हों, तो हमें चाहिये कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व सरकार का रूप प्रदान करें । ऐसा करने के बाद बड़े-बड़े राष्ट्र छोटे-छोटे राष्ट्रों को हड़पने नहीं पायेंगे । रूस और अमेरिका के मुकाबिले में संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक तीसरी शक्ति बन सकती है ।

साम्यवाद-विरोधी मोर्चा बनाने की बात व्यर्थ व बेमतलब है । चीन की गतिविधियां को रोकने के लिये भारत-रूसी संगठन होना चाहिये । यदि अमेरिका व चीन एक ही नीति के अनुयायी बन जायेंगे, तो फिर साम्यवाद-विरोधी मोर्चा बनाने का क्या काम होगा ।

इंगलैंड व अमरीका दोनों चाहते हैं कि चीन व रूस के साथ उन के सम्बन्ध अच्छे हो जायें । क्या अमेरिका यह घोषणा कर सकता है कि यदि चीन अकसाई चीन पर से अपना अतिक्रमण एक निश्चित समय में नहीं हटा लेगा, तो अमरीका उस पर हमला कर देगा ? वस्तुतः आज अमरीका के लिये भारत की अपेक्षा चीन का महत्व अधिक है । श्री हर्टर के वक्तव्य चीन विवाद के बारे में जो बात कही गई है उस के बारे में मेरा जो अनुमान था, वह सही निकला है । अमरीका चीन को आक्रमण करने से रोकने के लिये आतुर नहीं है । चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिये यदि कोई देश इच्छुक है, तो वह रूस ही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया है और चीन के प्रधान मंत्री ने नियंत्रण स्वीकार कर लिया है । मैं मानता हूं कि चीन ने हमारे राज्य क्षेत्र पर आक्रमण किया है उन्हों ने हमारी पीठ पर छरा भोंका है । पर हमें इस का हल तो ढूंढना ही है, वर्ना सारा संसार इस संकट में फंस जायेगा ।

चीन के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को रंगून बुलाया था । पर उस समय हमारे प्रधान मंत्री वहां न जा सके । अब चीन के प्रधान मंत्री हमारे देश में आ रहे है । हमें आशा है कि अब हमारी समस्याओं का हल दोनों प्रधान मंत्री मिल कर निकालेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकीम आल्वा]

हमें इस समस्या को इसी पीढ़ी में तय करना है । आगे की पीढ़ी चीन में और भारत में न जाने कैसी आये । अतः यह प्रश्न हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है ।

दोनों मंत्रियों की बातचीत में यह भी तय होना चाहिये कि किस प्रकार कार्यक्रम आगे होगा कहीं ऐसा न हो कि बातें होती रहें और वास्तव में कोई काम न हो और स्थिति ऐसी ही बनी रहे अतः इस सम्बन्ध में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

हमें मैकमोहन लाइन को हमेशा के लिए निश्चित कर लेना चाहिये ताकि भविष्य में ऐसा कोई झगड़ा न हो ।

चीन के प्रधान मंत्री का हमें स्वागत करना चाहिये । भारत अपने अतिथि सत्कार के लिये सदा से प्रसिद्ध रहा है । यदि हम अपना व्यवहार ठीक नहीं रखेंगे, तो इस से दशा और भी खराब होगी । दोनों देशों में अशान्ति बढ़ेगी । चीन में रहने वाले भारतीयों तथा भारत में रहने वाले चीनियों की स्थिति संकटपूर्ण हो जायेगी ।

आज अफ्रीका के देशों का महत्व बढ़ रहा है । वहां लगभग ३० स्वतंत्र राज्य हो जायेंगे, जो राष्ट्र संघ के सदस्य बनेंगे, अफ्रीका स्थित भारतीय को भी समझना चाहिये कि वे अफ्रीका निवासियों के हित का ध्यान रखें । भारत अफ्रीका की जनता के प्रति सहृदय रहा है और रहेगा भी । अतः हमारी सरकार को एक व्यापक कार्यक्रम बना लेना चाहिये कि वह किस प्रकार अफ्रीका की जनता की मदद करने जा रही है ।

गोवा के सम्बन्ध में हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता लगता है कि वहां दामन व दयु के आस-पास पुर्तगाली विमान हमारे वायु क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं । यह बुरी बात है । हमें इस का विरोध करना चाहिये व इसे बरदाश्त नहीं करना चाहिये ।

हमारे मंत्रालय का प्रचार विभाग भी बहुत पुरातन पंथी व कमजोर है । गोवा के मामले में व काश्मीर के मामले में भी दुनिया के सामने रखने के लिये हमारे पास बहुत सी बातें हैं । पर खेद है कि हमारे प्रचार विभाग में अच्छे पत्रकार नहीं हैं । बिना अच्छे व अनुभवी पत्रकारों के यह काम कैसे चल सकता है । हमें अच्छे पत्रकारों को इस विभाग में काम देना चाहिये । पर हमारी नीति इस सम्बन्ध कमजोर व ढीली ढाली है । पुर्तगाल जैसा छोटा-सा देश भी प्रचार के मामले में हम से आगे है । अतः मेरा निवेदन है कि प्रचार के मामले में हमें अपनी नीति को अधिक शक्तिशाली व जोरदार बनाना होगा ।

अन्त में मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमें यह अवसर नहीं खोना चाहिये । चीन का मामला हमें सुलझा ही लेना चाहिये । अवसर बार-बार हाथ नहीं आता ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं जानती हूं कि चीन के प्रधान मंत्री का आगमन बड़े ही विवाद का कारण बना हुआ है परन्तु फिर भी मैं प्रधान मंत्री द्वारा इस बारे में उठाये गये कदम के लिये उन को बधाई देती हूं । क्योंकि मैं समझती हूं कि जब दोनों प्रधान मंत्री मिलेंगे तब निश्चित रूप से स्पष्ट बातें आपस में हो जायेंगी । यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कुछ लोगों का यह मत है कि चीन के प्रधान मंत्री का भारत में आने पर स्वागत न किया जाये । मैं बताना चाहती हूं कि हमारे प्रधान मंत्री राष्ट्रनायक हैं और वह जो भी काम करते हैं उस का समर्थन करना हमारा परम कर्तव्य है । मैं समझती हूं कि वह इस का सर्वदा ध्यान रखेंगे कि भारत की भूमि का एक इंच भी विदेशियों के हाथ में न जाने पाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हाल में ही के एम टी सरकार के समर्थक चीनी राष्ट्रीयों की भारत में जनगणना की गई और उन को भारत में निवास के लिये तीन महीने के अनुमति पत्र दिये गये है। मैं जानना चाहती हूं कि हमें स्पष्टतया यह बताया जाये कि तीन महीने की अवधि समाप्त हो जाने पर इन के साथ क्या व्यवहार किया जायेगा। इन को भारत में रहने दिया जायेगा अथवा वापस भेज दिया जायेगा।

दलाई लामा के खज़ाने के बारे में सभा में बड़ी कठोर आलोचना की गई। मैं जानना चाहती हूं कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत वस्तुओं को हम किस प्रकार ले सकते हैं। हम दलाई लामा को केवल यह सुझाव दे सकते हैं कि वह अपने इस खज़ाने में से कुछ धन तिब्बती शरणार्थियों को पुनर्वासित करने के लिये दे दें। हम इस से अधिक और कुछ नियंत्रण उस पर नहीं लगा सकते हैं। सरकार ने नेफा में १२ लाख तिब्बती शरणार्थियों को बसाया है। मैं समझती हूं कि हमें उन को वहां पर नहीं बसाना चाहिये क्योंकि इस से सदा भारत को खतरा रहेगा।

मुझे प्रसन्नता है कि पाकिस्तान से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हो गये है परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि हम रक्षा सम्बन्धी सम्पर्क उन से बना लें क्योंकि हम सर्वदा इस प्रकार के रक्षा सम्बन्धी वर्गीकरण के विरोधी रहे हैं।

मुझे इस का बड़ा खेद है कि विदेशों में प्रचार कार्य संतोषजनक रूप में नहीं हो रहा है। इस कार्य के लिये हम ने अपने आयव्ययक में ६८३.२३ लाख रुपये की व्यवस्था की है। परन्तु इतनी अधिक धनराशि इस काम के लिये रखने पर भी राष्ट्रों तथा विदेशों में भारत का प्रचार नहीं बढ़ पाया है। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में हमारे दूतावास इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे। मैं समझती हूं कि यदि भारत का उचित रूप में प्रचार हुआ होता तो काश्मीर और गोआ का प्रश्न हम विदेशों के सामने अच्छी प्रकार रख पाते। हाल में ही राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन में मैं कुछ विदेशियों से मिली थी और उन से मैं ने पूछा था कि पश्चिमी देश पाकिस्तान की इतनी मदद क्यों करते हैं। उन्हों ने मुझे बताया कि हम अपनी बात उन्हें अच्छी तरह बता नहीं पाये हैं। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में वैदेशिक कार्य मंत्रालय इस का ध्यान रखेगा। जिस से बड़े छोटे सभी राष्ट्रों का समर्थन हमें प्राप्त हो सके।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में सूचना सेवा का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने निश्चित रूप से बड़े सुन्दर काम किये हैं और हमारे ही सद्प्रयत्नों का फल है कि शीर्ष सम्मेलन हो रहा है। अल्जीरिया में सरकार बन गई है। मैं आशा करती हूं कि फ्रांस सरकार जल्दी ही अणु बम परीक्षण बन्द कर देगी।

अफ्रीका में वर्णभेद की नीति का विरोध अब संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरे ज़ोर से किया जा रहा है। मैं आशा करती हूं कि अब विश्व से वर्णभेद एक दम समाप्त हो जायेगा।

अन्त में, मैं प्रधान मंत्री को बधाई देती हूं कि उन्हों ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़े सुन्दर काम किये हैं।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैदेशिक-कार्य के कुछ अपेक्षतया महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में कुछ कहने से पूर्व मैं मंत्रालय के कुछ रोज़मर्रा के पहलुओं पर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे मिशनों और पदों पर ५२६.९७ लाख रुपया खर्च होता है तथा ८५ मिशन विदेशों में स्थित हैं। वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार अनुमान यह लगाया गया है कि प्रति मिशन औसत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

व्यय, ब्रिटेन के उच्च आयोग को निकाल कर, ५.२८ लाख रुपया खर्च होता है। मेरे विचार से ब्रिटेन के उच्च आयोग के व्यय में तत्काल ही संशोधन किया जाना चाहिये। वहां भारत सरकार का एक छोटा स्वरूप है और हर काम को दोबारा किया जाता है। एक अखिल भारतीय स्टोर विभाग, जिस से सम्बद्ध एक सम्पूर्ण नौवहन निदेशालय के होते हुए भी उच्च आयोग का एक वाणिज्य विभाग है जो कि इस समय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये मशीनें खरीदने में लगा है। श्री इन्द्रजीत सिंह के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने एक विशेष पुनर्गठन एकक नियुक्त किया था। इस बारे में उन्हें ब्रिटेन के उच्च आयोग के काम के बारे में सरकार को सिफारिश करनी थी किन्तु पता नहीं क्यों उन पर इतना खर्च करने के बावजूद वह यों ही वहां से वापस लौट आये।

†**श्री च० द० पाण्डे** (नैनीताल) : उन्होंने ३५ लाख रुपये की बचत करवाई है।

†**श्री महन्ती** : मैं बचत के बारे में भी कहूँगा। प्रश्न यह है कि वह वापस क्यों बुला लिये गये? इसके पश्चात् ब्रिटेन के उच्च आयोग के विभाग की जांच का काम वहां के उप-उच्चायुक्त को सौंप दिया गया। मुझे उनकी सक्षमता पर कोई भी सन्देह नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि बचत पुनर्गठन एकक को लन्दन भेज कर और उस पर लगभग ७०,०००रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? श्री इन्द्रजीत सिंह और ब्रिटेन के उच्च आयोग के उप-उच्चायुक्त दोनों ने सहमत निर्णय ही दिये और २३७ पद समाप्त करने की सिफारिश की जब कि बचत पुनर्गठन एकक ने ६५ और पद कम करने की सिफारिश की है। वार्षिक प्रतिवेदन से पता लगता है कि सरकार ने अभी तक कुछ पद अछूते छोड़ दिये हैं। सब से खेद की बात तो यह है कि इस बचत के शिकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ही हुए हैं जब कि कार्यकारी अफसरों के पास, जिनके पास काफी काम नहीं था, अछूते छोड़ दिये गए है। प्रतिवेदन में यह भी बताया गया है कि कार्यकारी पदाधिकारी भी बिल्कुल निम्न श्रेणी के लोगों के समान काम करते हैं। अतः इस विषय पर पुर्नविचार करने की काफी गुंजाइश है।

अब मैं भारत-चीन संबंध के प्रश्न को लेता हूँ। गर्मी आरम्भ हो जाने से हमें देखना है कि अब क्या दशा रहती है। हमारे प्रधान मंत्री के निमंत्रण पर चीन के प्रधान मंत्री ने दिल्ली आना स्वीकार कर लिया है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम भारत में आक्रमणकारी का स्वागत करें। इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि हम आक्रमणकारी का स्वागत करने जा रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि इस मीटिंग की पृष्ठभूमि क्या है? मैं अपने प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने तब से चीन के प्रधान मंत्री के साथ कोई अन्तरिम करार किया है, यदि किया है, तो वह क्या है? १७ दिसम्बर, का चाउ-एन-लाइ का उत्तर जो उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के नाम भेजा है वह न केवल निरुत्साहित करने वाला अपितु अपमानजनक भी है क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री के कुछ अंश में उन्होंने औचित्य की कमी बताई है। इस संबंध में मैं इतना और कहना चाहूँगा कि १६ नवम्बर के बाद से स्थिति और भी खराब हो गई है, अन्तर और भी बढ़ गया है, अतः बैठक करने का आधार ही क्या रह जाता है? १७ दिसम्बर के पत्र में चीनी प्रधान मंत्री ने कहा था कि यद्यपि हम दोनों देशों के बीच सीमा के प्रश्न पर मतभेद है, किन्तु फिर भी हम दोनों के बीच कुछ सिद्धान्तों को आधार मान कर आपस में मिलकर समझौता किया जा सकता है।

अतः हमें मिल कर यह तय करना होगा कि सीमा-विवादों का हल किस प्रकार किया जाना चाहिये। मैं अपने प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि वह देश को बतायें कि जब तक चीनियों ने हमारी

---

†मूल अंग्रेजी में

१२,००० वर्ग मील सीमा पर कब्जा नहीं किया था, तब तक हमारा उन से क्या विवाद था ? अब हमारी इतनी भूमि पर कब्जा कर लेने के बाद समझौते की बात की जाती है । मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं कि अब क्या बात-चीत की जायेगी ? जहां तक भारतीय राज्य क्षेत्र को छोड़ने का प्रश्न है, मैं उन से सहमत नहीं हूं । यहां से चीन की फौजें हटा लेने के अलावा और समझौते की कोई भी गुंजाइश नहीं है । अतः प्रधान मंत्री को हमें बताना चाहिये कि क्या वह १२,००० वर्ग मील क्षेत्र के बारे में इस मीटिंग में बात-चीत करेंगे ।

अब मैं तिब्बत के प्रश्न को लेता हूं । इस आयव्ययक में तिब्बत से आये व्यक्तियों को बसाने के लिये जो उपबन्ध किया गया है उस पर मुझे आपत्ति नहीं है । यदि प्रति वर्ष इतना ही व्यय किया जाता है तो हमारे लिये यह चिन्ता का विषय बन जाता है । हमें यथार्थवादी हो कर सोचना पड़ेगा कि तिब्बत के मामले में हम क्या करने जा रहे हैं । यदि १९५० में ही भारत सरकार सचेत हो गई होती तो आज यह नौबत नहीं आती । आज भारत-चीन का मसला नहीं उत्पन्न होता । प्रसिद्ध राजनयिक, श्री के० एम० पनिक्कर की 'इन टू चाइनाज़' नामक पुस्तक में जो कुछ लिखा है वह उन्हों ने चीनियों के इरादे भारत सरकार को पहले से न बता कर, अन्धकार में रखा । उसी पुस्तक में उन्हों ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण का उल्लेख भी किया है । चीन स्थित भारतीय दूतावास ने इस सब के बारे में अपनी अज्ञानता प्रकट की और भारत सरकार को अंधकार में रखा । जब कभी विरोधी दल वाले कोई चीज सरकार को बताना चाहते हैं तो भारत सरकार उसे मानने को तैयार नहीं होती जैसे भारत की विमान सीमा के उल्लंघन का मामला । हमारे प्रधान मंत्री ने इसे केवल गप्प बताया है । इसी प्रकार जब कि अमरीका और हांगकांग के समाचारपत्र तिब्बत में चीन के सैनिक कार्यों का समाचार दे रहे थे, हमारे पीकिंग स्थित दूतावास ने भारत सरकार को पूर्णरूपेण अंधकार में रखा ।

मुझे प्रधान मंत्री से केवल यही शिकायत है कि वह कभी प्रभावित नहीं होते हैं । जब तिब्बत में भारत के हित पर इन महानुभाव ने धोखा दिया उस का भी प्रधान मंत्री पर कोई असर नहीं पड़ा । इस से स्पष्ट है कि पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास ने नई दिल्ली को प्रत्येक प्रक्रम पर अंधकार में रखा । बड़े खेद की बात है कि ऐसे व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति ने भारत का प्रतिनिधि कहा है । इस का अर्थ यह है कि यह सरकार धोखेबाज़ी को बढ़ावा दे रही है । अब इस का अन्त हो जाना चाहिये ।

जब कि इस प्रकार के व्यक्ति को भारत का प्रतिनिधि कहा जाता है तो किसी न किसी को इसका विरोध करना चाहिए ।

अन्त में मैं यह और कहना चाहूंगा कि विदेश नीति के मामले में देश में मतभेद नहीं होना चाहिए । इन नीतियों का पालन करने में प्रधान मंत्री किसी एक दल के सदस्य न होकर समूचे राष्ट्र का प्रतिनिधि रहता है । यदि वह ऐसा दावा करते हैं तो उन्हें इस सदन के सभी पक्षों की भावना का ध्यान रखना चाहिए ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने से पहले वक्ता का भाषण बड़े ध्यान से सुना; मैं यह नहीं समझ पाया कि जो विवाद समाप्त हो चुके हैं उनको पुनः उठाने से क्या लाभ हो सकता है । माननीय सदस्य ने अपने भाषण में जो कुछ कहा वह हमारे एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ द्वारा लिखित पुस्तक के आधार पर कहा है । मैंने वह पुस्तक तो नहीं पढ़ी है परन्तु मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि किसी पुस्तक के उद्धरण संदर्भ से अलग करके दिये जायें । मैं समझता

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हूं कि विदेशों में हमारे राजदूतों ने बड़ा सुन्दर काम किया है तथा माननीय सदस्य ने जिस राजदूत का उल्लेख किया है वह निश्चित रूप में बड़े योग्य व्यक्ति हैं।

प्रश्न यह है कि क्या आज से दस साल पहले हमारी तिब्बत की नीति का चीन के प्रति हमारी आज की नीति से गहरा सम्बन्ध है। मैं समझता हूं कि इतिहास की घटनायें किसी निश्चित क्रम से नहीं घटतीं। विश्व के सभी राजनीतिज्ञ एक समय में एक निश्चित रूपरेखा में ही काम करते हैं, उन्हें उस समय इस बात का ज्ञान नहीं होता कि १० अथवा २० वर्ष पश्चात् क्या होगा। वह देश के हितों को देखते हुए ही उचित निर्णय करते हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक तिब्बत का सम्बन्ध है, १९५० में जो कुछ हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि उस समय हम समझते थे कि देश के लिये वही हितकर है। अंग्रेजों ने भी यह स्वीकार किया था कि तिब्बत चीन का ही एक क्षेत्र है। हम ने भी इसी बात को जिसे अंग्रेजों ने इतने अर्से तक माना, स्वीकार कर लिया तो कोई असाधारण बात नहीं की थी।

एक माननीय सदस्य ने चीन के सम्बन्ध में हमारी नीति की कटु आलोचना की। आज स्थिति यह है कि हमारे प्रधान मंत्री ने श्री चाउ-एन-लाइ को बातचीत करने के लिए बुलाया है। मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार हमारे प्रधान मंत्री ने यह उचित ही किया है कि श्री चाउ-एन-लाइ को भारत बुलाया जिससे बातचीत करके मामले को सुलझाया जा सके।

मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि जो व्यक्ति इन के बुलाने पर आपत्ति करते हैं वह क्या यह चाहते हैं कि भारत तथा चीन में युद्ध हो। हमारे प्रधान मंत्री कह चुके हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो हमारा राष्ट्र हथियार उठाने को तैयार हो जायेगा परन्तु आज जब सारे विश्व में लोग शांति चाहते हैं और बातचीत से समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं उस समय श्री चाउ-एन-लाइ को बातचीत के लिए बुलाकर कोई ग़लत बात नहीं की गई है।

भूतकाल में भारत तथा चीन के बहुत अच्छे सम्बन्ध थे; हम अच्छे पड़ौसी थे। मैं समझता हूं कि श्री चाउ-एन-लाइ ने भारत और चीन के भूगोल तथा इतिहास का ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया है और तभी यह गड़बड़ हुई है। मैं तो समझता हूं कि दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों की बातचीत से इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकल सकेगा। और इस मिलन का स्वागत समस्त भारत करेगा। हम जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्री की यह नीति है कि आक्रमणकारियों को हटाया जाये और हिमालय को भारत की प्राकृतिक सीमा माना जाये। इस में कोई सन्देह नहीं है कि जिन व्यक्तियों को यह आशंका है कि हिमालय हम से अलग हो जायेगा, वह ग़लती पर हैं। मैं आशा करता हूं कि इस मिलन से सभी संदेह तथा शंकायें दूर हो जायेंगी।

अब मैं वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रशासन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। किसी ने कहा कि सारे प्रशासन को बदल देना चाहिए। मैं प्रशासन सम्बन्धी बातों को ज्यादा नहीं समझता हूं परन्तु इस मंत्रालय के बारे में मैं एक बात अवश्य जानता हूं कि इस मंत्रालय के पदाधिकारी प्रचार से बहुत बचते हैं। हम अन्य मंत्रालयों के पदाधिकारियों के चित्र तथा नाम दिन प्रति दिन समाचारपत्रों में देखते हैं परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय के किसी पदाधिकारी का नाम तथा चित्र समाचारपत्रों में नहीं देखा जाता है। यह सराहनीय बात है।

इसके अतिरिक्त संगठन तथा रीति विभाग के कारण जिस मंत्रालय में मितव्ययता हुई है वह वैदेशिक कार्य मंत्रालय ही है। मितव्ययता के सभी प्रयोग इस मंत्रालय में किये जा रहे हैं। इस मंत्रालय की सूचना सेवा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें भी अपनी सूचना सेवा इस प्रकार की बनानी चाहिए जो अन्य देशों के समान हो। लेकिन हमारे दूतावास भारत के बारे में आवश्यक

सूचना देने का बराबर प्रयत्न करते हैं। मैं हाल में ही वाशिंगटन गया था और वहां पर मुझे भारत की कोई ख़बर नहीं मिलती थी; परन्तु वाशिंगटन दूतावास सप्ताह में दो बार भारत के समाचार प्रकाशित करता है और उस से ही मुझे भारत के समाचार मिलते थे। मैं समझता हूं कि हमारी सूचना सेवा भी अपना कार्य बड़ी सावधानी तथा लगन से कर रही है।

मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने तिब्बती शरणार्थियों की समस्या को इतनी सफलता से हल किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन दुखी लोगों को बसाया जा सका। मुझे यह भी आशा है कि नागा सम्मेलन के विचारों पर ध्यान दिया जायगा तथा उनको भी देश के प्रशासन में हिस्सा दिया जायगा।

मुझे इसका बड़ा खेद है कि साइप्रस को स्वतंत्रता देने में विलम्ब किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार को बातचीत से इस मामले को शीघ्र निबटा देना चाहिए।

आज दक्षिण अफ्रीका में जिस प्रकार की सरकार है, जिस प्रकार का प्रशासन है और जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है वह समय के अनुकूल नहीं; बहुत पीछे है। मुझे प्रसन्नता है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद नीति को ग़लत बताया है। दक्षिण अफ्रीका अपनी जातिभेद की नीति को जितना शीघ्र समाप्त कर देगा उतना उसके लिए अच्छा होगा।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१६	१२३	श्री यादव	आदिम जातियों के प्रति नीति	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय
१६	२६५	श्री अरविन्द घोषाल	मिज़ो पहाड़ियां क्षेत्र में चूहों का उपद्रव दूर न कर सकना	१०० रुपये
१६	२६६	श्री अरविन्द घोषाल	मिज़ो पहाड़ियां क्षेत्र में ठीक समय पर खाद्यान्न न पहुंचा सकना	१०० रुपये
१६	२६७	श्री अरविन्द घोषाल	आदिम जाति क्षेत्रों में मिलाने वाली सड़कों की उचित व्यवस्था की आवश्यकता	१०० रुपये
१६	३१६	श्री ही० ना० मुकर्जी	आदिम जाति क्षत्रों को शेष भारत से एकीकृत करने की समस्याय	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१६	३४७	श्री प्र० के० देव .	नेफ़ा प्रशासन को गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरित करने की वांछनीयता ।	१०० रुपये
१७	१२४	श्री यादव . .	नागाओं के प्रति नीति .	राशि घटा कर १ रु० कर दी जाय ।
१७	२९२	श्री अरविन्द घोषाल .	नागा समस्या सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१७	२६८	श्री अरविन्द घोषाल .	नागाओं में सरकार के प्रति फिर से विश्वास पैदा न कर पाना ।	१०० रुपये
१७	२६९	श्री अरविन्द घोषाल .	नागा विद्रोहियों को न दबा पाना	१०० रुपये
१७	३४८	श्री प्र० के० देव .	नागा पहाड़ियां—त्वनसांग क्षेत्र के प्रशासन को गृह-कार्य मंत्रालय को हस्तान्तरित करने की वांछनीयता ।	१०० रुपये
१८	१३९	श्री महन्ती . .	तिब्बत सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१८	१४०	श्री महन्ती .	भारतीय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण सम्बन्वी नीति ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१८	२९३	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास ।	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१८	४४३	श्री वाजपेयी .	चीन सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१८	४४४	श्री वाजपेयी	तिब्बत सम्बन्धी नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।
१८	१२०	श्री यादव	अधिकारियों पर होने वाले खर्च में कमी ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	१५१	श्री महन्ती	बाहर जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए लोगों का चुनाव	१०० रुपये
१८	१५२	श्री महन्ती . .	कर्मचारी नियुक्त करने तथा खर्च करने के बारे में मंत्रालय की नीति ।	१०० रुपये
१८	२७०	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत में तिब्बती शरणार्थियों का दर्जा ।	१०० रुपये
१८	२७१	श्री अरविन्द घोषाल .	दलाई लामा के धन को तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के काम में लाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	२७२	श्री अरविन्द घोषाल .	और अधिक तिब्बती शरणार्थियों का आना न रोक सकना ।	१०० रुपये
१८	२७३	श्री अरविन्द घोषाल .	मिसीमारी कैम्प में अनुशासन न लागू कर पाना ।	१०० रुपये
१८	२७४	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत और भूटान के बीच सब मौसमों में काम में आने वाली सड़कों की जरूरत ।	१०० रुपये
१८	२७५	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत-तिब्बत और भारत-चीन सीमा पर अधिक चौकियों की जरूरत ।	१०० रुपये
१८	२७६	श्री अरविन्द घोषाल .	भारतीय सीमाओं की चीन के आक्रमण से रक्षा न कर सकना ।	१०० रुपये
१८	२७७	श्री अरविन्द घोषाल .	सारे भारतीय दूतावासों में १५ अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	२७८	श्री अरविन्द घोषाल	भारतीय दूतावासों द्वारा स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस के समारोहों पर समस्त भारतीय नागरिकों को बुलाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	२७९	श्री अरविन्द घोषाल .	भारतीय दूतावासों में प्रचार व्यवस्था का सुधारा जाना ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	२८०	श्री अरविन्द घोषाल .	भारतीय दूतावासों द्वारा भारतीय नागरिकों और पर्यटकों की और अच्छी तरह देखभाल करने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	२८१	श्री अरविन्द घोषाल .	जाली पासपोर्टों की रोक थाम करना ।	१०० रुपये
१८	२८२	श्री अरविन्द घोषाल .	वीयना में १९५९ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय युवक समारोह में प्रतिनिधियों को पासपोर्ट की मनाही ।	१०० रुपये
१८	२८३	श्री अरविन्द घोषाल .	कालिमपोंग से विदेशी जासूसों को निकालने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	२८४	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत में राज्य विहीन लोग	१०० रुपये
१८	२८५	श्री अरविन्द घोषाल .	पूर्वी पाकिस्तान के साथ सीमांकन	१०० रुपये
१८	३०४	श्री ही० ना० मुकर्जी .	जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने में विलम्ब ।	१०० रुपये
१८	३०५	श्री ही० ना० मुकर्जी	तिब्बत के बारे में भारत में प्रस्तावित सम्मेलन के संभावित परिणाम ।	१०० रुपये
१८	३०६	श्री ही० ना० मुकर्जी	दलाई लामा की भारत में गतिविधियों के संभावित परिणाम ।	१०० रुपये
१८	३१२	श्री ही० ना० मुकर्जी	हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा निःसहाय भारतीय नागरिकों की समस्या को ठीक प्रकार से न हल कर पाना ।	१०० रुपये
१८	३१९	श्री ही० न० मुकर्जी	भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के विधि सम्मत हस्तान्तरण के बारे में फ्रांस सरकार की जिद ।	१०० रुपये
१८	३२०	श्री ही० ना० मुकर्जी .	भारतीय राज्य क्षेत्र में से होकर रास्ते की मांग के पुर्तगाल के दावे के बारे में विश्व न्यायालय में होने वाली कार्यवाही के संभावित परिणाम ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	३२१	श्री ही० ना० मुकर्जी	हमारे कुछ राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा अमरीका में दिये गये कुछ अवांछनीय भाषण ।	१०० रुपये
१८	३२९	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	चीन संबंधी नीति की असफलता	१०० रुपये
१८	३३०	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	गोआ संबंधी नीति	१०० रुपये
१८	३३१	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	चीनी आक्रमण को देखते हुए भूटान और सिक्किम के साथ और अधिक गहरे संबंध बनाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	३३२	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	इज़रायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित न कर सकना ।	१०० रुपये
१८	३३३	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	मंत्रालय के उच्च पदाधिकारियों की संख्या में कमी ।	१०० रुपये
१८	३३५	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	पास पोर्ट देने में विलम्ब	१०० रुपये
१८	३३६	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	विदेशों में अपर्याप्त प्रचार व्यवस्था ।	१०० रुपये
१८	३३९	श्री अरविन्द घोषाल	संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में लोगों का चुनाव ।	१०० रुपये
१८	३४०	श्री अरविन्द घोषाल .	भारत-चीन संबंधों पर श्वेत पत्रों का भारत की प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित न किया जाना ।	१०० रुपये
१८	३४१	श्री अरविन्द घोषाल .	गोआ समस्या को हल करने के लिये ठोस कार्यवाही न करना ।	१०० रुपये
१८	३४९	श्री प्र० के० देव. .	चीन के साथ सीमा विवाद के प्रश्न पर सरकार का रवैया ।	१०० रुपये
१८	३५०	श्री प्र० के० देव .	भारत में पुर्तगाली बस्तियों को शीघ्र मुक्त कराने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१८	३९८	श्री आसर . .	गोआ और अन्य पुर्तगाली बस्तियों को मुक्त न करा पाना ।	१०० रुपये
१८	३९९	श्री आसर . .	चीनी अतिक्रमण के सम्बन्ध में नीति ।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१८	४००	श्री आसर . .	इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित न कर सकना।	१०० रुपये
१८	४०१	श्री आसर .	हमारे दूतावासों द्वारा विदेशों में हमारे दृष्टिकोणों का उचित प्रचार न किया जाना।	१ ० रुपये
१८	४०२	श्री आसर . .	पांडेचेरी के विधि सम्मत हस्तान्तरण की आवश्यकता।	१०० रुपये
१८	४०३	श्री आसर . .	हमारे दूतावासों के खर्चे में कमी की जरूरत।	१०० रुपये
१८	४०४	श्री आसर .	हमारे राजनयिक प्रतिनिधियों द्वारा निस्सहाय भारतीय नागरिकों की समस्या को ठीक प्रकार से हल न कर पाना।	१०० रुपये
१८	४०५	श्री आसर .	भारत पाक सीमा पर पाकिस्तानी हमलों को न रोक पाना।	१०० रुपये
१८	४०६	श्री आसर . .	भारतीय नागरिकों और पर्यटकों के हितों और कल्याण की भारतीय दूतावासों द्वारा ठीक तरह से देखभाल करने में असफलता।	१०० रुपये
१८	४०७	श्री आसर . .	कालिमपोंग में विदेशी जासूसों की गतिविधियों की रोकथाम करने में असफलता।	१०० रुपये
१८	४०८	श्री आसर .	जाली पासपोर्ट की रोकथाम करने में असफ़लता।	१०० रुपये
१८	४८०	श्री आसर . .	इज़राइल के साथ पूरे राजनयिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता।	१०० रुपये
१९	३२६	श्री ही० ना० मुकर्जी .	भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों में पुरानी न्यायिक पद्धति की अनियमितताओं को ठीक करने में असफलता।	१०० रुपये
१९	३३७	श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी .	पांडेचेरी के विधि-सम्मत हस्तान्तरण की आवश्यकता।	१०० रुपये

१	२	३	४	५
१६	३४२	श्री अरविन्द घोषाल .	पांडेचेरी के विधि सम्मत हस्तान्तरण के बारे में फ्रांस सरकार से समझौता न कर पाना।	१०० रुपये
१६	३४३	श्री अरविन्द घोषाल .	पांडेचेरी क्षेत्र को खेती के लिये मद्रास जोन की झील से पानी देने में असफलता।	१०० रुपये

†**श्री दिनेश सिंह** (बांदा) : सभा में चीन-भारत के सम्बन्धों के बारे में आज बहुत कुछ कहा जा चुका है इसलिये मैं संक्षेप में ही इस के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर देता है तो दूसरे देश के सामने समस्या का हल करने के लिये केवल दो रास्ते रह जाते हैं। या तो वह युद्ध करे अथवा बातचीत के द्वारा प्रश्न का हल निकाले। हमारी नीति सर्वदा शांति की नीति रही है, इसलिये यही रास्ता हमारे लिये उचित है कि हम बातचीत के द्वारा मामलों को निबटायें।

आज सभा में इस पर बड़ी चर्चा रही कि चीन के प्रधान मंत्री को आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिये था। मुझे यह बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जब हम बातचीत के द्वारा किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि या तो वह यहां आते अथवा हमारे प्रधान मंत्री वहां जाते। इसलिये जब चीन के प्रधान मंत्री भारत आकर बात-चीत करने को तैयार हैं तो उसमें क्या हानि है।

एक माननीय सदस्य ने यह शंका प्रकट की कि हम अपने कुछ क्षेत्र दे देंगे। उन्हें समझना चाहिये कि हाल में ही उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भारत का कोई भी भू-भाग संविधान में संशोधन किये बगैर नहीं दिया जा सकता है, जिसका अर्थ हुआ कि भारत की कोई भी भूमि देने से पूर्व वह प्रश्न सभा में अवश्य प्रस्तुत होगा।

मुझे यह बात भी अनुचित लगी कि प्रधान मंत्री पर बातचीतों के बारे में नियंत्रण लगाया जाये कि उन्हें एक सीमा के अन्दर ही बातचीत करनी हैं। बातचीत में इसकी छूट ही रहनी चाहिये कि सभी प्रकार की बातें हों। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि हम सीमा के मामले में उन्हें कोई क्षेत्र सौंप नहीं देंगे ; मैं आशा करता हूं कि हम चीन के प्रधान मंत्री से यह आग्रह करेंगे कि चीन के लोग हमारी प्रदेशिक अखंडता का सम्मान करें।

सीमा विवाद पर चर्चा के समय हमें सिक्किम तथा भूटान की सीमाओं पर भी विचार करना होगा। यद्यपि चीन के प्रधान मंत्री ने बड़ी चतुराई से इस प्रश्न को नजर अन्दाज करने का प्रयत्न किया है और कहा है कि सिक्किम और भूटान की सीमाओं के बारे में भारत से कोई बातचीत नहीं की जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री बातचीत के दौरान में इस बात का ध्यान रखेंगे।

भारत तथा चीन में १९५४ में सन्धि हुई थी। उस सन्धि के अनुसार हमने तिब्बत में तथा चीन ने भारत में वाणिज्यिक दूतावास बनाये तथा उनको स्वतंत्रतापूर्वक अपना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिनेश सिंह]

काम करने की व्यवस्था की गई। परन्तु हम देखते हैं कि चीन ने इस सन्धि को भंग कर दिया तथा तिब्बत में हमारे वाणिज्यिक दूतावास की स्वतंत्रता का अपहरण किया। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर भी विचार किया जाना चाहिये और यदि वह अपने व्यवहार में कोई अन्तर नहीं करते हैं तो हमें भी भारत में उनके वाणिज्यिक दूतावास के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये।

पिछले वर्ष वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में पुनर्गठन किया गया था तथा मैंने सुझाव दिया था हमें अन्य मंत्रालयों में भी ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये। मुझे खेद है कि ऐसा नहीं किया गया। मैं अब आशा करता हूं कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस व्यवस्था को अपने यहां के अन्य विभागों में लागू करेगा तथा अन्य मंत्रालयों से भी सिफ़ारिश करेगा कि वह अपने यहां इसी प्रकार की पद्धति लागू करें।

एक और भी बड़ी अजीब बात है कि इस मंत्रालय में तीन सचिव हैं। विदेश सचिव, विशेष सचिव तथा राष्ट्र मंडल सचिव। पहले दो सचिव सीधे प्रधान मंत्री से बात कर सकते हैं और तीसरे सचिव को संसदीय सचिव के ज़रिये बातचीत करनी होती है। मैं आशा करता हूं कि हमें बताया जायेगा कि ऐसा किस कारण होता है।

मुझे यह भी पता लगा है कि विदेश सेवा में वरिष्ठता के बारे में बड़ा असंतोष है। मैं आशा करता हूं कि यह असंतोष दूर किया जायेगा।

यह बड़ी ही अजीब बात है कि अब विदेश सूचना सेवा भी विदेश सेवा के अधीन लाई जा रही है। यह एक विशेष सेवा होती है जिसमें पत्रकारों की आवश्यकता होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सेवा में पत्रकारों को ही स्थान दिया जाना चाहिये।

मैंने यह सुना है कि केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन हैं। मैं समझता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन एक अनुवाद विभाग होना चाहिये, ताकि उन सभी देशों की, जिनसे हमारा सम्बन्ध है, भाषाओं का अनुवाद हो सके। मैं इस बात पर विशेष रूप से इस कारण ज़ोर दे रहा हूं कि चीन से हमारा विवाद आरम्भ होने पर हमने अपना दृष्टिकोण अंग्रेजी भाषा में ही सबको बताने का प्रयत्न किया और इस प्रकार योरूप की अन्य भाषायें देर में हमारा दृष्टिकोण समझ पाईं।

मैं समझ नहीं पाया कि जो भारतीय अपने रोज़गार के लिये ब्रिटेन जायें तो उनको पासपोर्ट देने से क्यों इन्कार किया जाता है। मैं नहीं समझता कि हम ब्रिटेन की ओर से ऐसा क्यों करते हैं। यदि ब्रिटेन चाहता है कि हमारे लोग वहां पर न जाये तो वह अन्य देशों के समान वीसा पद्धति लागू कर सकता है परन्तु हम लोगों को जाने से क्यों रोके।

मुझे दुख है कि हम अफ़्रीका की ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज अफ़्रीका प्रगति कर रहा है और अफ़्रीका के लोग भारत में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मेरा सुझाव है कि हमें इस महाद्वीप से अपने सम्बन्ध बढ़ाने चाहियें जिससे वह हमारी बात समझे। अफ़्रीका के लोग हमारे प्रधान मंत्री का बहुत आदर करते हैं। हमें चाहिये कि हम उनकी ओर अधिक ध्यान दे और जो देश अभी आज़ाद नहीं हैं उनको आज़ादी दिलाने में मदद करें।

अल्जीरिया के बारे में भी हमें ऐसा ही रवैया अख्तियार करना चाहिये। फ़्रान्स ने इस देश को कुचलने के लिये बड़ा कठोर क़दम उठाया है। मैं समझता हूं कि हमें वहां की राष्ट्रीय सरकार को मान्यता दे देनी चाहिये।

मैं वैधानिक-कार्य मंत्रालय की सराहना करता हूं कि नेफा में उन्होंने बड़ा सुन्दर काम किया है। मैं आशा करता हूं कि इस सभा के कुछ सदस्य वहां पर जा कर वहां की सुधरी हुई हालत देखने का प्रयत्न करेंगे। आशा हैकि भूटान में हमारे प्रतिनिधि पहुंच जायेंगे। सरकार वहां पर सड़कें बना रही हैं और अन्य काम कर रही है इसलिये सरकार के किसी व्यक्ति का वहां होना जरूरी है जो सब कामों में समन्वय रख सके।

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलदुग) : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के चारों ओर सीमान्त समस्याएं मुंह बाए खड़ी है जिन्हें अभी तक हल नहीं किया जा सका है। पांडिचेरी, गोआ और काश्मीर किसी के भी सम्बन्ध में अन्तिम समझौता नहीं हो सका है। परन्तु हाल में एक समस्या इन सबसे ज्यादा भयंकर उत्पन्न हो गई है।

मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। जनरल अयूब की सरकार ने यह महसूस किया है कि भारत और पाकिस्तान के हित एक दूसरे से संबद्ध हैं। नहरी पानी विवाद और अन्य बातों के बारे में समझौता हो गया है और मैं आशा करता हूं कि काश्मीर के बारे में भी उचित समझौता हो जाएगा।

जो समस्या हाल में उत्पन्न हुई है वह उत्तरी सीमान्त की है जिसे अब तक सर्वथा सुरक्षित समझा जाता था। मैं श्री महन्ती के इस विचार से सहमत हूं कि विदेश नीति सम्बन्धी मामले निर्विवाद होने चाहियं। विदेशी मामलों के सम्बन्ध में सरकार और अन्य राजनैतिक दलों के बीच यथासंभव एकमत होना चाहिये। अन्य प्रगतिशील देशों में ऐसा ही होता है। राष्ट्रीय एकता और विदेशी नीति के स्थायित्व के लिए यह बहुत आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री विदेश नीति के बारे में विभिन्न नेताओं से परामर्श करें और श्री चाऊ एन लाई से समझौता करने के पूर्व अन्य दलों के नेताओं के साथ मिल कर एक सर्व-सम्मत लाइन निश्चित करें।

यह सर्वथा ठीक है कि प्रधान मंत्री ने चीनी प्रधान मंत्री को आमन्त्रित करके अपनी पूर्व नीति के विरुद्ध कार्य किया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक चीन हमारे राज्य क्षेत्र से नहीं हटेगा तब तक उसके साथ बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा विचार है कि इस प्रकार के निमंत्रण का अर्थ यही लगाया जाएगा कि हम कमजोर हैं। यदि यह बातचीत सफल नहीं हुई तो मैं समझता हूं कि उसका परिणाम हमारे देश के लिए घातक होगा। मैं स्थायी सुरक्षा की दृष्टि से वैसा कह रहा हूं। मेरा विचार है कि हमने तिब्बत को छोड़ कर बहुत गंभीर गलती की है क्योंकि उसके परिणामस्वरूप उत्तरी सीमान्त की दुर्भेद्यता खत्म हो गई है। तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर लेना हमारे लिए अत्यन्त हानि कर सिद्ध हुआ है। तिब्बत को भारत और चीन के बीच अन्तःस्थ राज्य के रूप में बनाये रखना आवश्यक था जिस प्रकार योरप में स्विटजरलैंड को स्वीकार किया जाता है। अतः वर्तमान संकट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है। यदि हम चीन को तिब्बत पर अधिकार न करने देते तो यह संकट उत्पन्न न होता।

अब स्थिति क्या है ? चीन हमारे उत्तरी सीमान्त के बिल्कुल पास आ गया है और हमारे देश पर आंखें गढ़ाए हुए है। यह ठीक है कि नेपाल, सिक्किम और भूटान के देश बीच में आते हैं परन्तु चीन की शक्ति को देखते हुए उनका भविष्य अत्यन्त अनिश्चित है। इसके अतिरिक्त भारत ने भूटान और सिक्किम की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले रखा है। इस प्रकार उत्तरी सीमान्त पर एक स्थायी संकट खड़ा हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दिनेश सिंह]

यह कहा जा सकता है कि हम चीन के साथ मित्रतापूर्वक रह सकते हैं। परन्तु पिछली घटनाओं को देखते हुए हम चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन के सम्राटों के साथ अनेक समझौते हो चुके हैं परन्तु उनका पालन नहीं हुआ। अन्य साम्यवादी देशों के आस पास जो कुछ हो रहा है उससे हमें सबक लेना चाहिए। रूस के आस पास जितने भी छोटे छोटे देश थे उन सब पर रूस का आधिपत्य हो गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हमें साम्यवाद के इस खतरे से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। यह एक नये प्रकार का साम्राज्यवाद है जो अत्यन्त भयंकर है। अतः हमें चीन का विश्वास नहीं करना चाहिए।

चीनी प्रधान मंत्री के साथ बातचीत प्रारम्भ करने के पूर्व हमारे प्रधान मंत्री को कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। हमें केवल क्षणिक करार नहीं करना है वरन् साम्यवादी अतिक्रमण को सदा के लिए दूर करना है। हम बाह्य शक्ति से तो लड़ सकते हैं परन्तु हमारे यहां तो स्थिति यह है कि हमें अपने आप से भी लड़ना है। इस बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है।

हमारे प्रधान मंत्री तटस्थता की नीति का अनुसरण कर रहे हैं। इस नीति के अनुसार समस्त संसार के विशिष्ट व्यक्तियों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मित्रता करना तो ठीक है पर अधिक मित्र रखना भी ठीक नहीं होता है। मित्रों की संख्या आधक होने पर वास्तविक मित्रता किसी से नहीं हो पाती और परिणामस्वरूप संकट के समय कोई भी सहायता के लिए कदम नहीं बढ़ाता है। इतने अतिथियों के आने से यह होता है कि किसी का भी प्रभाव स्थायी नहीं रह पाता है।

फिर, यह ठीक है कि देश को मजबूत बनाना चाहिए। हम सभी इस बात से सहमत हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि यह शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जाए? हमारे प्रधान मंत्री ने जो निमंत्रण भेजा है उसको मैं ठीक नहीं समझता हूं। यह ठीक है कि उसका उद्देश्य शान्ति की स्थापना है। परन्तु मेरा विचार है कि हमें कायरतापूर्ण ढंग से उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त करना चाहिए। शान्ति की प्राप्ति शक्ति द्वारा भी की जा सकती है। वास्तविक शान्ति शक्ति द्वारा ही संभव है। योरप और अमरीका में शान्ति का क्या कारण है? इसका उत्तर है अणुबमों और उद्जन बमों का अस्तित्व। इसलिए यदि हम शान्ति चाहते हैं तो हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

जहां तक तटस्थता की नीति का प्रश्न है जो देश तटस्थता की नीति पर चलता है उसके सम्बन्ध में तो वह ठीक है परन्तु जो देश उसमें विश्वास नहीं करता उसके सम्बन्ध में तटस्थता की नीति ठीक नहीं कही जा सकती। हम जानते हैं कि समस्त साम्यवादी देशों ने एक दूसरे की सहायता के लिए गठबन्धन कर रखा है। इसलिए चीन के सम्बन्ध में तटस्थता की नीति ठीक नहीं है। संसार के सब देश गुटों में विभाजित हैं, केवल हमारा देश ही सब से अलग है। हम अन्य गुटों में भले ही शामिल न हों परन्तु हमें दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन बनाना चाहिए। साम्यवाद का सामना करने के लिए यह अत्यन्त अवावश्यक है। अतः हमें पाकिस्तान, बर्मा तथा अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ समझौता करना चाहिए।

हम किसी भी राजनैतिक दल के हों परन्तु अपने देश की स्वतन्त्रता सभी बनाए रखना चाहते हैं। हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए ताकि भविष्य में भी उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। इस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री के कन्धों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। इसलिए चीनी प्रधान मंत्री से भेंट करने के पूर्व उन्हें देश के विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श करना चाहिए। हमें केवल चीनी अतिक्रमण को दूर नहीं करना है वरन् स्थायी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी है।

†वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों का उत्तर देना चाहती हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा चीन के प्रधान मंत्री को बातचीत करने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित किया जाना सरकार की पूर्व नीति में परिवर्तन है। इस तर्क के आधार पर बहुत सी बातें कही गई हैं और इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें चीन के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए क्योंकि वैसा करना अपने पूर्व निर्णय को गिरा देना है जो देश के लिए अहितकर होगा। मेरा निवेदन है कि ऐसा कहना उसी प्रकार है जैसा कि यात्रा के बीच में दुर्घटना हो जाने पर आगे न बढ़ने देन पर ज़ोर देना। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कार द्वारा यात्रा करता है। यदि अचानक उसकी कार खराब हो जाती है तो वह जीप, रेलगाड़ी अथवा बैलगाड़ी से यात्रा करेगा। परन्तु माननीय सदस्य कहते हैं कि कार के बिना यात्रा की ही न जाय। यह कहना कि जब तक चीन हमारे राज्य क्षेत्र को न छोड़े तब तक उसके साथ बातचीत न की जाय ठीक उसी प्रकार है। जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि यदि बातचीत का एक उपाय असफल रहता है तो शान्ति की इच्छुक सरकार को अन्य उपायों की खोज करनी चाहिए। ताकि शान्तिपूर्ण समझौता हो सके। इसमें अपमान की कोई बात नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न केवल शान्तिपूर्ण बातचीत करने का है।

इसके बाद मैं विरोधी दल के नेता द्वारा कही गई तिब्बत सम्बन्धी अभिसमय की बात पर आती हूं। तिब्बत सम्बन्धी अभिसमय मई, १९५९ में हुआ था और उसमें वह प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसके अनुसार कार्य करना चाहिए। माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकार और प्रधान मंत्री ने इस अभिसमय को बहुत आजादी दी थी। मैं यह बता देना चाहती हूं कि सरकार ने शुरू से ही अपने को इस अभिसमय के कार्य से अलग रखा था। वास्तव में प्रधान मंत्री इस बात से खुश नहीं थे कि एक ऐच्छिक संगठन इस प्रकार के सम्मेलन अयोजित करें क्योंकि उनसे शान्ति स्थापना में कोई सहायता नहीं मिलेगी। परन्तु हमारा शासन प्रजातान्त्रिक है और हमारे संविधान में प्रत्येक संगठन को किसी भी प्रकार का सम्मेलन आयोजित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। ऐसी परिस्थिति में यह सोचना ठीक नहीं है कि सरकार इस अभिसमय की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रही है। यह सर्वथा ठीक है कि श्री जयप्रकाश नारायण ने अपने दूत विभिन्न सरकारों को भजे हैं। परन्तु उन्हें वैसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह एक सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं इसलिए विदेशों से प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना स्वाभाविक है और उन्हें वे सारी सुविधायें दी जायेंगी जो हम अन्य सम्मेलनों में उपस्थित होने वाले प्रतिनिधियों को देते हैं यदि हमें यह सतोष हो जाएगा कि वे भारत आने के लिए अयोग्य नहीं हैं मैं सरकार की ओर से यह बता देना चाहती हूं कि भारत सरकार किसी भी तरह न तो मई, १९५९ में हुए मूल अभिसमय से सम्बद्ध है और न इस सम्मेलन के आयोजकों के बाद के कार्यों से ही जिसका कोई सम्बन्ध है। हमने अपने विदेशों में स्थित राजदूतों को भी यह सूचित कर दिया है कि इस सम्मेलन का आयोजन गैर-सरकारी लोगों द्वारा किया जा रहा है और सरकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे विश्वास है कि इससे माननीय सदस्य को सन्तोष हो जाएगा।

इसके बाद मैं दलाई लामा के खजाने के प्रश्न पर आती हूं। संसद् की दोनों सभाओं में उसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछ जा चुके हैं तथा उनके उत्तर भी दिए जा चके हैं। मैं समझती हूं कि अनुदानों के लिए मांगों पर विचार के समय उन प्रश्नों का पुनः उपस्थित किया जाना सामान्य प्रक्रिया सी बन गई है। इसलिए जो पहले बताया जा चुका है वही मैं दुहराये देती हूं कि सरकार को उस खजाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि उसमें क्या क्या है और कितने मूल्य का है। उसका अनुमान ८० लाख रुपये से लेकर १५ करोड़ रुपये तक लगाया जाता है। यह असाधारण अनुमान है। यह ठीक है कि यह खजाना १९५१ में सिक्किम आया था जब इस प्रकार का भय था कि

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

दलाई लामा तिब्बत से चला जाना पसन्द करेंगे । वह खजाना सिक्किम आने दिया गया और उसे सुरक्षित स्थान में रख दिया गया । हाल में हमने उस खजाने को कलकत्ता लाने के लिए सामान्य सुविधायें दी थी जैसे सुरक्षा दल आदि । परन्तु भारत सरकार को उसके वास्तविक मूल्य का ज्ञान नहीं है । यह कहा जाता है कि वह दलाई लामा की निजी सम्पत्ति है । यदि किसी माननीय सदस्य को कोई सन्देह है तो वह न्यायालय में जाकर यह प्रमाणित कर सकते हैं कि वह सम्पत्ति तिब्बत की सरकार की है अथवा दलाई लामा की निजी सम्पत्ति है । जब तक ऐसा नहीं किया जाता हम यही बात स्वीकार करते हैं कि वह दलाई लामा की निजी सम्पत्ति है और वह उसका जो चाहें कर सकते हैं ।

यह कहा गया है कि भारत सरकार ने इस सम्पत्ति के भारत लाये जाने के सम्बन्ध में सामान्य प्रक्रिया को ढीला कर दिया था । माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि हमारे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत तिब्बत से भारत सोना लाने पर कोई कर नहीं है । चांदी के आयात पर कुछ कर अवश्य है । उस कर को अवश्य माफ कर दिया गया था। तिब्बत की हाल की घटनाओं के बाद जो शरणार्थी भारत आये उनके पास जितनी चांदी थी उसके लाने की अनुमति उन्हें दे दी गई थी । उस पर सामान्य सीमाशुल्क माफ कर दिया गया था । और कोई जानकारी सरकार को नहीं है सिवाय दलाई लामा के इस वक्तव्य के कि यदि इस सोने आदि को मुद्रा के रूप में बदल दिया जाय तो उसका उचित विनियोजन किया जा सकेगा और तिब्बती शरणार्थियों के कष्टों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा । मैं नहीं समझती कि हम डा० सेन की लन्दन में कही गई बात को क्यों मानें और स्वयं दलाई लामा की भारत में कही गई बात का विश्वास न करें । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उस प्रयोजन से सहमत होंगे जिसके लिये दलाई लामा के खजाने का उपयोग किया जायेगा । शरणार्थियों की काफी जिम्मेदार दलाई लामा पर है और यह बहुत संभव है कि वह इस राशि का प्रयोग सही प्रयोजनों के लिये करेंगे, राजनैतिक प्रचार अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं जैसा कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है ।

फिर मैं तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न पर आती हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि इन शरणार्थियों का सीमान्त पर बसाया जाना ठीक नहीं होगा वे जहां कहीं भी बसाये गये हैं वे स्थान सीमान्त से १५० मील से लेकर ३०० मील तक की दूरी पर हैं । मुझे इस सुझाव पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि समस्त तिब्बती शरणार्थियों को दक्षिण भारत में बसाया जाना चाहिये । मैं नहीं जानती कि क्या दक्षिण भारत के लोग तिब्बतियों को देखना चाहते हैं अथवा वे उन्हें कोई खास चीज दे सकते हैं ? यह सभी जानते हैं कि ये लोग ऊंचे स्थानों से आये हैं और उन्हें ऐसे स्थानों पर बसाना अनुचित होगा जिनका जलवायु उनके लिये उपयुक्त न हो ।

यह सर्वथा ठीक है कि तिब्बतियों के पुनर्वास के लिये जो राशि मांगी गई है वह तदर्थ अनुदान नहीं होगा । वह कुछ वर्षों तक हमारे बजट का नियमित अंग होगा जब तक कि उनका स्थायी पुनर्वास न हो जाये । नौजवानों को शिक्षा देने और धार्मिक शिक्षा चाहने वालों को विभिन्न मठों में भेजने के लिये कार्यवाही की जा रही है, कारीगरों को अपना काम और व्यापार चलाने की सुविधायें दी गई हैं और समर्थ गैर कुशल लोगों को सड़क निर्माण के काम में तथा जंगली क्षेत्रों में काम पर लगा दिया गया है । मेरे पास इस समय सही आंकड़े नहीं हैं और मैं समझती हूं कि उनके देने की आवश्यकता भी नहीं है । परन्तु मेरा निवेदन है कि उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बनाने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है क्योंकि मुझे उन लोगों के अपने घरों को लौट कर जाने की अब कोई संभावना नहीं दिखाई देती है ।

श्रीमान्, आपको याद होगा कि उस समय सरकार को यह नहीं मालूम था कि इतने अधिक शरणार्थी भारत आयेंगे । उनकी संख्या अब १६,००० से अधिक हो गई है और अभी भी उनका आना जारी है यद्यपि अब वे कम संख्या में आ रहे हैं। इसलिये यह समस्या ऐसी है जो कुछ वर्षों तक नियमित रूप से हमारे बजट का अंग रहेगी ।

भूटान और सिक्किम के साथ निकटतर सम्बन्ध रखने के बारे में भी कुछ कहा गया था । पता नहीं लोग इस प्रकार की कल्पनायें कैसे कर लेते हैं। भारत और सिक्किम तथा भूटान के बीच कोई बात ही नहीं हुई है । इन राज्यों के साथ समारे सम्बन्ध बहुत मित्रता-पूर्ण हैं। मैं स्वयं इस सभा में अनेक प्रश्नों के उत्तर में यह बता चुकी हूं कि इन राज्यों में विकास कार्यों पर हमने कितनी राशि व्यय की है । प्रधान मंत्री ने भी यह वक्तव्य दिया था कि इन राज्यों की प्रतिरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और उन राज्यों पर किया गया अतिक्रमण भारत पर अतिक्रमण समझा जायेगा फिर भी कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें सिक्किम और भूटान के साथ अधिक निकट सम्बन्ध बनाने चाहियें । इन देशों के साथ हमारे राजनैतिक सम्बन्ध संधियों पर आधारित हैं और श्रीमान् आप जानते हैं कि १९४९ की संधि के अनुसार भारत और भूटान के बीच स्थायी शांति और मित्रता रहेगी और भारत उसके आन्तरिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। माननीय सदस्यों को यह भी याद होगा कि इन क्षेत्रों में संचार साधनों और उद्योगों के विकास के लिये हमने क्या क्या उपबन्ध किये हैं। मैं उनको दुहराना आवश्यक नहीं समझती हूं ।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : सिक्किम और भूटान में प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिये ।

†**श्रीमती शलक्ष्मी मेन** : वे जैसी सरकार चाहें बना सकते हैं, हमारा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य समझते हैं कि भारत को समस्त विश्व का प्रशासन करना चाहिये । वे चाहते हैं कि हम संसार भर की समस्याओं को हल करें और अन्य देशों को यह बतायें कि वे कैसी सरकार बनायें । भारत सरकार सिक्किम की प्रादेशिक अखण्डता की प्रतिरक्षा के लिये जिम्मेदार है और उसके विदेश सम्बन्धी का निर्देशन भी भारत सरकार करेगी। इसलिये यह कहना निरर्थक है कि भारत और सिक्किम के बीच निकटतर सम्बन्ध होने चाहियें।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने लन्दन और वाशिंगटन को भेजे जाने वाले धन के सम्बन्ध में विदेशी बैंकों द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति की । मैं उन्हें बता देना चाहती हूं कि भारत सरकार की सामान्य नीति विदेशी बैंकों द्वारा भुगतान की नहीं है वरन् यथा सैभव भारतीय बैंकों द्वारा भुगतान करने की है । लन्दन स्थित उच्चायोग धन सीधे नहीं भेजता है वरन् रिजर्व बैंक द्वारा भेजता है । परन्तु जहां तक अन्य स्थानों का सम्बन्ध है, विशेषकर वाशिंगटन से भेजे जाने वाले धन का, वहां भारतीय बैंकों की शाखायें नहीं है माननीय सदस्य ने कहा कि भारत सरकार सदा यही बहाना पेश करती है । मेरा निवेदन है कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि जहां कहीं भी संभव हो धन भारतीय बैंकों द्वारा ही भेजा जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है वह भी मैं बता देना चाहती हूं

१९५६ में, जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि में, गैर भारतीय बैंकों द्वारा १८,५२१,४७६ पौंड भेजे गये और भारतीय बैंकों द्वारा ५,५०३, ८३३ पौंड । १९५७ में भारतीय बैंकों द्वारा १०,७६८,७७६ पौंड भेजे गये और १९५८ में ११,०७३,०७१ पौंड ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

दूसरी ओर गैर-भारतीय बैंकों द्वारा भेजे जाने वाले धन की राशि कम होती गई । १९५७ में लगभग ६७० लाख पौंड भेजे गये, १९५८ में ३७,३६१,६८६ पौंड और १९५९ में केवल १२,६२५,२२३ पौंड । कठिनाई यह है कि निर्यात व्यापार की मात्रा सरकारी आयातों से बहुत कम है जिसके लिये भारतीय बैंक बैंकरों का काम करते हैं और भारतीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा भी अत्यन्त सीमित है इसलिये उनका व्यापार विदेशी बैंकों के बराबर नहीं हो पाता ।

अब में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण चीजों पर आती हूं । जहां तक प्रशासकीय व्यय में कमी का प्रश्न है, यह सर्वथा ठीक है कि प्रशासन का व्यय बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जायेगा । माननीय सदस्य जानते हैं कि यह मंत्रालय नये नये देशों में दूतावास खोलता जा रहा है इसलिये व्यय में कमी करना बहुत कठिन है । नये स्वतंत्र होने वाले देश स्वयं यह कहते हैं कि हम वहां अपने दूतावास खोलें । इसलिये व्यय कम करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विदेशों में प्रचार कार्य के सम्बन्ध में यह कहा गया कि वह ठीक नहीं हो रहा है । ऐसा विचार है कि यदि हम प्रचार अधिक करें तो सारा संसार हमारी बात मानने लगेगा । लोग कहते हैं कि सोवियत प्रचार बहुत अच्छा है, चीनी प्रचार बहुत अच्छा है और अमरीकी प्रचार बहुत अच्छा है । मैं पूछती हूं कि हमारे देश के कितने लोग अमरीकी, चीनी अथवा रूसी विचाराधारा को मानने लगे हैं ? देश में बहुमत उन्हीं लोगों का है जो अभी भी अपने देश की नीतियों को ही ठीक मानते हैं । इसका कारण यह नहीं है कि वह प्रचार ठीक नहीं हुआ वरन् यह है कि लोग अपने सुविचारपूर्ण मतों को बहुत कम बदला करते हैं । हम दूसरे लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिये असत्य बातों का प्रचार नहीं करते हैं वरन् देश की वास्तविक स्थिति ही उनके सामने उपस्थित करते हैं । जब सच्ची बात ही कहनी है तो लोगों को आकर्षित करने के लिये उसे चमकदार रंगों में उपस्थित करना आवश्यक नहीं है । इसके अतिरिक्त विदेशी स्वयं यहां आ कर देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं । वे हजारों की संख्या में आ रहे हैं तथा उनके घूमने फिरने पर किसी प्रकार की प्रतिबन्ध नहीं है जैसाकि अन्य देशों में है जहां लोगों को स्वयं नहीं देखने दिया जाता है कि क्या हो रहा है वरन् उन्हें बताया जाता है कि क्या किया जा रहा है । इसलिये हमारे जैसे देश में प्रचार पर कितना किया जाने वाला व्यय अत्यन्त सीमित होता है । यदि हम अधिक खर्च करना भी चाहें तो हम स्वयं वैसा नहीं कर सकते क्योंकि व्यय की मंजूरी हमें संसद् द्वारा मिलती है । यदि हममें अधिक धन मंजूर किया जाये तो हम अपने प्रचार कार्य का विस्तार कर सकते हैं ।

यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशों में हमारी प्रचार व्यवस्था है ही नहीं । एक माननीय सदस्य ने कहा कि वैदेशिक प्रचार विभाग का संचालक एक प्रसिद्ध पत्रकार होना चाहिये । वह समझते हैं कि संचालक का काम लेख और प्रचार सामग्री लिखना है । वास्तव में संचालक का काम यह नहीं है । वह सरकार के विदेश सम्बन्धों को समझता है और लेखकों द्वारा प्रस्तुत सामग्री की जांच करता है कि वह पठनीय और बोधगम्य हो । इस कार्य के लिये मंत्रालय का एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे विदेशी दूतावासों के कार्य का अनुभव हो, पत्रकार से अधिक उपयुक्त होगा चाहे वह कितना भी विख्यात हो । इसलिये मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत नहीं हूं ।

यह कहना तो आसान है कि हमारे प्रचार ठीक नहीं हो रहा है और सूचना केन्द्र ठीक तरह काम नहीं कर रहा है परन्तु व्यय की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । मुझे श्री दी० चं० शर्मा की यह

बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि विदेशों में भारत संबंधी समाचार केवल हमारे सूचना केन्द्रों और प्रकाशनों से ही प्राप्त होते हैं।

उदाहरण के लिए यदि हम १९५६ अथवा १९५८–५९ अथवा १९५९–६० में प्रचार के लिए किए गए कुल आवन्टन को देखे तो ज्ञात होगा कि वह केवल ९३ लाख रुपए है। मंत्रालय के प्रचार विभाग के लिए केवल इतनी ही राशि उपलब्ध की गई है। इसमें से ७१ लाख रुपए वेतनों पर व्यय किए जाते हैं और २२ लाख रुपए मुख्यालय का व्यय है। समस्त सामग्री का प्रकाशन मुख्यालय ही करतर है।

कहा जाता है कि हाल के महीनों में जबकि चीन के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं हमारा प्रचार अत्यन्त अपर्याप्त रहा है। यद्यपि इसने काफी सामग्री प्रकाशित की है फिर भी हम पर यह दोष लगाया जाता है कि हमने पर्याप्त समाग्री नहीं प्रस्तुत की है और उस सामग्री का समस्त भाषाओं में अनुवाद करने का प्रयत्न नहीं किया है जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा, हमारे मंत्रालय में संगठित अनुबाद विभाग नहीं है जो समस्त सामग्री का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करे। यदि उसकी व्यवस्था की जाय तो बहुत व्यय करना होगा क्योंकि एक तो अनुवादक और दुभाषिए हमारे देश में सहज उपलब्ध नहीं है और दूसरे हमें विदेशियों को सेवा में रखना होगा जो विदेशी भाषाओं में अनुवाद कर सकें जिस पर माननीय सदस्य आपत्ति करेंगे और वास्तव में इस कार्य में विदेशियों को रखना हमारे लिए लाभकारी नहीं है। हमारे लोगों को विदेशी भाषाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त करने में अभी कुछ समय लागेगा ताकि वे स्वयं यह काम कर सकें।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम विदेशों को जो प्रतिनिधि मण्डल भेजते हैं उन्हें अधिक प्रचार करना चाहिए। मेरा नम्र निवेदन है कि प्रतिनिधि मण्डल किसी विशेष प्रयोजन के लिए भेजा जाता है। यदि आप कोई प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रसंघ को भेजते हैं और वह सामन्य सभा की बैठकों में भाग लेने के बजाय इधर-उधर प्रचार करता फिरता है, जैसाकि कुछ अन्य लोग करते हैं, तो उससे सरकार का कोई लाभ नहीं होगा और न वही अपनी जिम्मेदारी का उचित पालन कर सकेगा। प्रतिनिधि मण्डल एक विशष प्रयोजन के लिए भेजा जाता है और उस अवधि में उसे वही कार्य करना चाहिए जो उसे सौंपा जाता है।

यह भी कहा गया कि हमें एसे लोगों को बाहर भेजना चाहिए जो नम्रतापूर्वक हमारी बात को उपस्थित कर सकें। मेरा विचार है कि देश का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बाहर जाकर दुशमनी मोल नहीं लेगा। हम चाहते हैं कि जब हमारे लोग बाहर जायें तो वे हमारे देश की देश की समस्याओं को सही ढंग से उपस्थित करे और जिन लोगों से मिलें उनकी सद्भावना प्राप्त करें। इसलिए यह कहना व्यर्थ है कि हमारे लीग बाहर जाकर देश के प्रति कटूता उत्पन्न करते हैं।

मैं आज इतनी ही बातों का उत्तर देना चाहती हूं। कल जब प्रधान मंत्री बहस का उत्तर देंगे तो वह अन्य बातों को लेंगे। हां, अन्त में मैं पास–पोर्टों के संबंध में भी कुछ निवेदन कर देना चाहती हूं। इसके संबंध में दो प्रकार के आरोप हैं। एक आरोप यह है कि पास पोर्ट देने में हम आवश्यकता से अधिक समय लेते है। यह कहा जाता है कि हमारा काम ठीक न होने के कारण ही इतना समय लगता है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं जिनसे यह मालूम होगा कि हम अपना कार्य कैसी तत्परता से करते हैं। जनवरी, १९६० में २९०९ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए जिनमें से २६३९ प्रर्थनापत्रों, अर्थात ९०.७ प्रतिशत का उसी महीने में निपटारा हो गया। इसके अतिरिक्त १४० विचाराधीन प्रार्थनापत्रों का निपटारा भी इस अवधि में किया गया। कई मामलों में हमें पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। कभी कभी रीजनल पासपोर्ट आफसर को मामले का निर्देश विदेश मंत्रालय को करना होता है, और कभी कभी यह पता चलता है कि पिछले पारपत्र भारत में जारी नहीं किए गए थे वरन् अन्य स्थानों में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

जारी किए गए थे । पासपोर्ट चाहने वालों में पंजाब के लोगों की संख्या अधिक होती है । श्रीमान्, आप जानते है कि हमें कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । सरकार की नीति है कि अशिक्षितों और अर्ध–शिक्षितों को पासपोर्ट न दिए जायें क्योंकि उन्हें पासपोर्ट देने से अनेक प्रकार की उलझनें पैदा होती है । कभी कभी जाली वित्तीय गारंटियां दी जाती हैं । गारंटी देने के लिए बैंक में १०,००० रुपया जमा कर दिए जाते हैं और गारंटी देने के बाद उसे निकाल लिया जाता है ।

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने हमारे रोम स्थित दूतावास के अधिकारियों पर यह दोषारोपण किया कि उन्होंने इटली के कैम्पों में रहने वाले लोगों की समुचित देखभाल नहीं की। मैं पहले भी बता चुकी हूं कि हमारे अधिकारियों ने अनेक बार कैम्प का निरीक्षण किया था । कैम्प में रहने वालों की दो कठिनाइयां थी । एक तो उन्हें इटली की भाषा नहीं आती थी और दूसरे उन्हें वहां का भोजन नापंसद था । इसमें हम क्या कर सकते हैं ? उन्हें अन्य कोई भी तकलीफ नहीं थी और इटली की सरकार ने उन्हें इटली छोड़ने की स्वतंत्रता दे रखी थी यदि वे वैसा चाहते हों और भारत सरकार उनको स्वदेश वापस भेजने के लिए तैयार थी । परन्तु वे लोग भारत नहीं लौटना चाहते थे क्योंकि उन्होंने जाली पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए, अपनी समस्त सम्पत्ति बेच दी थी और उन्हें भय था कि यदि वे भारत वापस जायेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दंड़ित किया जाएगा । इसलिए दूतावास के अधिकारीयों को दोष देना अनुचित है क्योंकि इस मामले में उन्होंने प्रत्येक संभव कार्य किया था । प्रारम्भ में सचिव दो तीन बार उनकी कठिनाइयों की जांच करने के लिए गए फिर इटली की सरकार के साथ लिखापढ़ी की गई । इसलिए यह कहना गलत है कि अधिकारियों ने कैम्प के लोगों की देखभाल नहीं की ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : यह वर्ष हमारे विदेशी मामलों के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्न रहा है क्योंकि उसमें हमारी विदेश नीति के स्वर्णिमियुग का अन्त प्रारंभ हुआ है । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम बड़े जोश के साथ पश्चिमी संसार के साथ आपने संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया था । यदि हम पिछले बारह वर्षो के इतिहास का पुनरीक्षण करें तो ज्ञात होगा कि हमारी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बचाना रहा है । इसके लिए श्री कृष्ण मेनन ने संसार भर में घूमकर भरसक प्रयत्न किया है ।

दूसरी मुख्य बात यह है कि पश्चिमी साम्राज्यबाद के कटु अनुभव के करण दूसरे विश्व युद्ध के बाद समाजवादी देशों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लागा था । हमने इस आशा के साथ उनके आगे मैत्री का हाथ बढ़ाया था कि वे नई विश्व व्यवस्था में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन का काम देंगे । पर आज चीनी अतिक्मण ने हमारी आखें खोल दी हैं और हमारी नीति की अनुपयोगिता को हमारे सामने स्पष्ट कर दिया है । अत: हमें अपनी विदेश नीति के संबंध में गंभीरता–पूर्वक विचार करना चाहिए ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हमारे देश में एक दल का ऐसा विचार है कि हमें सहयात्री वाला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कुछ दूसरे लोग यह कहते हैं कि हमें पश्चिमी गुट का साथ देना चाहिए । अत: हमें यह निर्णय करना चाहिए कि हम कौन सी नीति अपनायें । हमें रुमानी दुनियां को छोड़कर, जिसमें हम अब तक विचरण करते रहे हैं, वास्तविक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए । अभी तक हमने इस बात की कभी कल्पना

†मूल अंग्रेजी में

भी नहीं की थी कि चीन हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। चीन के इस अतिक्रमण के कारण हमारे लिए अपने अंतर्राष्ट्रिय संबंधों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है।

मेरा निवेदन है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में मशीनी दृष्टिकोण नहीं आपनाया जा सकता क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति निरन्तर बदलती रहती है। आज संसार दो गुटों में बिभाजित हैं—एक समाजवादी गुट और दूसरा साम्राज्यवादी गुट। हम उन दोनों के बीच में सन्तुलन बनाए हुएहैं। अब प्रश्न यह है कि हम इस सन्तुलन को कब तक बनाए रख सकते हैं ? चीन के संबंध में हमें इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर ही अपने दृष्टिकोण पर बिचार करना चाहिए।

कहना नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हम कोई पूर्वधारणा नहीं कर सकते हैं। यदि इस दृष्टि से विचार करें तो चीनी प्रधान मंत्री के साथ हमारे प्रधान मंत्री की भेंट के संबंध में हम सर्वथा भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि चूंकि चीन ने हमारें राज्य पर अतिक्रमण किया है इसलिए हमें उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए। मेरा विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें इस समस्या को हल करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए।

यदि चीन अतिक्रमण न करके हमसे मित्रतापूर्वक उस राज्य क्षेत्र की मांग करता तो उसके हित का विचार करते हुए हम उसकी बात मान लेते। परन्तु जिस प्रकार की कार्यबाही चीन ने की है वह अनुचित है और यही कठिनाई बातचीत के मार्ग में बाधक है।

जहां तक तिब्बत का संबंध है हमें चीन से यह कहना चाहिए कि वह अपना अधिपत्य हटा ले और तिब्बत स्वतंत्र हो जाय। भारत और चीन के बीच तिब्बत का एक अन्तःस्थ राज्य के रुप में बने रहना अत्यन्त आवश्यक है। दो भिन्न विचारधाराओं वाले देशों के बीच में इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि आफगनिस्तान का निर्माण भी इसी दृष्टिकोण से किया गया था। वह रुस और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में 'सेफ्टी वाल्व' बनाया गया था। हम भी तिब्बत को इस प्रकार का 'सेफ्टी वाल्व' बनाए रखना चाहिए।

इस संबंध में दूसरी आवश्यकता यह है कि हमें आपने सीमान्त की प्रतिरक्षा का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके लिए केवल सैनिक कार्यावाही ही पयाप्ति नहीं है वरनपहाड़ी लोगों तथा मैदान में रहने वालों में एकता की भावना भी उत्पन्न की जानी चाहिए। जब तक वे लोग हमें अपना नहीं समझेंगे तबतक सीमान्त को सुरक्षियत नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जितना भी व्यय आवश्यक हो वह किया जाना चाहिए।

इस प्रसंग में मैं नागा समस्या का उल्लेख भी करना चाहता हूं। हम सैनिक कार्यवाही पर ही अधिक जोर दे रहे हैं। परन्तु उसके बावजूद वहां गुरिल्ला युद्ध जारी है। इसका कारण यही है कि वे अपने को हमसे अलग समझते हैं। इसलिये हमें एकता लाने का प्रयत्न करना चाहिये और नागा विद्रोही नेता फिजो को बातचीत करने के लिये आमंत्रित करना चाहिये। सैनिक कार्यवाही उन्हें अपनी ओर लाने में असफल रही है। वे विद्रोही भले ही हों पर हमें उन्हें बातचीत के लिये बुलाना चाहिये। मेरा विचार है कि भारतीय संघ के अंग के रूप में एक स्वायत्तशासी नांगा राज्य का निर्माण किया जा सकता है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (पश्चिम दीनाजपुर): क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सीमान्त क्षेत्रों को स्वायत्तशासी राज्यों में परिवर्तित कर दिया जाये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** : मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है। मैं केवल नागाओं के सम्बन्ध में वैसा सुझाव दे रहा हूं, समस्त पहाड़ी आदिम जातियों के बारे में नहीं।

इसके बाद मैं पाकिस्तान पर आता हूं। ऐसा मालूम होता है कि अब कटुता का शीघ्र अन्त हो जायगा क्योंकि पाकिस्तान के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अन्य समस्यायें तो सुलझ गई हैं केवल काश्मीर की समस्या बाकी है। खुशी है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने हाल में यह कहा है कि यद्यपि हम जनमत संग्रह को ही एकमात्र सही हल मानते हैं परन्तु यदि भारत कोई अन्य अच्छा हल प्रस्तुत करे तो हम उस पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार यह समस्या हल हो जाये कहीं अच्छा है। जहां तक पाकिस्तान के साथ प्रतिरक्षा समझौते का प्रश्न है, जिसका प्रचार स्वतंत्र पार्टी वाले कर रहे हैं, मैं उसे ठीक नहीं समझता हूं क्योंकि वह हमारी विदेश नीति के प्रतिकूल है पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक संधि का अंग है इसलिये हम उस के साथ प्रतिरक्षा समझौता नहीं कर सकते।

इसके बाद मैं गोआ की समस्या को लेता हूं। चूंकि मैं उस क्षेत्र में रहता हूं मैं जानता हूं कि वहां की जनता में निराशा की भावना व्याप्त है। वे यह समझते हैं कि भारत सरकार ने उन्हें बीच में लटका दिया है। इसके अतिरिक्त पुर्तगाल में कुछ लोगों ने सालाजार का विरोध शुरू किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि जिन लोगों ने सालाजार के विरोधी जनरल डेलगाडो के पक्ष में मत दिये थे उन्हें गोआ में दंडित किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि हमें चुप नहीं बैठे रहना चाहिये। हमारे देश के ३५ राष्ट्रजन गोआ की जेलों में बन्द हैं। श्री मोहन लक्ष्मण रानाडे को २० वर्ष की सजा दी गई है और एकान्त स्थान में रखा गया है। इन सब बातों को देखते हुए हमें कोई ठोस कदम उठाना चाहिये और केवल यह कहकर संतोष नहीं कर लेना चाहिये कि समय ही गोआ को स्वतंत्र करेगा।

इसके बाद मैं अफ्रीका के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरा विचार है कि हम अफ्रीकी जागरण में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं। हमें अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता संग्रामों का सर्थन करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा विचार है कि हमें अल्जीरिया की अन्तःकालीन सरकार को मान्यता प्रदान करनी चाहिये। जनरल दिगाल ने अपने पहले प्रस्ताव को वापस ले लिया है और सेनायें विद्रोहियों का दमन कर रहीं हैं। इसलिये हमें उनकी सहायता करनी चाहिये।

जहां तक विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि उनमें सही लोगों को नहीं लिया जाता है। ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिन्हें देश के इतिहास और समाज परिस्थितियों का ठीक ज्ञान नहीं होता है। मैंने राष्ट्र संघ को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मण्डलों के सम्बन्ध में अध्ययन किया है और मैं यह कह सकता हूं कि उनमें अज्ञान लोग ही लिये जाते हैं। मैं मंत्रालय से अपील करता हूं कि ऐसे अज्ञान लोगों को नहीं भेजा जाना चाहिये क्योंकि वे देश की बदनामी का कारण बनते हैं। केवल योग्य व्यक्ति ही बाहर भेजे जाने चाहिये।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन): क्या माननीय सदस्य का ऐसा कहना उन संसद्-सदस्यों के प्रति आक्षेप नहीं है जो प्रतिनिधि मण्डलों में भेजे जाते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को प्रतिनिधि मण्डलों के गठन का निर्देश करने से नहीं रोक सकता परन्तु उन्हें संसद्-सदस्यों पर आक्षेप नहीं लगाने चाहिये।

†**श्री खाडिलकर**: जहां तक विदेशों में प्रचार का सम्बन्ध है, हमें स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय समाचार सेवा रखनी चाहिये। अभी हम ऐसी समाचार सेवाओं पर आश्रित हैं जिनके कुछ देशों में विशेष हित

†मूल अंग्रेजी में

हैं। इसलिये जबतक एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा का गठन नहीं किया जाता और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर अच्छी समीक्षा की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक . . . .

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य प्रचार की बात कर रहे हैं अथवा प्रसारण की ?

†**श्री खाडिलकर** : मैं आपके प्रचार कार्य की कमियां बता रहा हूं। क्या हमारे देश में ऐसे योग्य आदमी नहीं हैं जो रेडियो पर हमारी विदेश नीति की विवेचना कर सकें ? इसलिये मैं चाहता कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय इस बात का प्रयत्न करे कि हमारा प्रचार ऐसा हो जिसे संसार का प्रबुद्ध वर्ग पसंद करे और जिसमें हमारी नीति की सही विवेचना हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री थानू पिल्ले।

†**श्री थानू पिल्ले** : (तिरुनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कितना समय लेंगे ?

†**श्री थानू पिल्ले** : लगभग १५–२० मिनट।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब समय समाप्त हो गया है। माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

(इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन, १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में

बुधवार, १६ मार्च, १९६०

---

२६ फाल्गुन, १८८१ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२९२५—४७
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७५	नेफा और आसाम में आकाश सीमा का अतिक्रमण .	२९२५—२९
८७६	तीन वर्ष का डिग्री कोर्स . .	२९२९—३२
८७७	रोल्स रायस "डार्ट" इंजन	२९३२—३५
८७८	पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिये मैट्रिक के बाद की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्तियां	२९३६—३९
८७९	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा .	२९३९-४०
८८०	दिल्ली में शराब का उपभोग .	२९४०-४१
८८१	छिद्रण कार्य कर्मचारी	२९४२—४४
८८२	आनन्द बाजार पत्रिका को जीवन बीमा निगम द्वारा दिया गया ऋण . . .	२९४४—४६
८८३	लद्दाख का पुरातत्वीय सर्वेक्षण . .	२९४६
८८४	जनौरी और बथुला में तेल के लिये छिद्रण .	२९४६-४७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२९४७—७४
तारांकित प्रश्न संख्या		
८८५	भारतीय सैनिक अकादमी, देहरादून . .	२९४७-४८
८८६	लन्दन जाने वाले यात्री का पुलिस द्वारा रोका जाना . .	२९४८
८८७	इस्पात का मूल्य . . .	२९४९
८८८	सिक्किम रैफल्स . . .	२९४९
८८९	सहकारी संस्थाओं को ऋण	२९४९-५०
८९०	जापान से एक टन के ट्रकों का आयात . .	२९५०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
८९१	खेतरी (राजस्थान) में तांबा गलाने का संयंत्र	२९५०
८९२	कलकत्ता मैदान	२९५०-५१
८९३	विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयु-सीमा	२९५१
८९४	इस्पात संयंत्रों के इर्द गिर्द सहायक उद्योग	२९५२
८९५	मध्य प्रदेश में तेल सर्वेक्षण	२९५२
८९६	भिलाई में रूसी प्रविधिज्ञों को वेतन का भुगतान	२९५३
८९७	गैर सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	२९५३-५४
८९८	केरल जेनमीकरम भुगतान (उन्मूलन) विधेयक, १९५७	२९५४
८९९	राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग के लिये संहिता	२९५४
९००	इस्पात के कारखानों में मजूरी तथा कार्य-दशा	२९५४-५५
९०१	यमुना का बहाव	२९५५
९०२	केरल में केथोलिक लोगों का जाति से बहिष्कार	२९५५-५६

अतारांकित प्रश्न संख्या		
११४५	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बेसिक शिक्षा	२९५६
११४६	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विश्वविद्यालयों को अनुदान	२९५६
११४७	गैर सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनायें	२९५६
११४८	आन्ध्र प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२९५६-५७
११४९	मुरादपुर में पैट्रोलियम के निक्षेप	२९५७
११५०	राष्ट्रीय सेनाछात्र दल	२९५७
११५१	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) में अस्थायी पद	२९५८
११५२	दिल्ली प्रशासन	२९५८
११५३	दिल्ली के स्कूलों में कला तथा शिल्प की शिक्षा	२९५८
११५४	दुहरे कराधान से बचने के लिये करार	२९५८-५९
११५५	समाज कल्याण परियोजना दल का प्रतिवेदन	२९५९
११५६	टिंचर का अल्कोहल के रूप में प्रयोग	२९५९-६०
११५७	आन्ध्र प्रदेश के स्कूलों में उड़िया	२९६०
११५८	ईसाई धर्म-प्रचारक	२९६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११५९	मध्य प्रदेश में पुनर्बेलन मिलें	२९६१
११६०	नागपुर में कोयला क्षेत्र	२९६१-६२
११६१	तेल प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण	२९६२
११६२	उड़िया भाषा का विकास	२९६२
११६३	त्रिपुरा में निवृत्ति-वेतन के मामले	२९६३
११६४	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक	२९६३
११६५	परीक्षा पद्धति	२९६३-६४
११६६	मादक द्रव्य	२९६४
११६७	विश्वविद्यालयों को फोर्ड फाउन्डेशन का अनुदान	२९६४
११६८	समुद्र के जल के खारीपन को दूर करना	२९६५
११६९	शाहजहांपुर में अवैध रूप से शस्त्र बनाने का कारखाना	२९६५
११७०	दिल्ली के पुलिसमेनों की गिरफ्तारी	२९६५-६६
११७१	भर्ती पर प्रतिबन्ध	२९६६
११७२	त्रिपुरा का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	२९६६-६७
११७३	तम्बाकू	२९६७
११७४	पंजाब की संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान	२९६८
११७५	दिल्ली पुलिस प्रशासन	२९६८
११७६	बोलानी ओर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	२९६८-६९
११७७	दिल्ली में राष्ट्रीय छात्र सेना दल के शिविर	२९६९-७०
११७८	इन्दौर मे घास के फार्म	२९७०
११७९	सोने का पकड़ा जाना	२९७०-७१
११८०	विद्युदणु उपकरण	२९७१
११८१	यूगोस्लाविया के वित्त मंत्री का भारत का दौरा	२९७१
११८२	रत्नागिरी जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण	२९७१-७२
११८३	पेट्रोलियम से गैस बनाना	२९७२
११८४	विज्ञान मन्दिर	२९७२-७३
११८५	केन्द्रीय मंत्रालयों में मोटर गाड़ियां	२९७३
११८६	तस्कर व्यापार करने वाले पाकिस्तानी	२९७३
११८७	मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के निक्षेप	२९७४

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९७६-७७

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिय लघु उद्योगों के कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर लघु उद्योग बोर्ड की सिफारिशों का सारांश ।

(दो) (क) ग्रामोद्योग मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन ।

(ख) उपरोक्त प्रतिवेदन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की टिप्पणी ।

(२) अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये निदेश संख्या १९ के अन्तर्गत विश्व-विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में श्री ब्रजराज सिंह द्वारा १ मार्च, १९६० को उठाई गयी आधे घण्टे की चर्चा के उत्तर में वक्तव्य की एक प्रति ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २९७७

उनसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २९७७

श्री रघुनाथ सिंह ने रूस से पेट्रोल की वस्तुओं के आयात के लिये रूसी विदेशी व्यापार एजेंसी तथा हिन्दुस्तान आर्गेनाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई द्वारा हस्ताक्षरित कथित समझौते की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया ।

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें . . . . . २९७९—३०२५

शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई, चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, १७ मार्च, १९६०/२७ फाल्गुन १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।